

**Role of Local Community in Enhancement of Tourism
(With Reference to Jabalpur Region)
Mrs. Gunjan Shrivastav**

ABSTRACT

Local people are the real carriers of culture and traditions. They are the only ones who know the importance of their tourist places and its cultural heritag. They had learnt the historical or mythological stories related to tourist places nearby from their forefathers. Therefore their support can be very useful for the development of tourism at any place.

Successfully planning for tourism development requires the active support and involvement of the local community. It is important to plan tourism so that it does not compromise their quality of life. The issues that can be included are over-crowding their localities, undue changes in social values, increased demand that raises the price of consumer commodities, and degradation of the natural environment.

Concept

According to UNESCO, “the aim is not only to preserve increasingly numerous items of cultural property but also to safeguard complexes which go far beyond single large monuments or individual buildings. The idea of the heritage has now been broadened to include both the human and the natural environment, both architectural complexes and archaeological sites, not only the rural heritage and the countryside but also the urban, technical or industrial heritage, industrial design and street furniture.

Furthermore the preservation of the toursim sites and cultural heritage now covers the non-physical cultural heritage, which includes the sigh and symbols passed on by oral transmission, artistic and literary forms of expression, languages, ways of life, myths, beliefs and rituals value systems and traditional knowledge and know-how.

In Jabalpur region various monuments are not protected. They are being continuously damaged by people. Even their stones, doors, decorative motifs and sculpture are taken out and sold. Here the contribution of local population is needed, to extend their help to local bodies, and voluntary agencies in the protection of historical heritage.

Participation of local People in the Conservation of Heritage

The most important aspect of conservation is the participation of local people. Local participation is ‘the ability of local communities to influence the outcome of development projects that have an impact on them. Educational efforts should be made with the help of press to build public awareness.

The participation of local people can be increased by organizing workshops and meetings. All research and information collected from the local people can be synthesized. The skills of youth can be gained by involving them in the conservation. The ecotourism project team together with the community could develop an action plan for implementing solutions to identified problems. Participation therefore plays a key role in the initiative, as it empowers people to play a role in the decision making process, where in many cases it is only those who are politically connected or affluent who are involved in the control and management of the enterprise. Development initiatives have better results if being implemented according to the suggestions of local people. Tourism policies should no longer concentrate on economic and technical necessities alone, but rather emphasise the demand for an unspoiled environment and consideration of the needs of the local people. This softer approach places the natural and cultural resources at the forefront of planning and development, instead of as an afterthought.”² Therefore it becomes more important to adopt Alternative Tourism.

Alternative Tourism is a term that encompasses various applications, (appropriate, eco-friendly, soft,

responsible, controlled and people to people tourism). This responsible tourism saves displacing local people from traditional life-style and original culture. This more sensitive approach to tourism development strives to satisfy the needs of local people and tourists and the host country in a complementary way.

Presently, Mass tourism is not preferred for the fact that it dominates tourism of a region, its environment and its people. Thus, Alternative tourism is form of tourism that advocates an approach opposite to mass tourism.

Advantages of Alternative Tourism

- Families will acquire managerial skills.
- Alternative Tourism will generate direct revenue for community members, thus benefitting the local community.
- Alternative Tourism will also help to preserve local traditions.
- Alternative Tourism is ideal for travelers who prefer close contacts with local people.
- Alternative Tourism will promote intercultural understanding.

Local people are the first to recognize the benefits of conserving their natural-resources-base, much more so than large developers who don't live in the area. Therefore, it is important that the local people should be involved. Such involvement can take the form of community representatives who speak for various elements of the population³

Education plays a key role and local people should be allowed to develop their own educational programmes for tourists. This will inspire them to shape and design tourism according to their needs and desire. It should be seen that tourists must abide by the structured guidelines developed by local people.

Local people should be given responsibility by involving them in preparing management plans, which is also important from the point of view of both the community development and development of the country.

Planning is for the benefit of the people, and they should be involved in the planning and development of tourism in their areas. Tourism development should be aimed at to protect natural and socio-cultural resources and improve the welfare of local people, while enhancing monetary gains and market access.⁴ Linking Communities, tourism and conservation, through this involvement, tourism development will reflect a consensus of what the people want. Also, if residents are involved in planning and development decisions and if they understand the benefits the tourism can bring –they will more likely support it.⁵

An important aspect of sustainable development is emphasizing community based tourism. This approach to tourism focuses on community involvement in the planning and development process, and developing the types of tourism, which generate benefits to local communities. It applies techniques to ensure that most of the tourism goes to local residents and not to the outsiders.⁶ Maximizing benefits to local residents typically results in tourism growth and their active participation in the conservation of local tourism resources.

The benefits accruing to local communities are also beneficial to the country, through the income and foreign exchange earned, employment generated and the support that local communities give to national tourism development and conservation policies is beneficial to the country.⁷

The Contribution of Local People in the Conservation of Heritage in Jabalpur Region

The credit of development of cultural heritage of Jabalpur in earlier periods goes to Raja Gokul Das and Beohar Raghubir Singh. Raja Gokul Das loaned money to the Jabalpur Municipality in 1881 for the construction of Khandari water works to solve the problem of lack of water.⁸

Rajman Rajeshri Beohar Raghubir Singh was the last jagirdar of Jabalpur to whose ancestors the estates were granted by descendants of Rani Durgavati or acts of nationalism, patriotism, and bravery in the battlefield. In the memory of Beohar Raghubir Singh 'Beohar Bagh' is named.

The era of literary activities had begun with Pt. Makhanlal Chaturvedi and Shri Madhav Rao Sapre. Seth Govind Das, grandson of Raja Gokul Das created enthusiasm in the youth for literary activities by opening

Rashtriya Hindi Mandir and Sharda Bhavan Pustakalaya in 1915.

Pt. Dwarka Prasad Mishra was the president of Jabalpur Municipal Committee from 1932-36. After independence he became home minister. As a journalist he successfully edited 'Lokmat'. He was Minister of Education in 1955. He was Vice Chancellor of Sagar University from 1956-62 and became the Chief Minister of M.P. in 1963.

Among the literary personalities were Pt. Kunjilal Dubey, who later became the speaker of M.P. Assembly, and the Finance Minister, Beohar Rajendra Singh a prolific writer, Pt. Matadeen Shukla, at one time editor of 'Madhuri', Pt. Kamta Prasad Guru and Shri Harishankar Parsai, progressive writer of satire.

Pt. Lajjashankar Jha was bestowed the title of D. Litt., by the Jabalpur University in 1964. He was also awarded with Sahitya Vachaspati in 1968 by Hindi Sahitya Sammelan. The same year Jabalpur Corporation honoured him.

Shri Bhawani Prasad Tiwari was a poet, writer and seven times Mayor of Jabalpur Corporation. He was honoured with the title of Padmashri and translated Gitanjali of Rabindra Nath Tagore in Hindi.

Dr. M.C. Choubey, an A.M.S., Medical Practitioner of Jabalpur had given great contribution in conservation of culture of Jabalpur in the form of literature. The important works are 'Jabalpur: The Past Revisited' and 'Tripuri'. The illustrations of Shri Vishnu Agnihotri, made the works immensely admirable.

Shri Ram Manohar Sinha is highly appreciated in painting. He was student of Nandal Bose of Shanti Niketan. He illustrated the original manuscript of the constitution of India. Shri Vishnu Agnihotri, Shri Kamta Sagar and Shri Amritlal Vegad are also reputed artists.

Shri Amritlal Vegad did his studies from Shanti Niketan and was trained under able teachers like Nandal Bose. He joined as teacher at Institute of Fine Arts in Jabalpur. He was awarded with Sahitya Akademi Award in 2004 for his travelogue- 'Saundarya ki Nadi Narmada'¹⁴ He was also awarded Madhya Pradesh Rajya Sahitya Award for his various works. He is also a recipient of the Mahapandit Rahul Sankrityayan award in Hindi.¹⁵ Vegad has accomplished the entire Narmada Parikrama (literally , circumambulation, walking along the entire river bank) commencing from his city Jabalpur right up till Bharuch in Gujarat and back, finally completing his parikrama by 1999.¹⁶ His other two travelogues are "Amritasya Narmada", and "Teere Teere Narmada".

Among the few great men of Jabalpur Region, there is always mention of Rajneesh (Osho). He has marked his times with his thoughts and vision. He taught in Jabalpur University for 9 years. His global intellectual impact can be seen by the number of disciples.

Maharishi Mahesh Yogi developed the Transcendental Meditation technique and was the leader and guru of a worldwide organization. He had trained nearly 40,000 TM teachers and taught the Transcendental Meditation technique to more than five million people and founded thousands of teaching centre and hundreds of colleges, Universities and schools.

Shri Premnath, Arjun Rampal, Ashutosh Rana and Raghubeer Yadav are well known for their performances in cinema. Rajnikant Trivedi, Kulkarni Bandhu and K.K. Naikar are famous in the field of comedy. Jadugar Anand, as magician achieved success internationally. Smt. Sushila Bai Pohankar, Shri Ajay Pohankar and Adesh Shrivastava earned great fame in the field of music. In the field of photography Shashin and Rajnikant Yadav are acknowledged.

Local artists such as painters and sculptors had also contributed in the promotion of heritage. Numerous committees welcome the tourists and local public wholeheartedly in their well decorated pandals during Durga Pooja and Ganesh Utsav festivals. These members work hard 2-3 months prior to the festivals to decorate the *pandal* in an innovative and unique style each year. This healthy competition develops the spirit of better performance the next year. These committees also held Chal Samaroh (Grand procession of idols) in festive manner but peacefully.

Conclusion : Thus we can say that contribution of local people works in two ways in the conservation of heritage. They are the one who had preserved traditional art, craft, and cultural heritage. Secondly, they can be involved in the planning and management of tourism. Also local people become the main pillars, offering to tourists in a sustainable form, local products in which they have pride as things representing their locality, so developing and sharing emotions and happiness between tourists and themselves (local residents) making at the same time a contribution to the development of tourism of the local area concerned.

REFERENCES :

1. Agrawal Prateek, Aspects of Cross Cultural Interaction and Tourism, Mohit publications, New Delhi, 2005
2. Badan B.S.& Harish Bhatt, Tourism planning and development, Commonwealth publishers, New Delhi, 2007
3. Choubey M.C, Jabalpur, The Past Revisited, INTACH, 1993
4. Competition Science Vision, February, 2005
5. Gaur Mahendra, Indian Affairs Annual, Volume 2, 2007
6. Gutirrez Eileen, Kristin Lamoureux, Seleni Metus, The George Washington University, New York, 2005
7. River of life and learning-Chat from Amrit lal Vegad by Parul Sharma Singh-The Hindu, 25 February 2011

राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व का महत्व

डॉ. जयश्री दीक्षित, रितु मिश्रा

नेतृत्व का समस्त मानवीय क्रियाओं में महत्व है परन्तु प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में मुख्यतः निम्न स्तरों पर इसका महत्व बहुत अधिक है। नेतृत्व एक सामाजिक क्रिया है इसलिए सामाजिक विज्ञानों – विशेष रूप से समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के छात्रों को इसका अध्ययन करने में विशेष रूचि रही है। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी उचित नेतृत्व के प्रतिमान के कारण से मन्द या तीव्र गति से चलती है और नेतृत्व एक प्राचीन कला है जिसका सम्भवता की निरन्तरता में और उसे आगे बढ़ाने में विशेष महत्व रहता है। इसके साथ ही नगरीय समाजों की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए जनता को संगठित करने की अति आवश्यकता है जिससे व्यक्ति और समूह मिलकर नेतृत्व प्रदान कर सकें।

अतः नेतृत्व एक सामाजिक तथ्य है और नेतृत्व को एक तुलनात्मक धारणा कहा जा सकता है जिसका अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण पाये जाते हैं उसमें अनुसरण करने के भी गुण अवश्य रहते हैं परन्तु जब व्यक्ति की अनुसरण करने की प्रवृत्ति की तुलना में व्यक्ति की आदेशपूर्ण प्रवृत्ति अधिक प्रभावी या विकसित होने लगती है और अधिकतर जनता स्वभाववश इसे स्वीकार करने लगती है तभी वह व्यक्ति समूह में नेता के पद को अर्जित कर लेने में समर्थ हो जाता है।

नेतृत्व को समझाने के लिए बहुत से विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, परन्तु सभी विद्वान् किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं हैं अतः नेतृत्व के बारे में समय–समय पर विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं में से कुछ का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है – लिंडमेन ने नेता को एक ऐसा व्यक्ति कहा है, जिसके निर्णयों, भावनाओं और युक्तियों को समूह द्वारा विश्वास और कार्य के आधार के रूप में अपनाया जाता है अतः उनके अनुसार : "A Leader is an individual whose rationalizations, judgements and feelings are accepted by the group as bases of belief and action."

इसी प्रकार के विचारों को ओडर्ड टीड ने व्यक्त करते हुए कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों का एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति करने का एक प्रयास है।

उनके अनुसार "Leadership is the activity of influencing people to co-operate to some goal which they come to find desirable." बोगार्डस ने भी नेतृत्व के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जनता पर विशेष प्रभाव होता है। उनके अनुसार "A Leader is a person who exerts special influence over a number of people. Everyone exercises special influence over at least a few other persons, but we cannot say that such activity is leadership. there must be both special influence and number of people involved."

बर्नार्ड ने भी नेतृत्व पर विचार करते हुए लिखा है कि नेतृत्व व्यवहार के उस गुण को प्रकट करता है जिसके द्वारा सहयोग अर्जित करने पर बल दिया जाता है।

"Any person who is more than ordinarily efficient in carrying psychological stimuli to others and is thus effective in conditioning collective responses may be called a leader."

पिफनर एवं पेस्थस ने नेतृत्व की संक्षेप में परिभाषा देते हुये व्यक्त किया है कि :— नेतृत्व वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये व्यक्तियों के एक समूह को प्रेरित एवं समन्वित करने की क्रिया है।

इसी प्रकार सेकलन एवं हडसन ने भी नेतृत्व के बारे में व्यक्त करते हुये कहा है कि: "किसी समूह के उद्देश्यों को अर्जित करने के लिये व्यक्तियों को साझे प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करना ही नेतृत्व है।"

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि नेतृत्व एक व्यवहार है जो अनुयायियों के व्यवहार की तुलना में अधिक

प्रभावशाली होता हैं जो अनुयायियों को उद्देश्य अर्जित करने में सहायता प्रदत्त करता है और उन्हें सन्तुष्ट भी करता हैं अतः नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जिसके माध्यम से अनुयायियों को निर्देशित, नियन्त्रित और प्रोत्साहित किया जाता है।

नेतृत्व को नेता और अनुयायियों के सन्दर्भ में ही समझना उपयुक्त रहता है। नेतृत्व के नेता और अनुयायी ही दो मुख्य अंग होते हैं, नेतृत्व के अन्तर्गत नेता के अनुयायियों में नेता के प्रति अपार भक्ति या समर्पण की भावना रहती है क्योंकि कोई नेता शक्ति के बल पर या भय उत्पन्न करके या डरा धमका कर अधिक दिनों तक अपने अनुयायियों की सद्भावना और सहयोग की भावना पर आधारित नहीं रह सकता। यदि कोई नेता सफल नेतृत्व की इच्छा रखता है तो उसके लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने अनुयायियों के विचारों, भावनाओं, संवेगों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही अपना व्यवहार स्थापित करे और उनके अनुसार ही समस्त कार्य सम्पन्न करे।

अतः नेतृत्व से अभिप्राय है कि जब व्यक्ति एक विशिष्ट राजनीतिक वातावरण में एक विशिष्ट स्थिति को अर्जित कर लेता है तो वह अपने गुणों या क्षमताओं के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने लग जाता है तो इसे ही नेतृत्व की स्थिति कहते हैं परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि नेता का अपने अनुयायियों पर केवल मात्र एक तरफा ही प्रभाव नहीं रहता है अपितु नेता के अनुयायी भी अपने व्यवहार से नेता के व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं परन्तु नेता में दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की अत्यधिक क्षमता पायी जाती है। इसी कारण से नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार को अधिक प्रभावित करने में समर्थ रहता है। इसके साथ ही साथ यह भी देखना अनिवार्य हो जाता है कि अनुयायियों या दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर लेना ही नेतृत्व नहीं कहा जा सकता है अपितु व्यक्तियों के व्यवहारों या अनुयायियों के व्यवहारों को एक निश्चित या इच्छानुसार दिशा में परिवर्तित करने का नाम ही नेतृत्व है। यहां पर यह भी देखने की आवश्यकता है कि कभी—कभी भ्रमवश नेतृत्व और प्रभुत्व को एक ही मान लिया जाता है। नेतृत्व की धारणा को समझने में यह ध्यान रखने की बात है कि नेतृत्व और प्रभुत्व दो भिन्न-भिन्न धारणाएं हैं।

प्रभुत्व में शक्ति या सत्ता का तत्त्व अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। प्रभुत्व द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों में जो परिवर्तन करना होता है वह केवल दबाव के द्वारा ही किया जाता है परन्तु नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहारों में जो भी परिवर्तन लाता है वह इच्छा द्वारा लाता है। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि नेतृत्व की सफलता हेतु नेता और उसके अनुयायियों में पारस्परिक सहयोग, घनिष्ठता, त्याग और समर्पण की भावना का होना आवश्यक है जबकि प्रभुत्व को बिना किसी सहयोग और घनिष्ठता के भी हम बनाये रखने में समर्थ हो सकते हैं यह भी एक तथ्य है कि नेतृत्व में प्रगतिशील व्यवहार पर बल दिया जाता है जबकि प्रभुत्व में रुद्धिवादिता ही अधिक प्रभावी रहती हैं इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि नेतृत्व की विवेचना प्रभुत्व के रूप में ही की जानी चाहिए और दोनों को अलग नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व में निम्न बातों पर मुख्य बल दिया जाता है –

1. नेतृत्व में दो पक्ष रहते हैं जैसे – नेता और अनुयायी। इसमें नेता अपने अनुयायियों की तुलना में अनुयायियों के व्यवहारों से प्रभावित होने की अपेक्षा अपने व्यवहार से उन्हें ही अधिक प्रभावित करता है।
2. नेतृत्व एक तरह से विशिष्ट व्यवहार है जिसके अन्तर्गत समर्पण, प्रभुत्व, आग्रह और सुझाव का मिश्रण रहता है।
3. नेतृत्व में अनुयायियों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है अर्थात् नेतृत्व नियोजित होता है अनियोजित नहीं।
4. नेतृत्व से सम्बन्धित प्रभाव दबाव से स्वच्छन्द नहीं रहता है और इसे सामान्यतः इच्छा से ही अपनाया जाता है। नेतृत्व में दबाव केवल मात्र नेता के नैतिक प्रभाव का ही हो सकता है, जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से ग्रहण करता है।
5. नेतृत्व की एक विशिष्ट परिस्थिति होती है और परिस्थिति का अर्थ क्षेत्र से है और व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से प्रभावित रहता है।

6. नेतृत्व द्वारा व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन साधारणतया उत्तेजना द्वारा प्रभावित रहता है।

सामान्यतः नेतृत्व से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से लिया जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य समान गुणधर्मी व्यक्तियों के मध्य प्रधानता को प्राप्त करके उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने में समर्थ हो जाता है। इसलिये नेतृत्व का अभिप्राय निर्देशित करने से लिया जाता है। अतः नेतृत्व एक ऐसी अन्तर्निहित व्यक्तिगत क्षमता का नाम है जो जन्मजात और मानसिकता से सम्बन्धित है जिसे विस्तृत प्रशिक्षण के उपरान्त अर्जित किया जाता है। ऐलन ने इसकी व्याख्या प्रबन्धकीय क्षमता अथवा व्यक्तिगत और जन्मजात गुण के रूप में की है। इसके साथ ही यहां पर इस तथ्य को स्पष्ट करना भी उचित प्रतीत होता है कि नेतृत्व अर्थात् नियन्त्रण की क्षमता भय के आधार पर नहीं चलती है बल्कि यह प्राकृतिक होती है। सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को समझा—बुझाकर सहयोग अर्जित करने की शक्ति के रूप में ही इसे अपनाया जाता है। इसलिए नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है। यहां व्यक्ति अपनी इच्छा से समर्थन देने के लिये तत्पर रहते हैं।

अतः नेतृत्व को स्पष्ट रूप में समझने के लिये कहा जा सकता है कि नेतृत्व के अन्तर्गत परिस्थितियां, समर्थक और नेता का होना अनिवार्य है। इसलिए नेतृत्व एक ऐसी क्षमता का नाम है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने गुणों से अपने समर्थकों को सामान्य लक्ष्य अर्जित करने हेतु प्रेरणा देता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। अतः नेतृत्व से कई गुणों की जानकारी का आभास मिलता है जैसे : दूरदर्शिता, निर्णय की क्षमता, लक्ष्य निर्धारित करने की योग्यता, जन सम्पर्क, व्यक्ति में चेतना जाग्रत करने की क्षमता और दूसरे लोगों को आगे साथ लेकर चलने की क्षमता आदि। संक्षेप में नेतृत्व तीन बातों पर निर्भर करता है :— जैसे निर्णय की क्षमता, समर्थकों को एकत्रित करने की शक्ति और जनसम्पर्क साधनों की प्रगाढ़ इच्छा। इन्हें अधिक स्पष्ट करने के लिये यह कहा जा सकता है कि निर्णय की क्षमता एक सफल नेतृत्व के लिये अत्यधिक अपरिहार्य है। इसके बल पर ही एक सफल नेता अपने समर्थकों तथा संगठन को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकता है और कार्य के प्रति इच्छा जाग्रत करने में समर्थ हो सकता है। नेता यदि उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लेते हैं तो समर्थकों या संगठन की कार्य करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। अतः यह देखने की अनिवार्यता है कि राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, परिस्थिति की पृष्ठभूमि, जनसमुदाय की मांग व मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही नेतृत्व द्वारा निर्णय लिये जायें। जो नेतृत्व ऐसा करने में समर्थ हो जाता है उसी का प्रभाव राजनीति पर स्थायी रूप में हो जाता है। लोचपूर्ण निर्णय सदैव हानिकारक ही रहते हैं ताकि नहीं परन्तु समयानुसार उचित निर्णय तो तभी सम्भव हो सकते हैं जबकि नेतृत्व कलपनाशील होने के साथ—साथ उजाजवल भविष्य के प्रति स्पष्ट और विकासोन्मुख योजनायें रखता हो। ऐसी दशा में ही नेतृत्व भावी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक भूमिका प्रदान कर सकने में समर्थ हो सकता है।

समर्थकों को संगठित करने की शक्ति भी नेतृत्व के लिये प्रमुख आवश्यकता है जिसके द्वारा ही प्रतिबद्ध समर्थकों के समूह को तैयार करने में नेता समर्थ हो सकते हैं परन्तु नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता उसी समय आ सकती है जबकि नेतृत्व निश्चित दर्शन और योजना पर आधारित हो। यदि वह व्यक्ति, समुदाय या संस्थान को स्पष्ट दिशा बोध प्रदान करने में समर्थ नहीं है तो प्रतिबद्ध समर्थकों का समर्थन उसे प्राप्त होना कठिन है और ऐसी दशा आने पर वह अवसरवादी व्यक्तियों से प्रभावित होकर संगठन एवं व्यवस्था को हानि पहुँचा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व के लिए एक सुस्पष्ट विचारधारा, लक्ष्य एवं योजना के अनुसार ही विश्वास पात्र और प्रतिबद्ध समर्थकों को तैयार करने की अनिवार्यता भी सदैव बनी रहती है।

जनसम्पर्क और जनचेतना के विकास की अनिवार्यता भी नेतृत्व के लिये सदैव ही बनी रहती है क्योंकि जन चेतना को नई दिशा या आयाम प्रदान करने में समर्थ नेतृत्व एक उच्च कोटि का नेतृत्व कहा जाता है। जनचेतना का विकास तभी हो सकता है जब नेतृत्व आधुनिकीकरण के प्रति आस्थावान और गतिशील हो एवं समाज को बदलने की शक्ति उसके पास हो क्योंकि साधारण जन परिवर्तन लाने के प्रति सदैव ही इच्छा रखता है। यह देखने में आया है कि परिवर्तन और आधुनिकता हमेशा घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित होते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रतिक्रियावादी या परमपरावादी नेतृत्व जनसमर्थन अर्जित करने में सफल नहीं हो पाता है। यह भी जानने की आवश्यकता है कि विकासशील नेतृत्व व्यापक जन सम्पर्क करने

में भी समर्थ रहता है क्योंकि परिवर्तित समाज को समझनें की शक्ति उसी में रहती है और समय की नव्य को पहचानने या समझनें की सामर्थ्य भी वह रखता है। निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि अच्छे नेतृत्व हेतु दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, कलपनाशीलता, भविष्य के लिए स्पष्ट योजनाएं निर्मित करना, जनवेतना को विकसित करने की शक्ति, व्यापक जन सम्पर्क और निष्पक्ष निर्णय अनिवार्य तत्व हो सकते हैं।

संदर्भ :

- Lindeman, E.C.: "Social Discovery," New York, 1924
- Tead, Ordway, : "The Art of Leadership", New York, 1935
- Bogardus, E.S.: "Leaders and Leadership", New York, 193.
- Bernard, L.L., : "Introduction to Social Psychology", New York, 1926
- Piffner John. M. and Peasthus, Robert. V.: "Public Administration," New York, The Ronald Press Company, 1960
- Secklon, Hudson : "Organisation and Management,"
- Robert Tannenbaum and Fred Massarik (eds.), "Leadership and Organisation : A Behavioural Science Approach, : London, 1961
- Koontz and O'Donell, Principal of Management, McGraw Hill, New York, 1955

आदिवासी बालिकाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शिक्षा

ज्ञानेन्द्रधर बड़गैया, शोधार्थी, एम.ए. समाजशास्त्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1950 में जनजातीय समुदायों की पहचान कर 212 जनजातीय समुदायों की सूची तैयार कर अनुसूचित जनजातीय अधिनियम 1950 को लागू किया गया। इस सूची में सभी जनजातीय समुदाय अनेक कारणवश शामिल नहीं किये जा सके। फलतः काफी विरोध के बाद इसे ध्यान में रखते हुए “पिछड़ी जाति आयोग” का गठन किया गया जिसके अनुमोदन से पूर्व में बनाई गई सूची संशोधित की गयी। इसके साथ ही “राज्य पुनर्गठन कानून” लागू किया गया जिसके तहत राज्य की सूचियों में परिवर्तन हुआ। “इन सूचीबद्ध जनजातियों को ही अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।” अभी भी बहुत से जनजातीय समुदाय इस सूची में शामिल नहीं हो पाये हैं।

संविधान निर्माताओं ने इनके अविकसित रूप को ध्यान में रखकर इन्हें विशेष महत्व देते हुए, विकास हेतु संविधान के विभिन्न भागों और धाराओं में इनके लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की। भारतीय संविधान के तृतीय भाग—मौलिक अधिकार, चतुर्थ भाग—राज्य की नीति निर्देशक तत्व, दशम भाग—अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, द्वादश भाग—संपत्ति इत्यादि, सोलहवां भाग—विशिष्ट प्रयोजन के द्वारा इनके विकास को अनिवार्य माना है। इसके लिये भारत सरकार ने काफी सराहनीय प्रयास किये हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति की गई है। संपूर्ण भारतीय जनजातियों की सहायता हेतु संविधान के 338 वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों के लिये पृथक कमिशनर की नियुक्ति की गयी इन्हें विशेष अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग एक करोड़ इंक्यानवे लाख थी। सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग दो करोड़ पच्चीस लाख हो गयी। पुनः 1961 की जनगणना की प्रस्तुति पर उनकी संख्या लगभग दो करोड़ निन्यानवे लाख गयी। सन् 1971 की जनगणना प्रतिवेदन को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उनकी उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अनुसार उनकी जनसंख्या तीन करोड़ अस्सी लाख पन्द्रह हजार बासठ हो गयी। सन् 1981 की जनगणना के प्रथम प्रतिवेदन के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल आबादी (असम को छोड़कर) पांच करोड़ सोलह उन्नतीस हजार हो गयी। 1971 से 1981 के बीच जनजातीय जनसंख्या में वृद्धि लगभग दो करोड़ की हुई।

तालिका – 1

(संदर्भ सूत्र—भारतीय जनगणना 1971)

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या (लाख में)	जनजातीय संख्या (लाख में)	प्रतिशत में
1.	आन्ध्र प्रदेश	435.03	16.50	3.81
2.	অসম	149.58	19.20	12.48
3.	बिहार	563.53	49.33	8.76
4.	ગુજરાત	266.97	37.34	13.99
5.	હરિયાણા	100.37	—	—
6.	હિમાચલ પ્રદેશ	34.60	1.42	4.09
7.	જમ્મૂ ઔર કશ્મીર	46.11	—	—
8.	કेરल	213.41	2.69	1.26
9.	મધ્યપ્રદેશ	116.54	83.87	20.14

10.	महाराष्ट्र	504.11	29.54	5.86
11.	मणिपुर	10.73	3.34	31.17
12.	मेघालय	10.12	814	80.43
13.	कर्नाटक	292.99	2.31	0.79
14.	नागालैण्ड	5.16	4.58	88.61
15.	उड़ीसा	419.45	50.72	23.11
16.	पंजाब	135.51	—	—
17.	राजस्थान	257.66	31.26	12.13
18.	तमिलनाडु	411.99	3.12	0.76
19.	त्रिपुरा	15.66	4.51	28.95
20.	उत्तर प्रदेश	883.42	1.99	0.22
21.	पश्चिम बंगाल	443.12	25.33	5.72

तालिका – 2

केन्द्र शासित प्रदेश

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या (लाख में)	जनजातीय संख्या (लाख में)	प्रतिशत में
1.	अण्डमान—निकोबार द्वीप समूह	1.15	8.18	15.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.68	3.69	79.02
3.	चण्डीगढ़	2.57	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	0.74	0.64	66.89
5.	दिल्ली	40.66	—	—
6.	गोआ, दमन और द्वीप	8.58	0.08	0.93
7.	लक्ष्मीप	0.32	0.30	93.75
8.	पाण्डिचेरी	4.72	—	—

विभिन्न राज्यों में जनजातियों की जनसंख्या — 1981

संदर्भ सूत्र – भारतीय जनगणना – 1981 / भारत

खंड-II ब (iii)

क्रम सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,176
2.	बिहार	5,811
3.	गुजरात	4,948
4.	हिमाचल प्रदेश	197
5.	कर्नाटक	1,825
6.	मध्यप्रदेश	11,987
7.	केरल	261

8.	महाराष्ट्र	5,772
9.	मणिपुर	388
10.	मेघालय	1,076
11.	नागालैण्ड	651
12.	उड़ीसा	5,915
13.	राजस्थान	4,183
14.	सिक्खिम	74
15.	तमिलनाडु	520
16.	त्रिपुरा	584
17.	उत्तर प्रदेश	233
18.	पश्चिम बंगाल	3,71
केन्द्र शासित प्रदेश		
19.	अण्डमान—निकोबार द्वीप समूह	22
20.	आरुणाचल प्रदेश	441
21.	दादरा और नगर हवेली	82
22.	गोआ, दमन और द्वीप	11
23.	लक्ष्द्वीप	38
24.	मिजोरम	462
	कुल	51,629

जनजातियों का भौगोलिक वितरण :-

भारत में जनजातियों के भौगोलिक वितरण को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम बी.एस.गुहा (1951) ने इसे तीन जनजातियों क्षेत्रों में विभक्त किया :-

1. उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र —सम्मिलित क्षेत्रों पश्चिम की ओर शिमला व लेह, पूर्व की ओर लसाई पर्वत और मिशामी मार्ग, इन क्षेत्रों में जनजाति समुदाय पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, असम व सिक्खिम में पाये जाते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य जनजातियां रांभा, खासी, अका, डफला, मिरी, अपातानी, नागा, कुकी लुसाई लेपचा, गारो, गैलोंग, जौनसारी, लरवेरी, कर्णफूली, थारू, गुज्जर व लाम्बा हैं।

2. मध्यवर्ती क्षेत्र —इस क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दक्षिणी राजस्थान में उत्तरी मुण्डा, उर्डोव, हो, खोंड, भूमिज, लाधा, कोरा, गोंड, बैगा, भील मीना दामर आदि हैं।

3. दक्षिण क्षेत्र —इस क्षेत्र के मुख्य जनजातीय प्रदेश हैदराबाद, मैसूर, आन्ध्रप्रदेश तमिलनाडु और कोचीन हैं। अनेक जनजातियां अण्डमान—निकोबार द्वीप समूहों में निवास करती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां चेन्चु, इरुला, पनियन, कादार, टोडा, कोटा तथा पुलयन आदि हैं।

मजूमदार एवं मदान ने भी गुहा के ही वितरण आधार को स्वीकार करते हुए जनजातियों को तीन ही भागों में वितरित किया है।

श्यामाचरण दुबे (1960) ने चार क्षेत्रीय विभाजन किये हैं :-

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र

2. मध्यवर्ती क्षेत्र

3. दक्षिणी क्षेत्र

4. पश्चिमी क्षेत्र

इसमें तीन तो गुहा के ही समान हैं पर चौथे के अंतर्गत मध्यवर्ती क्षेत्र में राजस्थान और महाराष्ट्र एवं गुजरात के सहयाद्री के जनजातियों का पश्चिमी क्षेत्र माना गया है।

योगेश अटल (1960) ने भी इसे निम्नलिखित चार क्षेत्रों में बांटा है।

1. उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र

2. पश्चिम एवं उत्तर – पश्चिमी क्षेत्र

3. मध्यवर्ती क्षेत्र

4. दक्षिण क्षेत्र

बी.के.राय वर्मन ने (1971) ने विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समूहों के ऐतिहासिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इन्हें निम्नांकित पांच भागों में विभक्त किया है –

1. उत्तर पूर्वी भाग – इसके अंतर्गत असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं त्रिपुरा आते हैं।

2. उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भारत का उप हिमालयी क्षेत्र – इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र एवं हिमाचल प्रदेश आते हैं।

3. मध्य एवं पूर्वी भारत – इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा आन्ध्रप्रदेश को शामिल किया गया है।

4. दक्षिणी भारत – इसके अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक रखे गये हैं।

5. पश्चिमी भारत – यह राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र को मिलाकर माना गया क्षेत्र है।

ऊपर दिये गये वर्गीकरणों को पुनः संवारते हुए ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने 1976 में एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने चार प्रधान क्षेत्र चुने एवं द्वीप समूहों का एक अलग क्षेत्र माना। विद्यार्थी द्वारा वर्गीकृत क्षेत्र निम्नांकित हैं—

1. **हिमालय क्षेत्र** – इसके अंतर्गत उन्होंने तीन उपक्षेत्र माने हैं। (क) उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र (ख) मध्यवर्ती हिमालय क्षेत्र (ग) उत्तर-पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र (दार्जिलिंग) अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा रखा है। मध्यवर्ती हिमालय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर को मिलाकर बनाया गया है। इस क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या 12.33 प्रतिशत है।

2. मध्य भारतीय-क्षेत्र —यह क्षेत्र बिहार, पश्चिमी बंगाल उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश का सम्मिलित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जनजातियों की सर्वाधिक आबादी 55.4 प्रतिशत रहती है।

3. पश्चिमी भारतीय क्षेत्र —इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवली आते हैं। यहां की जनजातियों की संख्या लगभग एक करोड़ है। इस क्षेत्र में 26.1 प्रतिशत जनजाति निवास करती है।

4. दक्षिणी भारतीय क्षेत्र —इसमें उन्होंने आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को रखा है। इस क्षेत्र में 6.49 प्रतिशत जनजाति निवास करती है।

5. द्वीप समूह क्षेत्र —इस नये क्षेत्र को एकदम पृथक रखना विद्यार्थी का सराहनीय कदम है क्योंकि इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों के विषय में अभी भी जानकारी नहीं है। यथा — सोणे, जारवा, सेन्ट्रेनेलिम इत्यादि। इस क्षेत्र में अन्डमान — निकोबार द्वीप समूह एवं लक्ष्मीप को रखा गया है।

इस क्षेत्र में जनजातियों की अनुमानित संख्या 0.13 प्रतिशत है।

यहां एक तालिका के माध्यम से इन क्षेत्रों में पायी जाने वाली प्रमुख जनजातियों के नाम दिये जा रहे हैं —

भौगोलिक क्षेत्र	प्रमुख जनजातियों के नाम
1. हिमाचल क्षेत्र	गद्दी, गुज्जर, भोट, किन्नौरा, थारू, कुकी, मिजो, कचारी, हमार, बिमसा, नागा आदि। अनेक उपजातियां भी है यथा, त्रिपुरी, रियान, थड़ाऊ आदि।
2. मध्य भारतीय क्षेत्र	संथाल, मुण्डा, उरॉव, हो, भूमिज, लोधा, कोया, खोण्ड, गोंड, सोवर, गडबा, कमार, बैगा, भूईबॉ, कोरकू, हल्बा आदि
3. पश्चिम भारतीय क्षेत्र	मीना, भील, डफलो, घाटिया, गमीत सहयाद्री, कोनी, महादेवी, कोंकण आदि।
4. दक्षिण भारतीय क्षेत्र	गोंड, कोया, अण्डी, भेरुकूलू, कोण्डा डोरा, इरुला, माला, कुरावान, नैकाडा, यरावा, पुलियन, पनियन, कादर आदि।
5. द्वीप समूह क्षेत्र	अण्डमानी, ओंगे, जरावा, शॉप्पेन, सेन्ट्रेनेलस आदि।

प्रजातीय सादृश्य —भारत की जनजातियों का प्रजातीय तत्वों के आधार पर अध्ययन करने के बाद विभिन्न, विद्वानों यथा — बी.एन.गुहा (1935) एवं डी.एन. मजूमदार (1944), हर्बर्ट होप रिजले (1991) ने इन्हें वर्गीकृत किया है। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले प्रजातियों के वस्तुतः कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। अतः प्रमाणों के अभाव में प्रजातीय तत्वों की चर्चा के संबंध में मदान एवं मजूमदार का कथन कि “भारतीय प्रजातीय इतिहास संबंधी सभी ऐतिहासिक निर्मितियों को अटकल-बाजियों पर आधारित करना पड़ता है,” पूर्णतः सत्य है। वैसे वर्तमान समय में प्रजातीय अवधारणाओं की चर्चा करने की परंपरा का अन्त हो चुका है।

नृश्वसिति के आधार पर रिजले ने सर्वप्रथम भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए इसे सात प्रजाति प्रकारों में विभाजित किया है। वे हैं —

1. तुर्क— ईरानी
2. इण्डो— आर्य
3. साइथो— द्रविड़

4. आर्य – द्रविड़

5. मंगोल – द्रविड़

6. मंगोल

7. द्रविड़

इन सातों प्रकारों को तीन मूल प्रकारों यथा – मंगोल, द्रविड़ और इंडो – आर्य का विस्तार माना जा सकता है। भारतीय जनजातियों की प्रजाति का संबंध द्रविड़ एवं मंगोल के साथ माना जाता है। यहां उपरोक्त सातों प्रजातियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण देना उपयुक्त होगा।

1. तुर्क – ईरानी—इस प्रजाति में रिजले ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त के अफगान और बलूचिस्तान के बलोच और ब्राह्मी लोगों को रखा है। ये लोग तुर्की और ईरानी तत्वों के सम्मिश्रण का प्रतिफल हैं। इनका औसत से ऊंचा कद, गोरा रंग, काली या भूरी आँखे, चौड़ा सिर, लंबी नाक और अधिक बालयुक्त सिर होता है।

2. इण्डो–आर्य—इस प्रजाति के लोग पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में पाये जाते हैं। इनका कद ऊंचा, रंग गोरा, आँखे काली, चेहरे पर घने बाल, लम्बा सिर, पतली नाक होती है।

3. सायथो–द्रविड़—मध्यप्रदेश, गुजरात और कुर्ग के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रजाति के लोग पाये जाते हैं। इसके मुख्य प्रतिनिधि महाराष्ट्र के मराठा ब्राह्मण कुर्गवासी कुर्ग और गुजरात के नगर ब्राह्मण हैं। इस प्रजाति का निर्माण, सायथियन एवं द्रविड़ तत्वों से माना गया है। इनका सिर चौड़ा, कम दाढ़ी–मूँछे, मध्यम कद, सुन्दर नाक (अधिक लम्बी नहीं) तथा रंग गोरा होता है।

4. आर्य–द्रविड़—इसमें पंजाब की पूर्वी सीमा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, और बिहार के कुछ भागों में पाये जाने वाले समूह हैं। इनका सिर लम्बा, कद मध्यम, हल्का भूरा या काला रंग तथा नाक इण्डो–आर्य से थोड़ी चौड़ी होती है। इनका कद भी उनसे कम होता है।

5. मंगोल–द्रविड़—बंगाल और उड़ीसा में पाये जाने वाले कुछ मानव समूह इस प्रजाति के अन्तर्गत रखे गये हैं। इसे मंगोल और द्रविड़ का मिश्रित रूप माना गया है। इनका सिर चौड़ा, नाक मध्यम, कहीं–कहीं चपटी, रंग काला, कद मध्यम और चेहरे पर घने बाल होते हैं।

6. मंगोल–उत्तर—पूर्वी भारत में इस प्रजाति के अधिकतर लोग पाये जाते हैं। विशेषकर नेपाल एवं असम में इनकी संख्या अधिक है। इनका सिर चौड़ा, रंग पीला, दाढ़ी मूँछ के नाम पर नगण्य बाल, कद काफी छोटा यानि औसत से कम, नाक पतली और चौड़ी दोनों प्रकार की, चेहरा चौड़ा, आँखों के ऊपर मॉस की मोटी परत के कारण पलकें झुकी हुई होती हैं।

7. द्रविड़—तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश विशेषकर हैदराबाद, मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग एवं बिहार के छोटा नागपुर में इस प्रजाति के लोग पाये जाते हैं। इनके सर्वप्रमुख प्रतिनिधि पनियन और छोटा नागपुर के संथाल हैं। इनका कद छोटा, रंग काला, घुंघराले बाल, काली आँखे, लम्बा सिर, और नाक बहुत चौड़ी होती है।

भारतीय जनजातियों की प्रजातीय रचना का वर्गीकरण गुहा ने 1952 में प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है:—

1. दक्षिण भारत के कादर, इरुला और पर्नियान अपने घुंघराले बालों के कारण निश्चित रूप में निश्चिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. भारत के मध्य क्षेत्र की जनजातियों को प्रोटो—ऑस्ट्रेलायड का सदस्य कहा गया।
3. उत्तर पूर्वी भारत के चौड़े सिर वाले मंगोलायडों में आँख और चेहरे से संबंधित विशिष्ट लक्षण पाये गये।
4. मध्यम कद, ऊंचे सिर वाले, मध्यम नाक वाले थोड़े भिन्न प्रकार के मंगोलायड ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र के निवासी हैं।

1931 की जनगणना के दौरान गुहा ने केवल 2000 सिरों का नृतत्वमितिक मापन किया था। अपने अध्ययन के निष्कर्षों को गुहा ने पर्याप्त सांख्यिकीय समर्थन नहीं दिया है ताकिये स्वीकार्य हो सकें। साथ ही नमूनों का औसत आकार अपर्याप्त है। नमूनों के बीच अन्तर करने हेतु प्रयुक्त सी. आर. एल. विधि भी व्यापक रूप में स्वीकृत विधि नहीं है। सरकार ने भी निप्रिटी तत्व सिद्धांत के इतिहास की रचना की है किन्तु नृतत्वकमिति एवं सीरम विज्ञान के आधार पर भारत में इनकी खोज करने में उनकी असफलता का उल्लेख भी इन्होंने किया है।

उपरोक्त तथ्यों की जानकारी के बाद निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में प्रजातीय तत्वों की अक्षुणता नहीं रही वरन् व्यापक रूप में इन तत्वों का सम्मिश्रण हुआ है। प्रजातीय रचना के संबंध में नये तत्वों या विचारों पर वर्तमान समय में शायद ही कोई कार्य चल रहा हो क्योंकि इस तरह का कोई अध्ययन प्रकाश में नहीं आया है।

“छोटा नागपुर के उरांव जनजातियों का विवाह पूर्व के तीन संस्कार”

डॉ. ए. तिर्की, सहायक प्राध्यापक(इतिहास) शा. जे. पी. वर्मा स्नातकोत्तर, कला-वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

संस्कार —प्रत्येक समाज में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संसार के प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ निर्धारित संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में कुछ कर्मकाण्ड, आचार-विचार तथा अनुष्ठान पाये जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो संस्कृति जितनी अधिक प्राचीन होती है उसमें संस्कारों का महत्व भी उतना ही अधिक होता है। यह समाज चाहें पश्चिम का भौतिकवादी समाज हो अथवा पूर्णतया एक आदिम समाज हो, इसमें जीवन के कुछ विशेष स्तरों पर संस्कारों की विद्यमानता अवश्य ही मिलेगी।

संस्कार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। संस्कार का शाविदिक अर्थ शुद्धि, सुधार या साफ—सफाई है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन को परिशुद्ध करने के लिए समुचित ढंग से किये गये कार्य पद्धति को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार शब्द का अधिक उपयुक्त पर्याय अंग्रेजी का Sacrament शब्द है। जिसका अर्थ “शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिस्कार के लिए किये जाने वाले अनुष्ठानों से है जिससे वह (व्यक्ति) समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके।” संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संस्कार का अर्थ उन “पवित्र अनुष्ठानों से है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिस्कार के लिए किये जाते हैं।” इस अर्थ में जन्म संस्कार से मृत्यु तक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित कृत्यों की एक जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रकार संस्कारों को इतना महत्व दिया जाता है तथा यह विश्वास किया जाता है कि संस्कारों को सम्पन्न किये बिना व्यक्ति का जीवन कदापि पूर्ण नहीं होता।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि संस्कार वह धार्मिक विधि—विधान है जो प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति के जैविक, मानसिक और सांस्कृतिक जीवन का परिस्कार करके उसे एक सामाजिक, सांस्कृतिक प्राणी बनाने में सहायक होता है। यह व्यक्ति के क्रमिक विकास की प्रक्रिया से सम्बन्ध है तथा संस्कार का कार्य व्यक्ति की आन्तरिक क्षमताओं का सही रूप में मार्ग—निर्देशन करना है। संस्कार वे माध्यम हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों को समाज के मूल्यों प्रतिमानों तथा आदर्शों से परिचित कराया जाता है तथा उन आदर्शों के अनुरूप समाज में व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है।

प्रत्येक समाज में कुछ निर्धारित संस्कार होते उरांव समाज भी निश्चित व निर्धारित संस्कारों का पालन करता है जो निम्नानुसार है :—

(1) जन्म संस्कार :—

जन्म संस्कार मानव जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके माध्यम से एक नये मानव का इस संसार में पदार्पण होता है। यह माता—पिता के साथ परिजनों के लिए विशेष खुशी का दिन होता है।

(क) गर्भधारण संस्कार :—

उरांव परम्परा के अनुसार जब बहु गर्भवती होती है तब उसे प्रथम संस्कार से सम्पन्न किया जाता है जिसे ‘अचरैल कमना’ अथवा ‘जोदा कमना’ कहा जाता इस संस्कार को गर्भवती होने के दो से पांच महीने के अन्दर सम्पन्न किया जाता है। इस संस्कार को सम्पन्न करने का मकसद गर्भस्थ शिशु और माँ पर किसी प्रकार की विपत्ति न आये। कहा जाता है कि इस संस्कार को सम्पन्न नहीं करने पर प्रसव में व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि प्रसव ठीक—ठीक हो भी जाए तो माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। इस संस्कार के अभाव में जच्चा—बच्चा दोनों को बीमार होने की आशंका बनी रहती है तथा होने वाली सन्तान शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग भी पैदा हो सकता है। इस संस्कार को सम्पन्न कराने की प्रक्रिया में वर—वधु दोनों परिवार के सदस्य उपस्थित रहते हैं। इस संस्कार को सम्पन्न कराने के लिए कई आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। एक विशेष पूजन विधि द्वारा इस संस्कार को सम्पन्न किया जाता है। इस पूजन विधि के अनुसार पशुओं की बलि दी जाती है। इस बलि में भेड़ या सूअर होता है। इस संस्कार में जो भी व्यय होता है उसे वर—वधु दोनों परिवार

वहन करते हैं। इस संस्कार के पश्चात् गर्भवती महिला निश्चित होकर सभी पारिवारिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने का अर्थ होता है कि शारीरिक रूप से वह तंदुरुस्त रहती है तथा प्रसव के दौरान उसे कष्ट कम होगा। समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिसे पति-पत्नी को मानना पड़ता है। गर्भवती महिला को अकेले कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाता है। साथ में यह भी परम्परा है कि गर्भवती महिला के साथ-साथ उसके पति को भी शमशान में जाना निषेध होता है। ताकि होने वालीसन्तान पर किसी भूत-प्रेत का नजर न लग जाए। गर्भवती महिला को पारिवारिक कार्यों में सक्रिय योगदान तो देती है पर बोझा ढोने के कार्योंसे उसे बचना पड़ता है।

कभी-कभी मरे हुए बच्चे का जन्म होता है जिसे “फेंकवा बच्चा” कहा जाता है। ऐसे बच्चे को गोबर गड्ढे में गाड़ते हैं। कभी-कभी जन्म के समयही बच्चे का दांत पाया जाता है। ऐसे बच्चे को “राक्षस बच्चा” याने भूत-बच्चा कहा जाता है। ऐसे बच्चे को नमक देकर मार डाला जाता है। वर्तमान समाज में यह गलत परम्परा लगभग समाप्त हो गया है। लोगों की धारणा है कि ऐसे बच्चे जन्मने से स्त्री विधवा होती है। कभी ऐसे बच्चे का जन्म भी होता है जिसकी नाभि मरी हुई नहीं होती है। इसको “सतमास” कहा जाता है। ऐसे बच्चे के जीने की संभावना कम रहती है। आठ महीनेमें भी जन्म होता है जिसे “आठमास” कहा जाता है। ऐसा बच्चा बहुत कमज़ोर होता है।

(ख) लिंग पहचान की विधि :-

उरांव समाज में बहुत कुछ लोगों को लिंग पहचानने की विधि का भी ज्ञान होता है। यदि गर्भ में लड़का हो तो माँ की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं :-

माता का चेहरा मायूस दिखाई देता है, चलते समय वह दाहिने पैर को घसीटती हुई आगे बढ़ती है, वह दाहिना हाथ अधिक हिलाती है और आगे फेंकती जाती है। बैठते वक्त वह दाहिनी ओर अधिक झुककर बैठती है, उसका शरीर बोझ से हमेशा दाहिनी ओर झुका रहता है। जब गर्भवती स्त्री पतली हो, उसकी आंखे घुसी हुई हो और वह बैठने के पश्चात् जमीन से उठते समय दाहिने हाथ का आधार लेती तो निश्चित ही लड़का जन्म होता है।

यदि गर्भ में लड़की हो तो माता की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं:-

माता का चेहरा मायूस नहीं बल्कि सामान्य रहता है। माता चलते समय बायां पैर जमीन पर घसीटती जाती है और बायां हाथ अधिक हिलाती और फेंकती है। यदि उठते समय बाये हाथ का आधार लेकर उठती है तो गर्भ में लड़की होती है।

गर्भधारण तथा अन्य बीमारी के लिए औषधि का ज्ञान :-

यदि किसी दंपत्ति को सन्तान प्राप्त न हो तो इनका इलाज देशी जड़ी-बूटी से किया जाता है। यदि प्रसव के बाद माँ-बच्चे को यदि किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी हो तो इस समस्या का समाधान भी देशी जड़ी-बूटी से ही किया जाता है। यदि किसी दम्पत्ति को आगे और सन्तान नहीं चाहिए या दो बच्चों के बीच समय का अन्तराल रखना हो तो भी देशी जड़ी-बूटी की दवाई दी जाती है। इसके अतिरिक्त मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक धर्म की अधिकता, मासिक धर्म का कम होना, बार-बार गर्भपात, गर्भवस्था में रक्तस्त्राव, एक बच्चा होने के बाद दूसरा नहीं होने पर, शीघ्र प्रसव के लिए, प्रसव के पश्चात् पेट दर्द, दूध नहीं होने से दूध बढ़ाने के लिए तथा अन्य सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान देशी जड़ी-बूटी से किया जाता है।

(ग) जन्म के समय “कुसरैन”(मितानिन) की मदद :-

प्रसव के समय “कुसरैन” एवं बुजर्ग महिलाएं प्रसूता स्त्रीकी मदद करती हैं। आजकल “कुसरैन” को मितानिन का नाम दिया गया है। यदि प्रसव सरलता से न हो, किसी तरह की कठिनाई हो रही हो तो ओझे के माध्यम से धुवन उड़ाते तथा आवश्यकता अनुसार भेट चढ़ाते हैं। अब बच्चे का जन्म होता है तो कुसरैन नाभी-नाड़ी को लगभग छः इंच लम्बा छोड़कर

धागे से बांध देती है। इसके पश्चात् गुनगुने सादे पानी से नवजात शिशु को नहलाया जाता है। प्रसूता के दर्द और थकावट को दूर करने के लिए उसे थोड़ा दारु दिया जाता है यह माना जाता है कि यह रक्तस्राव को कम करने में मदद करता है। जन्म के दिन में खुशियाली में हाँडिया बांटा जाता है। निकट संबंधी आकर इस खुशी में शामिल होते हैं। जन्म के चार-पांच दिनों के पश्चात् नाभि अपनेआप गिर जाता है। इसे घर के दरवाजे के पास चुप-चाप गाड़ दिया जाता है।

(2) छठी या नामकरण संस्कार :-

इस संस्कार में तीन बातें आती है— माँ का शुद्धिकरण, शिशु का मुण्डन तथा बच्चे का नामकरण। यह रस्म बच्चे के जन्म लेने के पश्चात् छठवें दिन में सम्पन्न होने के कारण छठी कहलाता है। उरांव समाज में बच्चे की छठी एवं नामकरण संस्कार को समारोह के साथ उल्लासमय वातावरण में सम्पन्न किया जाता है। इस विशेष दिन में बच्चे के माता-पिता के द्वारा अपने समस्त सगे-संबंधियों को तथा गांव के प्रायः सभी परिवारों को आमंत्रित किया जाता है। इसी दिन बच्चे का नामकरण तथा बच्चे की माँ का शुद्धिकरण उरांव समाज के परम्परा के अनुसार सम्पन्न किया जाता है। माँ का शुद्धिकरण की विधि के अनंसार छठी के दिन उसके विस्तरा-कपड़े आदि साफ किया जाता है। घर की सफाई के लिए गोबर से लिपाई किया जाता है। तब प्रसूता स्वयं को हल्दी और सरसों का तेल से साफ करते हैं तथा नये कपड़े पहन कर पानी लाने के लिए डाढ़ी (कुंआ का छोटा रूप) या कुंआ जाती है। साथ में वह घड़ा, दोना में सिंदूर, सरसों का तेल, आग धुवन तथा अरपन चावल लेकर जाती है, डाढ़ी पहुंचकर वह आग में धुवन जलाती, अपरन, छिट्टी, तेल सिंदूर मिलाकर डाढ़ी के लकड़ी या पत्थर पर टीका देती है और वह उसे तीन बार सलाम करके अपने ऊपर डाढ़ी का पानी छिड़कती है। अंत में घड़े में पानी लेते हुए घर बापस आती है। माँ के शुद्धिकरण के पश्चात् बच्चे के शुद्धिकरण के लिए उसके सिर के बाल का मुंडनकिया जाताहै। इसके लिए आंगन में पूरब-पश्चिम चटाई बिछाकर एक बड़ी थाली और एक सरई पत्ती का दोना रखा जाता है। उसके पश्चात् दादा या नाना अथवा कोई अन्य बाल उतारने के लिए उस्तरा लेकर आता है और बच्चे का बाल को भिगाकर उसका मुंडन कर दिया जाता है। मुंडन के समय बच्चे के बाल को एक दोने में सहेजकर रखा जाता है। इसके पश्चात् बच्चे के नामकरण संस्कार की रस्म शुरू होता है। यदि शिशु लड़का हो तो परिवार के दादा या नाना से पितर (मित्र) और यदि लड़की हो तो दादी या नानी से पितर (सखी) की खोज अरवा चावल को थाली में भय पानी के ऊपर छोड़कर की जाती है। इस विधि को सम्पन्न करने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चटाई में बैठ जाते हैं। तथा उनके सामने एक थाली में पानी एवं एक दोने में धान रखा जाता है। उसी दोने में दूब घास, हल्दी, और एक रुपये का एक सिक्का भी रखा जाता है। इसके पश्चात् उस रस्म की सफलता के लिए ईश्वर तथा पूर्वजों से प्राथना उरांव भाषा में की जाती है। प्रार्थना में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है— ‘हे इहलोक और परलोक के हमारे पूर्वजों, हम लोग आप सबों से आशिष मांग रहे हैं। हमारी जो भी गलती हो, क्षमा कीजिए। हम सबों को सकुशल रखिए। हम पंचगण दसों अंगुलियों से दुहाई दे रहे हैं। हे महाप्रभु—ईश्वर हम नीचे पंचगण और स्वर्ग में परमेश्वर-पंचों पर आपकी दृष्टि हैं आप कौनहै और किसके साथ जुड़े हैं? बता दें न छिपाएं।’ इस प्रार्थना के पश्चात् उन बैठे पंचों में से कोई एक बुजुर्ग धान का एक दाना लेकर उसका छिलका नाखूनों से हटाता है। और चावल के दाने को थाली के स्थिर पनी पर सावधानी से छोड़ता है। यह चावल का पहला दाना ईश्वर के नाम पर होता है।

दूसरा चावल पंचों के नाम पर थाली में रखे पानी पर छोड़ा जाता है। तत्पश्चात् चावल का तीसरा दाना शिशु के नाम से जल पर छोड़ते हुए किसी पूर्वज का नाम लिया जाता है। पानी पर गिराये गये तीनों चावल को पानी में तैरते रहना चाहिए। यदि ईश्वर के नाम से पानी पर छोड़ा गया चावल का पहला दाना और शिशु के लिए उसके पूर्वजों के नाम डाले गये चावल का तीसरा दाना थाली में रखा पानी पर तैरते हुए दोनों आपस में जुड़ जाएं तो पानी में छोड़ते वक्त जिस पूर्वज का नाम लिया गया हो उसी का नाम शिशु को दिया जाता है। इस समाज में ऐसी मान्यता है कि जिस पूर्वज के नाम शिशु का पितर बैठता है उसी पूर्वज का अधिकांश गुण-सूत्र उस बच्चे पर उत्तरता है। इस प्रकार बच्चे का नामकरण तथा माँ का शुद्धिकरण एक दिन सम्पन्न होता है। प्रायः बच्चे का नाम—जन्मदिन या स्थान के नाम से रखा जाता है जैसे :— यदि सोमवार के दिन शिशु का जन्म हुआ हो तो सोमरा/सोमरी नाम रखा जाता है। मंगलवार के दिन जन्म होने पर मंगरा—मंगरी, बुधवार को जन्म लेने पर बुधवा—बुधनी, तथा एतवार को जन्म होने पर एतवा/एतवारी नाम रखा जाता है।

उरांव समाज परिवर्तशील समाज है। आजकल दिनों के नाम से बच्चों का नामकरण की पुरातन पद्धति लगभग समाप्त हो गयी है। वर्तमान में बच्चे के माता—पिता की इच्छानुसार शिशु का नाम रखा जाता है।

यदि बच्चे के नाम से पानी में छोड़ा गया चावल अपने कुल के पूर्वजों के नाम में नहीं जुड़ा तो हल्दी पीसकर पानी के साथ मिलाकर दूब घास पर डालते हुए बच्चे के सिर उड़ेल दिया जाता है। इस विधि से बच्चे को पवित्र किया जाता है। तत्पश्चात् बच्चे को नहलाया जाता है।

इसके पश्चात् बच्चे की दादी दुधनी में हंडिया (जो चावल का बनता है) लाती है तथा सबसे पहले बच्चे का पैर धोते हुए अपनी भाषा में कहती है लो पैर धो रही हूँ गुस्सा न करना और रोना मत। शिशु के पैर धोने के पश्चात् सभी अतिथियों के पैर भी धोये जाते हैं और हंडिया बांटा जाता है। बच्चे को उसकी दादी या नानी सभी लोग अपनी इच्छानुसार पैसे, कपड़े या अन्य चीजें देते हैं। जिसके नाम पर पितर बैठा हो वह बच्चे के कमर में करधानी बांध देता है और वह भी दान करता है। इसके पश्चात् हर्षोल्लास के साथ खान—पान के बाद सभी अतिथियों की बिटाई की जाती है।

बाल्यकाल एवं किशोरावस्था की अन्य रस्में :-

1— उरांव समाज में माताएं अपने बच्चों की देखरेख सावधानी से करती हैं। बचपन में उन्हें बासी पानी से नहलाने का रिवाज है। बच्चे को नहलाने के बाद औषधि युक्त तेल से पूरे शरीर की मालिस की जाती है। बच्चे को भूत—प्रेत का प्रभाव न पड़े या किसी का नजर न लगे इस भय से वे बच्चे के हाथ में कंगन पहना देती हैं। बच्चे की अत्यधिक रोने तथा दूध पिलाने के बावजूद चुप न होने पर माँ बच्चे पर किसी का नजर लगा समझकर आग में सरसों, नमक, मिर्च आदि को जलाकर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है। इस तरह अपने बच्चे की देखभाल पूरी सर्तकता के साथ की जाती है।

2— 5 वर्ष के बाद जब दूध का दांत टूटने लगता है तो टूटे दांतों को घर के छत्त में फेंका जाता है।

3— किशोर अवस्था में माता—पिता अपने बच्चों को प्रत्येक प्रकार के काम—काज की शिक्षा देते हैं। लड़के—पुरुषों के सभी प्रकार के कामों को घर—परिवार में सीखते हैं। हल चलाना, कुदाली चलाना, खेत में बीज बोना, बोझा ढोना, कई तरह के घरेलू सामान बनाना, तथा खेती गृहस्थी के अन्य कार्यों का भी घर में प्रशिक्षण लेते हैं। लड़कियां— चटाई बनाना, सिलाई करना, झाड़ू बनाना, खाना बनाना, आदि अनेक प्रकार के कार्य परिवार से ही सीखती हैं कुछ विशेष कार्यों एवं बातों के प्रशिक्षण के लिए 12 वर्ष के बाद लड़के—लड़कियां दोनों सामाजिक प्रशिक्षण घर “धुमकुड़िया” जाते हैं।

4—**सिक्का बैठाना**— पारिवारिक जीवन में साहस और धैर्य को बढ़ाने के लिए 12 वर्ष की उम्र में ही लड़के अपने बायें हाथ में “सिक्का” बैठाते हैं। इसके लिए वे अपने हाथ में थूक—पानी लगाकर, उस पर सूखा गोबर देकर आग लगा देते हैं या चिथड़े का “सेड़ता” (बत्ती) बनाया जाता है और उसे बांह पर खड़ा कर दिया जाता है तथा ऊपरी छोर पर आग लगा दी जाती है। जिससे हाथ की चमड़ी जलकर चिन्हित हो जाती है। सिक्के की संख्या 3—7 तक होती है। सिक्का बैठाने का तात्पर्य यह होता है कि वे पारिवारिक कार्य—भार संभालने के इच्छुक हैं। इससे उनकी सहन—शक्ति की परीक्षा भी होती है।

5— इसी अवधि में उनका “जुड़ो—चुट्ठी” रखा जाता है। पहले यह नहीं काटा जाता था किन्तु अन्य जातियों द्वारा “झुबलू” कहे जाने के कारण आधुनिक समय में “जुड़ो—चिट्ठी” काटकर उसके सीन में चुंदी रख दिया जाता है। माता—पिता 20—30 सेर धान का मोड़ा बनाकर उसके ऊपर लड़के को बैठाते हैं और उसे सरसों तेल पिलाते हैं। फिर उसके बाल को काटकर “जुड़ो—चिट्ठी” के रूप में चुंदी रख देते हैं।

6—**गोदना** — उरांव लोग अपनी बच्चियों की गोदना कराते हैं ताकि उनमें सभी प्रकार की दुखः—तकलीफों को सहन करने की क्षमता आ जाए। यह 7—8 वर्ष की उम्र में कराया जाता है। गोदना मालारिन बुढ़िया करती है। सर्वप्रथम गोदनेवाली जलते बत्ती को बर्तन से ढककर कालिख तैयार करती है। फिर कालिख में तेल मिलाकर, उसमें खम्भे वाली सूर्ई को डूबा—डुबाकर लड़की की चमड़ी पर बनाये गये चित्र भोकती जाती है। बाद में गुनगुने पानी से धोकर हल्दी और तेल लगा देती है। कुछ

दिनों बाद चमड़ी की ऊपरी परत उड़ जाती है और शरीर पर साफ चित्र दिखाई देता है। गोदना हाथ, पैर, छाती तथा कमर आदि में किया जाता है।

7— इस अवधि में लड़की को सभी प्रकार के श्रृंगार देकर पतरी पर बैठाया जाता तथा उसका पिता उसके बाल को खोल देता है, जिसे उसकी माँ या अन्य औरतें पुनः बढ़िया से बना देती हैं। इसे ही ‘मुलुर खोपा’ कहा जाता है। इसके बाद सें उसके बाल को कोई मर्द नहीं खोल सकता है।

(3) “धुमकुड़िया” :-

धुमकुड़िया दो शब्दों से बना है धुम+कुड़िया। धूम का अर्थ—साथ—साथ सोना तथा कुड़िया का अर्थ—छोटा घर।

उरांव समाज के अविवाहित युवक—युवतियों के सोने के लिये प्रत्येक गांव में दो छोटे घर होते हैं। उसे धुमकुड़िया कहते हैं।

धुमकुड़िया उरांव जन जातियों के पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र है। प्रत्येक गांव में धुमकुड़िया दो प्रकार के होते हैं :-

1. जोंख एड़पा (लड़कों का घर) — जिसमें लड़के प्रशिक्षण लेते हैं।
2. पेल्लो एड़पा (लड़कियों का घर) — इसमें लड़कियां प्रशिक्षण लेती हैं।

प्रत्येक गांव में नाच—नाच तथा सामाजिक—सांस्कृतिक समारोह पंचायत आदि के लिए निश्चित स्थान होता है जिसे उस भाषा में अखाड़ा कहते हैं। जो प्रायः गांव के मध्य में होता है। इस अखाड़ा में गांव—गान से लेकर गांव के प्रत्येक प्रकार के कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं। इसी अखाड़ा के समीप “धुमकुड़िया” होता है। धुमकुड़िया में एक ही बड़ा कमरा होता है। दीवार मिट्टी के बनाये जाते हैं। छत घासफूस या खपरे से ढके होते हैं। जमीन (फर्स) कच्चे होने के कारण इसकी साफ—सफाई के लिए गोबर से लिपाई की जाती है। लड़के—लड़कियों के लिए अलग—अलग धुमकुड़िया बनाया जाता है। लड़के एवं लड़कियां दोनों एक—दूसरे के धुमकुड़ियों में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका अर्थ — पेल्लो एड़पा में लड़कों का एवं जोंख एड़पा में लड़कियों का प्रवेश वर्जित हैं यदि कोई लड़की या लड़का एक—दूसरे के धुमकुड़िया में प्रवेश करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें समाज के द्वारा दण्डित किया जाता है।

धुमकुड़िया में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 12 वर्ष रखा गया है। इस संख्या में लड़के 22 वर्ष की उम्र तक तथा लड़कियां 18 वर्ष की आयु तक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं।

धुमकुड़िया में प्रशिक्षण हेतु युवक—युवतियों को तीन समूहों में बांटा जाता है।

प्रथम समूह में — 12 से 15 वर्ष की आयु तक।

द्वितीय समूह में — 16 से 18 वर्ष की आयु तक।

तृतीय समूह में — 19 से 22 वर्ष की आयु तक।

लड़के—लड़कियां माता—पिता की स्वीकृति व अनुमति से ही धुमकुड़िया में प्रवेश लेते हैं। इस संख्या में भावी जीवन की सफलता के लिए जीवन की सभी पक्षों की शिक्षा दी जाती है। कहा जाता है कि उरांव समाज में धुमकुड़िया का इतना महत्वपूर्ण सीन है कि इसकी सदस्यता ग्रहण किये बगैर लड़के—लड़कियों की शादी सम्पन्न नहीं होती है।

इस प्रकार गांव के प्रत्येक परिवार के लड़के—लड़कियों को धुमकुड़िया की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। धुमकुड़िया में प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात् ही लड़के—लड़कियों को विवाह योग्य माना जाता है।

धुमकुड़िया में प्रवेश हेतु घर—परिवार त्यागना नहीं पड़ता। बल्कि रात में कुछ घन्टे प्रशिक्षण लेने के पश्चात् समस्त प्रशिक्षु धुमकुड़िया में ही सो जाते हैं। वे सभी प्रशिक्षु सुबह अपने पारिवारिक कार्य के लिए अपने घर वापस आ जाते हैं। शाम को पुनः युवक—युवतियों को प्रशिक्षण केन्द्र धुमकुड़िया आना पड़ता है। यह काम निरन्तर जारी रहता है। जब तक कि प्रशिक्षण पूरा न हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- | | |
|--|---|
| 1. तिर्की डॉ. केरुबिम
वर्तमान समस्यायें पृ. 11–12 | छोटा नागपुर के आदिवासीयों का वैवाहिक परपराये एवं
उरांव संस्कृति पृ. 5–10 |
| 2. कुजूर ब्र. मिखाएल एस. जे. | प्रसन्नमुख उरांव पृ. 26–28 |
| 3. तिर्की बोनीफास | आदिवासी आध्यात्मिकता पृ. 33–39 |
| 4. लड़का फा. जोन एस. जे. | भारतीय समाज एवं संस्थायें पृ. 108–110 |
| 5. गुप्ता डॉ. आर. के. | भारतीय समाज व संस्कृति पृ. 441–442 |
| 6. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ | भारतीय समाज संस्थायें व संस्कृति पृ. 166 |
| 7. शर्मा डॉ. रामनाथ | झारखण्ड की जनजातियां पृ. 386 |
| 8. शर्मा डॉ. बिमलाचरण | पृ. 390 |
| 9. वही | मुण्डा एवं उरांव धार्मिक इतिहास पृ. 414–115 |
| 10. मिज डॉ. दिवाकर | |

GOOD GOVERNANCE AND HOLY GITA**Khyati Mishra**

न काढ़्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
 किं नो राज्येन गोविन्द किं भौगैर्जीवितेन या ॥।
 येशामर्थे काढ़्क्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
 त इमेवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्तवा धनानि च ॥।

MEANING OF GOOD GOVERNANCE

The term ‘governance’ includes governmental institutions as well as the informal, non-governmental regulatory mechanisms, governance, thus, is a network of multiple agencies and organisation than fixed government agency or department. In 1992 world bank was the first one to use the concept of governance and good governance.

Conventionally, Governance deals with the capacity of government to designm formulate and implement policies and in general, to discharge government function, It is a type of political system and the manner in which power is exercised in utilising country’s economic and social resources for development.

Good Governance is a type of governance in which everyone is happy, where everyone gets an equal opportunity to develop their full potential. It is related to efficient and effective adminstration in a democratic framework. It aims at improving the quality of life of the people, it includes high level of organisational effectiveness. We can say that Good governance is the adoption of new values of governance to establish greater efficiency, legitimacy and credibility of the system. In all we can say that it is citizens-friendly, citizen-caring and responsive adminstration.

Good Governance would involve role of government only in core, strategic and sovereign functions. This may mean, the government whose primary business is to govern, should govern the least, leaving man, society, institutions and all else to govern themselves. This is reflected in privatisation, coporatisatoin and contracting out, etc. Good Governance is central to creating and sustaining an environment, which fosters equitable development and it si an essential complement to sound economic policies. Empowerment is a precondition of good governance. The feature of good governance are public sector management, legar framework for the development, accountability, information and transparency and empowerment etc. It emphasis on open market friendly and competitive economics, human rights observance and support for democratisation. The application of New Public Management helps in operationalising the concept of good governance.¹

The apporach in Good Governance has been criticised by many persons as an encourachment upon the soverignty of nations. It is said that the donor agencies including World Bank cannot dictate as to which form of governemnt should previal in any country The approach has also been critcised for spreading the gospal of capitalism. The emphasis on preducing the role of government and increasing the role of market appears to paint in this direction. Emphasising a single model of governance by the donor agencies is similar to advocating one best

^{1,2} Vikram, Singh, Public Adminstration, New Delhi, 2007

way of management of the classical theory. It is assumed that the system of ‘Good Governance’ as prevалиing in the developed countries is the panacea for its prevailing in underdeveloped countries. Alternative methdos of collective problems solving by a society should not be ignored.²

The concept of ‘Governance’ is not new. It is as old as human civilization. Simple ‘governance’ means : the process of decision-making and the process by which decisions are implemented not implemented. The concept of ‘Good governance’ derives its relevance in the context of misgovernance-which includes non-feasance, overfeasance and malf-seasance. In many countries the democratic form of government has proved to be ineffective for checking swindling of public funds for private gains by the elected leaders as well as permanent bureaceats misuse of power, fraud, chicanery and embezzlement of funds are systematically perpetrated by the leaders of government and their unions. Mis-governance is found all around, especially in the developing countries, in rampant degree. The concept of good governance becomes attractive as a remedy against this state of affairs. The concept of good governance becomes attaractive as a remedy against this state of affairs. The concept of good government is not new. Kautilya in the treatise Arthashastra elaborated the traits of the king of a well governed state : “in the happiness of is subjects lies his happiness, in their welfare, whatever please himself, he does not consider as good, but whatever please his subjects he considers as good.” Mahatma Gandhi had propounded the concept of ‘Su-raj’.³

Good Governance aims at providing an environment in which all citizen irrespective of class, caste and gender can develop to their full potelial. In addition, good also aim at providing pblic services effectively and equitably to the citizens.

The concept of governance has acquired increased importance since 1990s largely because international aid agencies began to recognise its absence as a serious barrier to economic development of the developing countries, which has been their avowed objective. It is the failure in developmental efforts that brought forth into prominence the need for as well as identification of the principal elements or constituents of good governance. But the pursuit of it is as old as our civilization. The terms ‘good governance’ however comprehends botht he processes and procedures as well as substantial concerns. It is only then that sustainable developed is really possible.⁴

EVOLUTION OF THE CONCEPT

The concept of “good governance” after emerges as a model to compare ineffective economics or political bodies with viable economics and political bodies. The concept centers on the responsibility of governments and governing bodies to meet the needs of the massesas as opposed to select groups in society because contries often described as “most successful” are western liberal democratic states, good governance standards often measure other state institutions against the states. Aid organization and the authorities of developed countires often will focus the meaning of “good governance” to a set of requirements that conform to the organization’s agenda, making “good governance” imply many different things in many different context.

The concept of governance has acquired increased importance since 1990s largely because international aid agencies began to recognize its absence as a series barrier to economic development of the developing countries, which has been their avowed objective. It is the failure in developmental efforts that broughtforth into prominence the need for as well as identification of the principal elements or constituents of good governance. But the pursuit of

³ B.L. Fadia, Dr. Kuldeep Fadia, Public Administration : Administrative Theories and Concepts, Agra, 2011.

⁴ Ibid.

it is as old as our civilization. The term ‘good governance’ however, comprehend both the processes and procedures as well as substantial concerns. It is only then that sustainable development is really possible.⁵

World Bank Document on Sub-Saharan Africa

In 1989, the concept of ‘governance’ was for the first time highlighted in a World Bank Document on Sub-Saharan Africa. By good governance was meant, at that time, sound development management. Four key dimensions identified in this context were :-

- (a) Public Sector Management
- (ii) Accountability
- (iii) Legal Framework for development ; and
- (iv) Information and transparency.

The Book Document in sub-Saharan Africa had this to say : “Improving governance would begin with an assessment of the institutional environment (with emphasis on the key governance elements of accountability, rule of law, openness and transparency which determines the patrimonial profile of the country : high when all other factors are absent and low when they are present”.⁶

World Bank’s document entitled ‘Governance and Development (1992)’, puts it, “governance is defined as the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resources for development’. From its lending experience in many developing countries, the bank came to realize that ‘good governance is central to creating and sustaining an environment which fosters strong and equitable development, and it is an essential complement to sound economic policies. The three distinct aspects are identified in the conceptualization of ‘governance’ :

- (i) The form of political regime (parliamentary or presidential, military or civilian and authoritarian or democratic ;
- (ii) The process by which authority is exercised in the management of a country’s economic and social resources, and
- (iii) The capacity of government to design, formulate and implement policies and in general to discharge government functions.

Recounting its wide experience, the Bank Document narrates vividly the problems of ‘governance’. For instance, despite technical soundness, programmes and projects have often failed to produce desired result.⁷ Laws are not enforced properly and there are after design in implementation. Privatized production and market led growth do not succeed unless investors face clear rules and institutions. In the absence of proper accounting systems, budgetary policies cannot be implemented or monitored. Many a time, procurement systems encourage corruption and distort public investment priorities. Again failure to involve beneficiaries and others affected in the design and implementation of projects has often led to substantial erosion of their sustainability.

⁵ Meetika Srivastava, Good Governance –Concept, Meaning and features : A Detailed Study, Social science research publication, 2009

⁶ Meetika Srivastava, Good Governance –Concept, Meaning and features : A Detailed Study, Social science research publication, 2009.

⁷ Public Administration Administrative Theories and Concepts by Prof. B.L. Fadia, Dr. Kuldeep Fadia.

Against this background of mat-governance, the Bank has attempted to focus on some of the key dimensions of ‘governance’, such as public sector management accountability, the legal framework for development, and information and transparency, as already stated.

The Bank has identified a number of aspects of good governance which has assumed significance for the developed and the developing countries. These factors deal with political and administrative aspects, which are as follows :

- (1) Political accountability including the acceptability of political system by people and regular elections to legitimize the exercise of political power.
- (2) Freedom of association and participation by various religious, social, economic cultural and professional groups in the process of governance.
- (3) An established legal framework based on the rule of law and independence of judiciary to protect human rights, secure social justice and guard against exploitation and abuse of power.
- (4) Bureaucratic accountability ensuring a system to monitor and control the performance of government offices and officials in relation to quality of service, inefficiency and abuse of discretionary power. The related determinants include openness and transparency in administrative.
- (5) Freedom of information needed for formulation of public policies, decision-making, monitoring and evaluation of government performance.
- (6) A sound administrative system leading to efficiency and effectiveness, this in turn, means the value for money and cost effectiveness.
- (7) Co-operation between the government and civil society organisations.

View of OECD Countries

Most pronounced political meaning of ‘governance’ appeared in the policy directives of the OECD countries, laying down conditionalities for receiving economic assistance. The OECD documents sought to link development assistance, with (a) participatory development, (b) human rights, and (c) democratization. The key components of ‘governance’ were identified as :-

- (1) Legitimacy of government
- (2) Accountability of political and official elements of government.
- (3) Competence of governments to make policy and deliver services; and
- (4) Respect for human rights and the Rule of Law.

INDIAN PHILOSOPHICAL UNDERSTANDINGS OF GOOD GOVERNANCE

Modern management practices and theories were developed during the last 150 years, ever since the industrial organisations of the west began to get established. It is a popular belief that globally renowned corporations adopt best practices and manage their organisations very well. Against this backdrop consider the following statistics about how organisations are managed according to a study made in 1997. In his book, *The Living Company*, Geus mentioned that most large and apparently successful corporations are profoundly unhealthy. According to the study, the average life expectancy of Fortune 500 companies was 40-50 years. One third of companies listed in fortune 500 in 1970 vanished by 1983 and 40% of all created companies last less than 10 years. Such a high rate of infant mortality of organisations point to primitive stages of management that we are in today.

If we conduct a survey of managers of modern corporations we may infer that managers in these organisations experience stress, struggle for power and a work environment that stifles rather than releases human imagination, energy and commitment. Many senior executives in companies today will agree to the fact that even after several years of management training we have hardly made significant progress in addressing some of the vexing issues. These include, among others, dealing with people around us, understanding what motivates oneself, doing one's work in the most efficient manner, making leaders for high performance organisations and creating organisation that can live long. On the other hand, we often notice that there is a disconnect between quality of life at large and work life. We also have serious issues about sustenance of firms and the environment in the long run.

Given this state of affairs, it indeed impels one to look for alternative paradigms for better management practices. The goal of this article is to stimulate thinking in the minds of management researcher and practitioners the enormous potential that ancient Indian literature has in suggesting better alternative for management. We will explore some aspects of these from one of the sacred spiritual texts of ancient times, viz, Srimad Bhagavad Gita- a text for spiritual progress and self-realization. Through this article we do not hazard to undermine the primary objective of this holy text nor do we advocate a self-study mode leading to some of the management lessons that one can derive. The sacred texts are to be studied first under the guidance of a competent and spiritually evolved guru. We may later contemplate on multitude of ideas that the texts offer after this initial training. We merely point to the endless list of benefits that the text offers to a management practitioner and illustrate it by culling out some ideas that one may find very useful to apply.

(i) 'Gita' -

India's one of the greatest contributions to the world is Holy Gita.

Arjuna got mentally depressed when he saw his relatives with whom he has to fight. The Bhagavad Gita is preached in the battle field Kurukshetra by Lord Krishna to Arjuna as a counselling to do his duty. It has got all the management tactics to achieve the mental equilibrium.

Good Governance has become part and parcel in everyday life, be it at home, office, factory, government, or in any other organization where a group of human beings assemble for a common purpose, management principles come into play through their various facets like management of time, resources, personal, materials, machinery, finance, planning, priorities, policies and practice.

Good Governance leads to a systematic way of doing all activities in any field of human efforts. It is about keeping oneself engaged in interactive relationship with other human beings in the course of performing one's duty.⁸

It strikes harmony in working-equilibrium in through and actions, goals and achievements, plans and performance, products and markets. It resolves situations of scarcities whether in the physical, technical or human fields through maximum utilization with the minimum available processes to achieve the goal.

The lack of good governance will cause disorder, confusion, wastage, delay, destruction and even depression. Managing men, money and material in the best possible way according to circumstances and environment is the most important and essential factor for a successful governance. Managing men is supposed to have the best tactics. Man is the first syllable in governance which speaks volumes on the role and significance of practices. From the pre-historic days of aborigines to the present day of robots and computer the ideas of governing available resources have been in existence in some form or other. When the world has become a big global village now,

⁸ B. Mahadevam Management Lessons from the Bhagavad Gita, 2008

management practices have become more complex and what was once considered a golden rule is now thought to be an anachronism.⁹

Good Governance Guidelines from Bhagavad Gita

There is an important distinction between effectiveness and efficiency in governance.

- (1) Effectiveness is doing the right things and
- (2) Efficiency is doing things right

The general principle of effective governance can be applied in every field the differences being mainly in the application than in principles. Again effective governance is not limited in its application. Only to business or industrial enterprises but to all organisations.

The functions of Good Governance can briefly summed up as under :-

- (1) Focusing a vision and planning the strategy to realise such vision.
- (2) Cultivating the art of leadership.
- (3) Establishing the institutional excellence and building innovative organisation.
- (4) Developing human resources.
- (5) Team building and team work.
- (6) Delegation, motivation and communication and
- (7) Reviewing performance and taking corrective steps whenever called for

Thus, governance is a process in search of excellence to align people and get them committed to work for a common goal to the maximum social benefit.

The critical question in every governance is how to be effective. The answer to this fundamental question is found in Bhagavad Gita which repeatedly proclaims that 'you try to manage yourself'. The reason is that unless the governance reaches a level of excellence and effectiveness that sets him apart from the others whom he is managing, he will be merely a face in the crowd and not an achiever.

In this context the Bhagavad Gita expounded thousands of years ago by the Super Governance Guru Bhagwan Sri Krishna enlightens us on all governing techniques leading to a harmonious and blissful state of affairs as against conflicts, tensions, lowest efficiency and least productivity absence of motivation and lack of work culture etc common to most of the Indian enterprises today.

The modern governing concepts like vision, leadership motivation source : Bhagavad Gita and Good Governance excellence in work, achieving goals, meaning of work, attitude towards work, nature of individual, decision-making, planning etc., are all discussed in the Bhagavad Gita with a sharp insight and first analysis to drive through our confused grey matter making it highly liable to become a part of the modern governing syllabus. It may be noted that while western design on governance deals with the problems at superficial, material, external and peripheral levels, the ideas contained in the Bhagavad Gita tackle the issue from the grass roots level of human thinking of man is improved, it will automatically enhance the quality of his actions and their results.

⁹ Ibid

The governance thoughts emanating from the western countries particularly the U.S.A. are based mostly on the lure for materialism and a perennial thirst for profit irrespective of the quality of the means adopted to achieve that goal. This phenomenon has its source in abundance in the west particularly the U.S.A. governance by materialism caught the fancy of the countries the world over, India trend.¹⁰ Our country has been in the forefront in importing those ideas mainly because of its centuries old indoctrination by the colonial rulers which included in us a feeling that anything Western is always good and anything Indian is always inferior. Hence our governance schools have sprung up on the foundations of materialistic approach wherein no place of importance was given a holistic view.

Some of the modern governance concepts in the light of the Bhagavad Gita which is a primer of governance by values.

(1) Utilization of available resources

The first thing is to choose wisely and utilise optimally the scarce resources one has to succeed in his venture. During the curtain raiser before the Mahabharata War, Duryodhana chose Sri Krishna's large army for his help while Arjuna selected Sri Krishna's wisdom for his support. This episode gives us a clue as to who is an effective manager.

(2) Work Commitment

The popular verse of the Gita advises non-attachment to the fruits or results of actions performed in the course of one's duty. Dedicated work has to mean 'work for the sake of work'. If we are always calculating the date of promotion for putting in our efforts, then such work cannot be commitment oriented causing excellence in the result but it will be promotion-oriented resulting in inevitable disappointments. By tilting the performance towards the anticipated benefits, the quality of performance of the present duty suffers an account of the mental agitations caused by the anxieties of the future. Another reason for non-attachment to results is the fact that workings of the world are not designed to positively respond to our calculations and hence expected fruits may not always be forthcoming.

So, the Gita tells us not to mortgage the present commitment to an uncertain future. If we are not able to measure up to this height, then surely the fault lies with us and not with the teaching.

Some People argue that being unattached to the consequences of one action would one unaccountable as accountability is a much tauted word these days with the vigilance department sitting on our shoulders. However. We have to understand that the entire second chapter has arisen as a sequel to the temporarily lost sense of accountability on the part of Arjuna in the first chapter of the Gita in performing his suadharma¹¹.

Bhagavad Gita is full of advice on the theory of cause and effect, making the doer responsible for the consequences of his deeds. The Gita, while advising detachment from the avarice of selfish gains by discharging one's accepted duty does not absolve anybody of the consequences arising from discharge of his responsibilities.

This verse is a brilliant guide to the operating governance for psychological energy conservation and a prevent method against stress and burn-outs in the work situations. Learning managerial stress prevention methods are quite costly now days and if only we understand the Gita we get the required cure free of cost.

¹⁰ M.P. Bhattathiry, Bhagavad Gita and Good Governance, www.keralaonline.com

¹¹ B. Mahadevam Management Lessons from the Bhagavad Gita, 2008

Thus, the best means for effective work performance is to become the work itself. Attaining this state of vishkama karma is the right attitude to work because it prevents the ego, the mind from dissipation through speculation on future gains or losses.

It has been presumed for long that satisfying lowre needs of a worker like adequate food, clothing and shelter, recognition, appreciation, status, personality development etc. are the key factors in the motivational theory of personnel management.

It is the common experience that the spirit of grievances from the clerk to the director is identical and only their scales and composition vary. It should have been once the lower order needs are more than satisfied, the director should have no problem in optimising his contribution to the organisation. But more often than not, it does not happen like that; the eagle soars high but keeps its eyes firmly fixed on the dead animal below. On the contrary a lowly paid school teacher, a self-employed artisan, ordinary artists demonstrate higher levels of self-realisation despite poor satisfaction of their lower order needs¹².

This situation is explained by the theory of self-transcendence or self-realisation propounded in the Gita self-transcendence is overcoming insuperable obstacles in one's path. It involves reasoning egoism, putting other before oneself, co-operation, harmony, trust, sacrificing lower needs for higher goals, seeing others in you and yourself in others etc. The portrait of a self-realising person is that he is a man who aims at his own position and underrates everything else. On the other hand the self-transcenders are the visionaries and innovators. Their resolute efforts enable them to achieve the apparently impossible. They overcome all barriers. To reach their goal.

The work must be done with detachment. 'This is because it is the ego which spoils the work'. If this is not the backbone of the theory of motivation which the modern scholars talk about what else is it? I would say that this is not merely a theory of motivation but it is a theory of inspiration.

The Gita further advises to perform action with loving attention to the divine which implies redirection of the empirical self away from its egocentric needs, desires and passion for creating suitable conditions to perform actions in pursuit of excellence. Working for love is freedom in action which is described as disinterested work in the Gita. It is on the basis of holistic vision that Indians have developed the work-ethos of life. They found that all work irrespective of its nature have to be directed towards a single purpose that is the manifestation of essential divinity in man by working for the good of all beings loksangraha. This vision was presented to us in the very first mantra of isopanishad which says that whatever exists in the universe is enveloped by God. How shall we enjoy this life then, if all are one ? The answer it provides is enjoy and strengthen life by sacrificing your selfishness by not coveting other's wealth. The same motivation is given by Sri Krishna in the third chapter of Gita when he says that 'he who shares the wealth generated only after serving the people, through work done as a sacrifice for them, is freed from all the sins. On the contrary those who earn wealth only for themselves, eat sins that lead to frustration and failure¹³'.

The disinterested work finds expression in devotion, surrender and equipoise. The former two are psychological while the third is the strong willed determination to keep the mind free of and above the dualistic pulls of daily experiences. Detached involvement in work is the key to mental equanimity or the state of nirdwanda. This attitude leads to a stage where the worker begins to feel the presence of the supreme intelligence guiding the empirical individual intelligence. Such de-personalized intelligence is best suited for those who sincerely believe in the supremacy of organisational goal as compared to narrow personal success and achievement.

¹² B. Mahadevam Management Lessons from the Bhagavad Gita, 2008

¹³ B. Mahadevam Management Lessons from the Bhagavad Gita, 2008

Work culture means vigorous and orderous efforts in pursuit of a given or chosen task. When Bhagwan Sri Krishna rebukes Arjuna in the strongest words for his unmanliness and irresponsibility in recoiling from his righteous duty it is nothing but a drawn call for the highest work culture. Poor work culture is the result of terms guna overtaking one's mindset. Bhagwan's stinging rebuke is to bring out the temporarily dormant rajo guna in Arjuna. Sri Krishna elaborates on two types of work ethic viz. Daivi sampat or divine work culture and asuri sampat or demonic work culture.

Daivi work culture— means fearlessness, purity, self-control, sacrifice, straightforwardness, self-denial, calmness, absence of fault finding, absence of greed, gentleness, modesty, absence of envy and pride.

Asuri work culture— means egoism, delusion, desire-centric improper performance, work which is not oriented towards service. It is to be noted that mere work ethic is not enough in as much as a hardened criminal has also a very good work culture. What is needed is a work ethic conditioned by ethics in work.¹⁴

It is in this light that the counsel 'yogah karmasu kausalam' should be understood. Kausalam means skill or method a technique of work which is an indispensable component or work ethic. Yogah is defined in the Gita itself as 'samavatvam yogah cehyate' meaning unchanging equipoise of mind. Tikal tells us that performing actions with the special device of an equable mind is yoga. By making the equable mind as the bedrock of all actions Gita evolved the goal of unification of work ethic with ethics in work, for without ethical process no mind can attain equipoise. A.S. says that skill in performance of one's duty consists in maintaining the evenness of mind in success and failure because the calm mind in failure will lead him to deeper introspection and see clearly where the process went wrong so that corrective steps could be taken to avoid such shortcomings in future.

The principle of reducing our attachment to personal gains from the work done or controlling the aversion to personal losses enunciated is the foolproof prescription for attaining equanimity. The common apprehension about this principle that it will lead to lack of incentive for effort and work, striking at the very root of work ethic is not valid because the advice is to be judged as relevant to man's overriding quest for true mental happiness. Thus, while the common place theories on motivation lead us to bandage, the Gita theory takes us to freedom and real happiness.

The Gita further explains the theory of non-attachment to the results of work, the import of which is as under :

If the result of sincere effort is a success, the entire credit should not be appropriated by the doer alone.

If the result of sincere effort is a failure, then too the entire does not accrue to the doer.

The former attitude mollifies arrogance and conceit while the latter prevents excessive despondency, demotivation and self-pity.¹⁵

Thus both these dispositions safeguard the doer against psychological vulnerability which is the cause for the modern manager's companions like diabetes, high B.P., ulcers etc. Assimilation of the ideas behind the Gita leads us to the wider spectrum there is also another dimension in the work ethic. If the karmayoga is blended with bhaktiyoga then the work itself becomes worship, a seva yoga.

¹⁴ B. Mahadevam Management Lessons from the Bhagavad Gita, 2008

¹⁵ B. Mahadevam Management Lessons from the Bhagavad Gita, 2008

The Ultimate Message of Gita for Good Governance - The despondent position of Arjuna in the first chapter of the Gita is a typical human situation which may come in the life as well men of action some time or other. Sri Krishna by sheer power of his inspiring words raised the level of Arjuna's mind from the state of inertia to the state of righteous action, from the state of faithfulness to the state of faith and self-confidence in the ultimate victory of Dharma (ethical action). They are the powerful words of courage, of strength, of self-confidence of faith in one's own infinite power, of the glory, of valour in the life of active, people and of the need for intense calmness in the midst of intense action.

When Arjuna got over his despondency and stood ready to fight, Sri Krishna gave him the gospel for using his spirit of intense action not for his own benefit, not satisfying his own greed and desire but for using his action for the good of many, with faith in the ultimate victory of ethics over unethical action and truth over untruth. Arjuna responds by emphatically declaring that all his delusions were removed and that he is ready to do what is expected of him in the given situation.

Sri Krishna's advice with regard to temporary failures in his actions is 'No doer of good ever ends in misery'. Every action should produce results; good action produces good results and evil begets nothing but evil. Therefore, always act well and be rewarded.¹⁶

And finally the Gita's consoling message for all men of action is : He who follows My ideal in all walks of life without losing faith in the ideal or never deviating from it, I provide him with all that he needs (Yoga) and protect what he has already got (Kshema).

In conclusion the purpose of this article is not to suggest discarding of the western model of efficiency dynamism and striving for excellence but to make these ideals turned to the India's holistic attitude of lokasangraha for the welfare of many, for the good of many. The idea is that these management skills should be India-centric and not America-centric. Swami V. Says a combination of both these approaches will certainly create future leaders of India who will be superior to any that have ever been in the world.

¹⁶ B. Mahadevam Management Lessons from the Bhagavad Gita, 2008

जबलपुर संभाग का आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप

प्रदीप ग्वालिया, एम.ए, एम.फिल (इतिहास)

जबलपुर जिले का आर्थिक स्वरूप –हाथकरघा उद्योग की दृष्टि से म.प्र. का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसका अतीत महिमामय है। म.प्र. आज भी हाथकरघा की बुनाई कला को अपनाये हुए है। शनैः–शनैः यह उद्योग सिमटता जा रहजा है, और आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। प्रदेश का हाथकरघा उद्योग अन्य कुछ राज्यों के समान उच्च शिखर पर नहीं है परन्तु चंदेरी एवं महेश्वर अपनी ऐतिहासिकता के साथ–साथ बुनाई में उत्कृष्टता लिए हुए प्रदेश को गौरव पूर्ण स्थान दिलाये हुए है। प्रदेश में 52,000 हाथकरघा में से लगभग 434,000 करघे कार्यरत हैं।¹ इन पर 1.29 लाख बुनकरों की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। जबलपुर जिले में हाथकरघा पर काम करने की ओर बुनकरों का झुकाव व लगाव वर्ष प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। वस्तुतः जबलपुर जिले में पावरलूम के आगमन के साथ जो कि सन् 1944 में हुआ, हाथकरघा पर काम करने वालों की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। जबलपुर में हाथकरघों पर काम करने वाले बुनकरों की माली हालत अच्छी नहीं है, वें काफी गरीब हैं, यद्यपि सामाजिक विकास के लिए स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18वें सूत्र में हथकरघा उद्योग को महत्वपूर्ण बनाने की पेशकश की थी परन्तु जहाँ तक जबलपुर का प्रश्न है यहाँ के बुनकरों को कोई विशेष लाभ आज तक प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए वे शनैः–शनैः इस उद्योग को छोड़ते चले जा रहे हैं।²

जबलपुर जिले में सार्वजनिक उद्योगों के सहायक इकाई के रूप में कार्य करने वाले लघु व सहायक उद्योगों के विकास एवं इन्हें संगठित रूप प्रदान करने के लिए अधारताल व रिचाई क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र में मुख्यतः लघु व सहायक उद्यमियों को शासकीय सुविधाओं के अनुरूप भूमि एवं शेड तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं।³

जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का जिला एवं संभागीय स्तर पर कार्यालय भी स्थापित है, जहाँ लघु कुटीर, मध्यम, वृहद, उद्योगों की सीपना हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, पंजीयन सुविधा, वित्तीय ऋण सुविधा विभन्न योजनाओं के मध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के संस्थान, हाथकरघा, रेशम बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग, राज्य वित्त निगम, जिला औद्योगिक विकास केन्द्र, प्रशिक्षण संस्थान–उद्यमिता विकास केन्द्र एवं एम. पी. कोन के शासकीय संस्थान भी जिले में स्थापित हैं, जो जिले के उद्यमियों को अपनी उद्योग सीपना संबंधी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं।

जबलपुर जिले के गैर–सरकारी औद्योगिक संस्थान –

वर्तमान में जबलपुर जिला बड़ा औद्योगिक केन्द्र तो नहीं कहा जा सकता लेकिन एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र बनता जा रहा है। यहाँ रेडीमेड कपड़ों का निर्माण करने वाली लगभग 500 इकाई लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत हो गई हैं, और उनके द्वारा उत्पादित माल का विक्रय ऊर्ध्व–दूर तक के व्यवसायिक स्थलों पर किया जार रहा है। जिले के गैर–सरकारी उद्योगों पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि जिले में शॉ वॉलेंस कंपनी, सेण्ट्रल हेचरीज, जबलपुर हेचरीज, फिनिक्स पोल्ट्री, कर्मशियल ऑटोमोबाईल्स, मोहनलाल हरगोविंददास बीड़ी उद्योग जैसी बड़ी इकाईयां कार्यरत हैं और इपसे अनेक क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

जिले में रक्षा संस्थानों से संबंधित प्रमुख वृहद, मध्यम उद्योगों को सम्मिलित करते हुए दस उपक्रम स्थापित है, तथा लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत वर्ष 2003 मार्च तक की स्थिति में 13604 इकाईयाँ पंजीकृत हैं।⁴ जिनमें खनिज एवं कृषि आधारित उद्योगों के अतिरिक्त नट–बोल्ट, चेन लिंक, प्लास्टिक मोल्डेड वस्तुएं, आर.सी.सी.पाईप, कनफेक्सनरी, पोल्ट्री, पशु आहार, रेडियेटर, रबर पार्ट्स, सब मर्सिबल पम्प, आईस्क्रीम, चर्म उद्योग, हरत शिल्प, रेडीमेड सलवार सूट, पेट–शर्ट,

रिफेक्ट्रीज, सोडियम सिलिकेट, कलर पिगमेंट, पेंटस, डिस्ट्रेपर, ट्रांसफार्मर, पी.व्ही.सी. पाईप, नमकीन, मसालें, कॉफी उद्योग, आयुर्वेदिक दवाईयां, सोडावाटर, मिनरल वाटर, ऑटा चक्की, रि-रोलिंग मिल, स्ओन क्रेशर, मार्बल उद्योग आदि से संबंधित छोटी बड़ी इकाईयां कार्यरत हैं।

जबलपुर जिले के बैंकिंग संस्थान –

सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के अलावा जबलपुर जिले में मुख्य रूप से स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक सहित 25 राष्ट्रीयकृत बैंकों की लगभग 127 शाखाएँ एवं निजी व सहकारी क्षेत्रों की 5 शाखाएँ जिले में कार्यरत हैं और अपीन योजनाओं और शर्तों के अधीन धनराशि को जमा करने तथा लघु, कुटीर, मध्यम और वृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर रही हैं। जगलपुर जिले के अंतर्गत चूंकि लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाईयां ही कार्यरत हैं, इसलिए ये बैंक इन्हीं स्थाओं को ऋण देने का कार्य कर रही हैं। 5 वर्तमान में एक जानकारी के आधार पर जबलपुर नगर के लगभग सभी छोटे-बड़े दुकानदार, व्यापारी, आढ़तिये और उद्यमी बैंकों से नगद साख और अग्रिम की सुविधा के साथ लघु एवं मध्यमकालीन ऋण प्राप्त कर रहे हैं जो उनकी कार्यशील पूंजी को सहजता से उपलब्ध करा रही है। इसलिए नगर के औद्योगिक ढांचे की चर्चा करते समय यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि नगर में इन बैंकिंग सुविधाओं के अतिरिक्त चूंकि अन्य ढांचागत सुविधाओं का अभाव है इसलिए यहां लघु उद्योग क्षेत्र में अति लघु इकाईयां ही स्थापित हुई हैं और आज तक संचालित हो रही हैं।¹⁶

आवश्यकता इस बात की है कि जबलपुर जिले में और अधिक संख्या में औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जाये और बड़े पैमाने की इकाईयां भी स्थापित की जाएं ताकि जिले का औद्योगिक स्वरूप बदले जो जिले की आर्थिक समृद्धि और सम्पन्नता को बढ़ाने में सहायक हो।

जिले की विपणन व्यवस्था –

जिले में विपणन व्यवस्था अपेक्षित रूप से जिले के व्यवसायियों, उद्यमियों के लिये विकसित अवस्था में है, चूंकि यह जिला सड़क मार्ग से अन्य जिलों से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, और अपने आस-पास के जिलों की अपेक्षा अधिक विकसित है। अतः 8–10 जिलों की आवश्यकता की पूर्ति यहां से बराबर होती है। जिले में व मुख्य रूप से जबलपुर शहर में थोक व फुटकर बाजार पर्याप्त रूप से विकसित हैं। जिले में मुख्य बाजार के अलावा क्षेत्रीय स्तर के प्रमुख बाजार व ग्रामीण अंचलों में नियमित व साप्ताहिक हाट बाजार के माध्यम से छोटे-बड़े व्यापारी यहां के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति में संलग्न हैं।

जबलपुर जिले का सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिवेश –

जबलपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर जबलपुर है। इसी नगर के सामाजिक परिचय से संपूर्ण जिले का परिचय प्राप्त होता है। आचार्य विनोद भावे ने इस नगर को संस्कारधानी का नाम दिया था, जो यहां के संस्कारों को प्रतिविवित करता है। जबलपुर नगर की संस्कृति बहुरंगी कही जा सकती है, क्योंकि यहां भिन्न-भिन्न जाति, धर्म, भाषा सम्प्रदाय, वर्ग के लोग निवास करते हैं और उनके आचरण से यहां की सामाजिक चेतना स्पष्ट होती है।

जबलपुर में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मारवाड़ी, गुजराती, बंगाली, सिंधी, आदि सम्प्रदायों के लोग अपने-अपने धर्म भाषा और सम्प्रदाय की परम्पराओं का पालन करते हुए निवास करते हैं। यही कारण है कि नगर की संस्कृति गुलदस्ते की भाँति पुष्पित और पल्लवित हो रही है।

जबलपुर जिले की जनसंख्या का एक बड़ा भाग हिन्दुओं का है। ये लोग नगरीय क्षेत्रों में खड़ी हिन्दी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुंदेलखंडी ज्यादा बोलते हैं। नगर के प्रत्येक क्षेत्र में इस सम्प्रदाय के लोगों के द्वारा अनेक छोटे-छोटे मंदिर बनवाए गये हैं। जहां पूरे वर्ष भर वे तीज त्यौहारों का आयोजन करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भाग लेते हैं। जिले में हिन्दु विभिन्न उद्योग धंधों के अलावा व्यवसायिक क्षेत्र एवं विभिन्न प्रकार की नौकरियों में कार्यरत हैं। जबलपुर जिले में मुख्यतः

मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, होली, चैत्र की नौ दुर्गा, गुरु पूर्णिमा, जन्मोष्टमी, गणपति पूजन, राखी, शरद की नौ दुर्गा, दीपावली, शरद पूर्णिमा आदि बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। जबलपुर के हिन्दू जन्मोष्टमी पर कृष्ण जी का जुलूस, दशहरा पर दुर्गा प्रतिमाओं का जुलूस, गणेश विसर्जन का जुलूस आदि बड़े आर्कषक ढंग से मनाते हैं। इसके अलावा अन्य धार्मिक त्यौहारों पर भी सार्वजनिक आयोजनों की परम्परा है। इस प्रकार जिले की हिन्दू संस्कृकम बहुत समृद्ध और सम्पन्न हैं।

जबलपुर जिले की आबादी का एक भाग जैन सम्प्रदाय के लोगों का है। नगर में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही प्रकार के लोग हैं। ये लोग भी मुख्यतः कपड़ा व्यवसाय में संलग्न हैं। इन्होंने जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मंदिर बनाकर उसके आसपास रहना आरंभ किया और समय-समय पर अपने धार्मिक तीज त्यौहारों को मनाते हैं जबलपुर में जनसंख्या का एक भाग मुसलमानों का भी है। जिले में इनके भी दो वर्ग सिया और सुन्नी निवास करते हैं। ये लोग ईद और रमजान के त्यौहारों को मनाते हैं। इस वर्ग के लोग मुख्यतः पेटी, अलमारी, रुई की धुनाई मशीनों की रिपरेंजिंग, सब्जी आदि के व्यवसायों व लघु उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाते हैं।

जबलपुर में गुरुनानकदेव को मानने वाले सिक्ख सम्प्रदाय के लोग भी बड़ी मात्रा में हैं। इस सम्प्रदाय के लोग मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स, लकड़ी टाल और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, मशीन रिपरेंजिंग विभिन्न टेक्निकल उद्योग धंधों में कार्यरत हैं। इस सम्प्रदाय के लोगों ने भी जबलपुर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों की स्थापना की है, जहां ये अपने समस्त तीज त्यौहारों को मनाते हैं। जबलपुर में ईसाई सम्प्रदाय के लोगों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन लोगों ने भी नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने चर्च बना रखे हैं। जहां ये नियमित आते-जाते हैं, और अपने तीज-त्यौहारों को मनाते हैं। ईसाई सम्प्रदाय के लोग व्यवसायिक क्षेत्र में तो कम हैं लेकिन भिन्न-भिन्न इकाईयों में नौकरियां कर रहे हैं।

उपर्युक्त सम्प्रदायों के अलावा नगर में अन्य धर्मों और सम्प्रदायों के लोग भी निवास करते हैं और अपने-अपने धर्म और सम्प्रदाय की रीति-रिवाजों के क्षेत्रों में अपने-अपने सामुदायिक भवनों का निर्माण कर लिया है। जहां वे भिन्न-भिन्न अवसरों पर एकत्रित होकर अलग-अलग प्रकार के आयोजन करते हैं और अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। इसमें कच्छी जैन समाज, मलयाली समाज, क्रिश्चयन समाज, कायरथ समाज, ब्राह्मण समाज आदि मुख्य हैं।

जबलपुर की संस्कृति ने पुष्पित-पल्लवित करने में यहां की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां सदैव से ही महत्वपूर्ण रही हैं, और इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में साहित्यिक गतिविधियों की संचेतना में संलग्न संस्थाएं जबलपुर साहित्य संघ, शारदा भवन पुस्तकालय, मित्र संघ, मिलन, गुंजन कला सदन, विवेचना, गौरव नाट्य मंच के साथ विभिन्न नामी साहित्यकार सेठ गोविंददास, पं. गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, पं. बालमुकुंद त्रिपाठी, पं. द्वारका प्रसाद मिश्र, रामेश्वर प्रसाद गुरु, पं. भवानीप्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, पं. रासबिहारी पाण्डेय, पं. हरिकृष्ण त्रिपाठी, डॉ. राजकुमार तिवारी 'सुमित्र' आदि अनेकानेक हस्ताक्षरों ने इस नगरी की साहित्यिक गरिमा को बढ़ाया है। इसके अलावा साहित्यिक पत्र-पत्रिकायें, कर्मवीर, केसरी, पहल, प्रहरी, सरयू सौरभ के साथ दैनिक समाचार-पत्र नवभारत, नवीन दुनिया, दैनिक भास्कर, देशबंधु, युगधर्म, जयलोक, स्वतंत्र मत, हिन्दी एक्सप्रेस, टी-टाईम्स, समय चक्र आदि पत्रों ने जिले की जागरूकता को बनाए रखने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है।

”

सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन

आरती झारिया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र.

सामाजिक गतिशीलता – “सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक जीवन में पाये जाने वाले उस स्थानान्तरण की प्रक्रिया का बोध होता जिसके अंतर्गत समाज के सदस्य एक पद से दूसरे पद अथवा एक स्थान या पेशे से दूसरे स्थान या पेशे की ओर चलायमान होते हैं। अति संक्षेप में सामाजिक गतिशीलता समाज के सदस्यों की सामाजिक स्थिति पद या पेशे में होने वाले हेर-फेर की परिचायक है।”

मनुष्य का सदैव से परिवर्तनशील रहना परिवर्तन ही गतिशीलता लाती है, और परिवर्तन प्रकृति का एक अचूक नियम है, चूंकि समाज और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय या सम्प्रदाय के हो ये सभी प्रकृति का ही अंग है अतः किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जो कि पूर्णतया स्थिर हो हां यह सत्य है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती कोई समाज द्रुतगति से गतिशील है तो कोई समाज मंद गति से समाज की गतिशीलता का तात्पर्य है एक सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानान्तरण जिसके फलस्वरूप इस स्तरीकृत, सामाजिक जीवन में व्यक्तियों के विभिन्न समूह एवं स्तर पाये जाते हैं, जिनका स्तर एक समान नहीं होता है प्रत्येक व्यक्ति सभी समूह का सदस्य नहीं हो सकता इसलिये कई बार वह एक समूह की सदस्यता त्यागकर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रयास करता है। इसलिये कहा जाता है कि सामाजिक गतिशीलता का तत्त्व प्रत्येक समाज में विद्यमान है।

शिल्पकार – जहां पर मानव सभ्यता के विकास का वर्णन होता है, वहां स्वतः ही अपने कलात्मक कौशल में दक्ष परम्परागत शिल्पकारों के कार्य का उल्लेख होता है, क्योंकि परम्परागत शिल्पकार के बिना मानव सभ्यता संस्कृति तथा विकास की बातें एक कल्पना मात्र लगती हैं। शिल्पकारों ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विभिन्न कलाओं में अपने साधारण से पहिया और जादुई हाथों से मिलकर निराकार मिट्टी को कलात्मक रूप में ढाला है। इसने अपने कौशल से शस्य श्यामला धरती को सजाने में कोई कसर बांकी नहीं रखी।

वर्तमान में मृण शिल्पकारों की स्थिति की बात करें तो आजादी के 68 वर्ष बींत जाने के बाद भी इनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं क्या शिल्पकारों की दशा उतनीं दयनीय है जितनी कि पूर्व में थी। कर्क तो इतना हैं कि मुखौटा बदल गया लेकिन चेहरा नहीं बदला।

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेजी शासन काल के प्रभाव से भारतीय सामाजिक रस्तरण में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगा। यहीं से सामाजिक गतिशीलता का प्रारंभ हुआ। भारत में आज समकक्ष तथा उदग्र दोनों प्रकार की गतिशीलता स्पष्टतः देखा जा सकता है। अधिकतर गतिशीलता उदग्र प्रकृति की है, तथा इसमें भी आरोही सामाजिक गतिशीलता अधिक देखी जा सकती है। अंग्रेजी शासन काल में निम्नांकित कारणों से गतिशीलता में वृद्धि हुई है –

1. आधुनिक शिक्षा।
2. नौकरी के नये-नये अवसर नवीन व्यवसाय।
3. आवागमन तथा संचार साधनों में वृद्धि।
4. शूद्र प्रशासनिक ढांचे का गठन।
5. नगरीकरण तथा औद्योगीकरण।
6. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया।
7. जनता में राजनैतिक चेतना की वृद्धि।
8. समाज सुधार आंदोलन।

भारत जैसे बंद समाज में सामाजिक गतिशीलता प्रारंभ में तो कम गति से हुई परंतु जैसे-जैसे जन चेतना बढ़ती गई और शिक्षा व नौकरियों के अवसर बढ़ते गये सामाजिक गतिशीलता में भी निरंतर वृद्धि होने लगी। भारत में अंग्रेजी शासन काल तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सामाजिक गतिशीलता से समाज में निम्नलिखित परिवर्तन आये –

1. संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ क्योंकि नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति अपनी पत्नि और बच्चों को लेकर अपनी नौकरी करने के स्थान पर रहने लगते हैं तथा उनके परिवार के बाकी सदस्य गांव व उसी स्थान पर रह जाते हैं जहां के बैठके रहने वाले हैं।
2. परम्परागत व्यावसायिक संरचना इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि गतिशीलता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवसाय कर पाना कठिन हो जाता है।
3. सदस्यों पर परिवार का नियंत्रण कम हुआ है, क्योंकि पढ़े-लिखे व्यक्ति संयुक्त परिवार में कर्ता के निरंकुश शासन में नहीं रहना चाहते।
4. विवाह की मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है। एकांकी परिवारों में रहने वाले पढ़े-लिखे युवक-युवतियां आज स्वयं अपने जीवनसाथी का चयन करने के लिये तत्पर रहते हैं।
5. जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। एक ओर तो जाति व्यवस्था से संबंधित खान-पान के प्रतिबंध समाप्त हो गये हैं, तो दूसरी ओर अंतर जातिय विवाहों को भी प्रोत्साहन मिला है।
6. भारतीय समाज की परम्परागत संरचना भी इससे प्रभावित हुई हैं सभी परम्परागत आधार इससे प्रभावित हुए हैं और यह बंद व्यवस्था से एक लचीली व्यवस्था बन गयी है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि आज जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी है।
7. इससे नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है नौकरी के अधिकांश अवसर नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं और इससे गतिशीलता की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है।
8. सामाजिक गतिशीलता से भारत में व्यवसायिक विशेषीकरण में भी वृद्धि हुई है। आज जितना विशेषीकरण हमें विभिन्न व्यवसायों में दिखाई देता है। उतना भारतीय समाज में पहले कभी नहीं था।

सामाजिक गतिशीलता की वृद्धि से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, परंतु फिर भी अनेक विद्वान आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि जातिवाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद इत्यादि कारकों ने भारत में सामाजिक गतिशीलता की गति को अवरुद्ध किया हुआ है। धीरे-धीरे इस सभी में शिथिलता से इस में वृद्धि अवश्य हुई है, परंतु अभी भी गतिशीलता संतोषजनक रूप से नहीं हो रही है।

भारत में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया एक संक्रान्ति काल से गुजर रही है। विदेशी समाजशास्त्रियों ने इस पर विचार करने का प्रयास किया जिनमें डेविस, वीसेंज व टॉल्कट पारसंस, जॉनसन, वाटेमोर व ट्यूमिन के नाम प्रसिद्ध हैं। खेद की बात है कि यहां के स्तरीकरण की व्यवस्था जाति व्यवस्था को प्रायः ठीक ढंग से नहीं समझा गया है और न ही उसकी नवीनतम स्थिति के अनुसार अध्ययन किया गया है, जैसा ट्यूमिन ने जातियों को जो अस्पर्श हैं मंदिर में पूजा करने विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने की छूट और विशेष समय पर सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की आज्ञा नहीं हैं ट्यूमिन ने परिवर्तित प्रतिमानों का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि भारत में अब अस्पर्शता कानून द्वारा तो अपराध है ही बल्कि व्यवहार में भी एक बड़ी सीमा तक अब नहीं देखा जाता।

स्वतंत्रता के बाद 1950 का काल एक विशेष समाज-शास्त्री महत्व का काल रहा। गणतंत्र की स्थापना के नये संविधान पर आधारित समतामूलक समाज की ओर भारत आगे बढ़ने लगा। भारत के इतिहास में यह काल विशेष महत्व का इसलिये है, कि संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समाज अवसर दिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता, गुण एवं परिश्रम के आधार पर समाज में आगे बढ़ सके यह परम्परागत भारतीय सामाजिक मूल्य एवं प्रतिमान के प्रतिकूल है।

वर्तमान भारत में औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण एवं नई वैद्यानिक व्यवस्था ने संयुक्त रूप से मिलकर जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किये हैं। औद्योगीकरण के कारण सभी जातियों के सदस्य साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण संबंधों में गतिशीलता आ रही है। नगरीकरण के अंतर्गत व्यक्ति गांव से शहरों में आकर काम-धंधे की तलाश में नगरों की जटिल संस्कृति में विलीन हो रहे हैं। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सभी जाति के लोग साथ बैठकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। जहां जाति प्रथा का भिन्न स्वरूप हैं वहां भारत में सभी धर्मों को समान माना गया हैं तथा उन्हें एक सा सम्मान दिया गया है, इससे भी गतिशीलता को बल मिला है। जाति प्रथा में धर्म का प्रभाव कम हो गया है इसके चलते आज शहरों में अक्सर अंतर जातिय विवाह जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है कि घटनाएं घटती रहती है। एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि नीची जातियों द्वारा ऊंचे जातियों की नकल व कर्मकाण्ड बदलकर अपनी स्थिति ऊपर उठाने का प्रयास करता है वह ऊंचे वंश के नामों व कार्यों का अनुकरण करता है। अनेक जातियों ने अपने नये नाम रख लिए हैं तथा अनेक निम्न जाति के सदस्य उच्च शिक्षा पाकर उच्च व्यवसायों में लग गये हैं। जिनकी जाति व्यवस्था में तो नीची स्थिति है, पर व्यवसाय में उच्च हैं अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में सामुहित गतिशीलता की प्रक्रिया चल रही है।

गांव की तुलना में शहरों के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही तेज है। सेवा एवं व्यवसाय के यहां नये-नये अवसर प्राप्त होते हैं। उच्च शिक्षा की सुविधाएं बेहतर हैं तथा गांव की तुलना में शहरों में धार्मिक अंधविश्वास भी कम है। चूंकि जाति धर्म पर आधारित हैं और नगरों में धार्मिक विश्वास में कमी आई है इसलिये जाति व्यवस्था के नियम कानूनों में भी कुछ विशेष ढील पड़ी हैं। जाति की जगह स्तरण का महत्वपूर्ण आधार वर्ग बनता जा रहा है। शहरों के लोग अब जाति की उच्चता पर उतना विचार न कर व्यक्ति के पद पर पर व्यवसाय के आधार पर समाज में उनकी स्थिति के बारे में विचार करते हैं। यह सही है कि शहरों में जातिवाद कुछ ज्यादा ही फैला है। इसके बावजूद वर्ग व्यवस्था शहरों के अंतर्गत काफी जड़ जमा चुकी है। जीवन के मूल्यों में धन संपत्ति पद एवं सत्ता में हिस्सेदारी का महत्व पहले की तुलना में काफी अधिक हो गया है। आगे बढ़ने की प्रतियोगिता के कारण समाज में काफी अस्थिरता पैदा हो गयी है। अमेरिकन मानव शास्त्री जेम्स सिल्वर्ग (1968) ने अपने अध्ययनों में यह तथ्य स्वीकार किया है कि भारतीय समाज में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा खुलापन आ गया है। सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध में जो तथ्य मौजूद हैं उन तथ्यों के आधार पर भारत को अब एक बंद समाज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यह सही है कि पाश्चात्य देशों की तुलना में यहां गतिशीलता कम है पर आज जितनी गतिशीलता भारतीय समाज में मौजूद है उसकी तुलना इस देश के किसी भी ऐतिहासिक काल में नहीं की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. दलितों के दलित (2007) – हरकिशन संतोषी, सरता साहित्य मण्डल प्रकाशन।
2. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्यायें – प्रो. एम.एल.गुप्ता।
3. भारत में समाज – डॉ. धर्मवीर महाजन एवं डॉ. कमलेश महाजन, विवेक प्रकाशन।
4. आर.एस. शर्मा – शुद्राज इन ऐशिया इण्डिया।
5. पी.वी.यंग – साईनटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च।

महिला सशक्तिकरण में संवैधानिक प्रावधान की भूमिका: एक अध्ययन

डॉ. सदन मरावी, (राजनीति शास्त्र) प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय निवास, मण्डला, म.प्र.

सारांश :—भारत में जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाएँ भेदभाव का सामना करती रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, आर्थिक भागीदारी आदि अनेक प्रमुख संकेतक देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति में विद्यमान असंतुलन की ओर ही इशारा करते हैं। लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान के प्रस्तावना, मूलभूत अधिकारों, मूलभूत कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। संविधान न केवल महिला समानता की बात करता है। बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में विभेदकारी नीतियाँ बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति के निर्धारण में महिला—सशक्तिकरण की पहचान केन्द्रीय मुद्दे के रूप में की गई है।

सशक्तिकरण की अवधारणा की शुरूआत सन् 1985 में नैरोबी में होने वाले महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई थी। ‘महिला सशक्तिकरण’ के पीछे मूल विचार महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में जिन—जिन क्षेत्रों में निम्न थी, उन क्षेत्रों में उन्हें मजबूत बनाने के लिए किया गया था। शक्तिशाली पुरुष समुदाय के साथ समान स्तर पर आने के लिए ताकि सत्ता का संतुलन बने और लिंग सम्बंधी सत्ता संघर्ष में थोड़ा ठहराव आये।¹

खोज शब्द:— सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान, महिला विशिष्ट कानून

प्रस्तावना:—भारत में “महिला सशक्तिकरण” की धारणा का सीधा अर्थ यह है कि उन सामाजिक कुरीतियों एवं बाधाओं को दूर किया जाए, जिनके कारण स्वतंत्र भारत में समानता के संवैधानिक अधिकार पाते हुए भी भारतीय नारी, पुरुषों के समान स्तर पर पर नहीं पहुंच सकी है। नारी समाज का अर्धांश होती है, अस्तु नारी के निम्न स्थिति होने का तात्पर्य समाज का निम्न होना है। अतः नारी सशक्तिकरण का सीधा सम्बंध समाज के सशक्तिकरण से होता है। इसलिए जब नारी का सशक्तिरण होता है तो वह समाज भी निरन्तर सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ता जाता है 90 के दशक में एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोश जैसे महिला संगठनों की स्थापना हुई, तो वहीं दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों के माध्यम से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई और साथ ही 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997–2000) के अन्तर्गत घोषित नौ मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के रूप में “महिला सशक्तिकरण” को स्थान दिया गया। जिसके फलस्वरूप अब महिलायें स्वशिक्षा + स्वरोजगार + स्वसुरक्षा स्वालम्बन सशक्तिकरण के पैमाने पर स्वयं का मापन करते हुए प्रखर व मुखर हो रही हैं। आज देश में सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सभी वर्गों एवं समुदायों की महिलायें अपने गुण कर्म आत्मविश्वास और शिक्षा के आधार पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, जज, वैज्ञानिक, पायलट, सेना यहाँ तक की अंतरिक्ष भी उनसे अछूता नहीं रहा है।²

अध्ययन के उद्देश्य:—भारतीय संविधान में वर्णित उन उपबंधों को ज्ञात करना जिसने महिला सशक्तिकरण की राह को सुगम बनाया तथा महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित कर महिला शक्ति सम्पन्नता हेतु विविध कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

‘सशक्तिकरण शब्द’ अपने आप में व्यापकता को धोरे है। यह व्यक्ति व समूह दोनों स्तरों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। जहाँ शक्ति स्तर पर इसे निर्णायक भूमिका निभाने के लिए देखा जा सकता है। वहीं समूह के स्तर पर भागीदारी निभाने के अर्थ में। सशक्तिकरण शब्द व्यक्तिगत व सामुदायिक दोनों स्तरों पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक शक्ति के बढ़ाने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यह शब्द मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में स्वयं सहायता वर्ग व

अभिप्रेरणात्मक वैज्ञानिकों के उच्च स्तर तक संघर्षशील रहता है। इस प्रकार यह स्वयं अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का नाम है। सशक्तिकरण से हम सदैव यह सांग करते हैं कि वह बाध्य रूप से व्यवहारिक कार्य संचालन में प्रकट हो। इस प्रकार सशक्तिकरण में निम्न पहुलओं को सम्मिलित किया जा सकता है:-

1. व्यक्तिगत व सामूहिक हालातों में निर्णय लेने की क्षमता आना।
2. निर्णय लेने के लिए साधनों व सूचनाओं तक पहुँचाना।
3. सामूहिक निर्णय प्रक्रिया भागीदारी निभाने की क्षमता निर्माण करना।
4. परिवर्तन निर्माण की क्षमता के बारे में सकारात्मक क्षमता होना।
5. व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हालातों को मजबूत करने के लिए सीखने व कौशलों को प्राप्त करने की क्षमता का विकास करना।
6. शिक्षा व सक्रियता के परस्पर कार्यों से दूसरों के विचारों को जानने की क्षमता का विकास करना।
7. स्वयं के प्रभावों को कभी न समाप्त होने वाली विकास प्रक्रिया में आवश्यक रूप से सम्मिलित करना।

इस प्रकार यदि हम सशक्तिकरण को महिलाओं के संदर्भ में जोड़े तो महिलाओं के व्यक्तिगत—सामूहिक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक विकास को उनका सशक्तिकरण कह सकते हैं, लेकिन मूल अर्थों में इसी विकास में या सशक्तिकरण की प्रक्रिया में उनकी निर्णय क्षमता होनी परमावश्यक है। तभी सार्थक रूप से सशक्तिकरण की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। सशक्तिकरण अंग्रेजी के “एम्पावरमेंट” शब्द का हिन्दी पर्याय है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार “किसी विशिष्ट परिस्थिति में किसी व्यक्ति या समूह को सत्ता व पद देने की प्रक्रिया ही उसका सशक्तिकरण है।”³

भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए प्रावधान:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें भलीभाँति विकसित होने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष सभी सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। संविधान के अनुच्छेद-15 की व्यवस्थाओं के अनुसार लिंग अथवा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद-16 में लोक सेवा में स्त्री और पुरुष को बिना भेद किये अवसर की समानता प्रदान की गयी। अनुच्छेद-19 में कोई भी नागरिक, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष उसे अभिव्यक्ति की समान रूप से स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ अनुच्छेदों में उन्हें आरक्षण आदि की भी व्यवस्थाएँ की गयी हैं।

इस प्रकार हमारे संविधान में भारत के सभी स्त्री और पुरुषों को बराबरी का आजादी का, शोषण से बचाव का, धार्मिक आजादी का, संस्कृति एवं शिक्षा आदि सभी अधिकार समान रूप से प्राप्त किये गये हैं। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में सभी स्तरों पर महिलाओं को एक तिहाई पद आरक्षित करने हेतु संविधानन में 73 वाँ और 74 वाँ संशोधन किया गया है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।⁴

संवैधानिक उपबन्ध:

- ◆ अनुच्छेद- 14— राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर।
- ◆ अनुच्छेद- 15— लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्धि।
- ◆ अनुच्छेद- 15(3)— महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का अधिकार।
- ◆ अनुच्छेद- 39— आजीविका के समान साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन।

- ◆ अनुच्छेद— 42— कार्य की न्यायोचित एवं मानवीय दशाएँ तथा प्रसूति सुविधाएँ।
- ◆ अनुच्छेद— 51(ड)— महिलाओं प्रति अपमान—जनक प्रथाओं के त्याग का मौलिक दायित्व।⁵

महिला शक्ति सम्पन्नता हेतु विविध कानून :

महिला विशिष्ट कानून :-

- ◆ अनैतिक व्यापार (निवारण), अधिनियम, 1956
- ◆ प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961
- ◆ देहज निषेध अधिनियम, 1961
- ◆ स्त्री आशिष्ट रूपण (निषेध), अधिनियम, 1986
- ◆ सती प्रता (निवारण) अधिनियम, 1987
- ◆ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

आर्थिक कानून:-

- ◆ कारखाना अधिनियम, 1958
- ◆ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- ◆ समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- ◆ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- ◆ बागान श्रम अधिनियम, 1951
- ◆ बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976

संरक्षण कानून:-

- ◆ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संगत उपबन्ध
- ◆ विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923
- ◆ प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994

सामाजिक कानून:-

- ◆ कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984
- ◆ भारतीय उत्तराधिकार समापन अधिनियम, 1925
- ◆ गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971
- ◆ बाल—विवाह अवरोध अधिनियम, 1929
- ◆ हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- ◆ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (वर्ष 2005 में संशोधन)
- ◆ भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1969

उपर्युक्त कानूनों के अतिरिक्त महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा अधिकारिता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं से संबद्ध अनेकानेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है यथा—स्टेप, स्वयं सिद्धा, स्वशक्ति, स्वावलंबन, स्वाधार, परिवार परामर्श केन्द्र, अल्पावधि प्रवास गृह, मानवी—संरक्षण अभियान, स्वसहायता समूह, कामधेनु योजना, स्वस्थ सरवी योजना, अपनी बेटी—अपना धन, पंचधरा योजना, देवी रूपक योजना, किशोरी—बालिका योजना आदि चलायी जा रही हैं।⁶

उपर्युक्त समस्त कानूनों एवं योजनाओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार ने महिला—सशक्तिकरण हेतु अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया। अब सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणाम पर विचार करते हैं—

1981—1991 के दशक में महिला साक्षरता एवं महिला साक्षरता दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 39.29 प्रतिशत एवं 9.44 प्रतिशत थी, जो 1991—2001 के दौरान 54.16 प्रतिशत एवं 14.87 प्रतिशत हो गई, परिणामस्वरूप 1981—91 में पुरुष—महिला साक्षरता दर का अन्तर 24.84 प्रतिशत से घटकर 1991—2001 में 20.69 प्रतिशत हो गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति को प्रदर्शित करता है, लेकिन पुरुषों की साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत की तुलना में महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत अभी भी बहुत कम है।⁷

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण एक बृहद् अध्ययन का विषय है। महिला सशक्तिकरण से अर्थ आज के समाज में महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी एवं योगदान से लिया जाता है।

सशक्तिकरण सम्भवतः निम्नलिखित या इसी प्रकार की क्षमताओं को मिलाकर है:-

1. स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होना।
2. उचित निर्णय लेने के लिये जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता हो।
3. कई विकल्प उपलब्ध होना जिनसे चुनाव किया जा सके।
4. सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता।
5. बदलाव लाने की क्षमता पर सकारात्मक विचारों का होना।
6. स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिये कौशल सीखेन की क्षमता।
7. अन्यों की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता।
8. विकास प्रक्रिया तथा चिरन्तन व स्वयं की पहल द्वारा बदलावों के लिये भागीदारी।
9. स्वयं की सकारात्मक छवि में वृद्धि एवं धब्बों से उभरना।

पिल्लई (1995) के अनुसार 'सशक्तिकरण, एक सक्रिय एवं बहुआयामी प्रभाव रखने वाली प्रक्रिया है। जिसके द्वारा महिला या दलित या समूह अथवा वर्ग को सभी क्षेत्रों में प्रतिभागी बनाने के साथ—साथ उसमें जागृति और मानसिक सबलता विकसित करती है। जिससे सामाजिक परिवर्तन को सामयिक दिशा प्रदान की जा सके।'⁸

सुझाव एवं निष्कर्ष:-

आजादी के बाद इस दौर में महिला उत्थान, महिलाओं के उत्पीड़न, संत्रास, शोषण के विरुद्ध कदम उठाने के लिए आल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन, आल इण्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वूमेंस, सेंटर फार वूमेंस डेवलपमेंट स्टडीज, ज्वाइंट वूमेंस प्रोग्राम, महिला दक्षता समिति, नेशनल फेडरेशन फार वर्किंग वूमेंस, Y.M.C.A. नामक सात् स्वतंत्र महिला संगठनों द्वारा तैयार समानान्तर परिप्रेक्ष्य योजना 1989 से 1975 की भारतीय महिला सुधार समिति की रपट के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया महिला आयोग भी महिलाओं की बदहाली रोकने, उनके हक्कों की बढ़ाती दिशा में नाकाम रहा है, और कागजी खानापूर्ति करने के अलावा दावे कुछ भी किए जाएं, कुछ खास करने में कामयाब नहीं हो सका है।

असलियत में राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य महिलाओं को संवैधानिक रूप से मिले अधिकारों की रक्षा करना, उनकी सहायता करना, उनकी शिकायतों पर ध्यान देना, कानूनी सलाह प्रदान करना, रिपोर्ट तैयार करना, महिलाओं के उत्थान व विकास से संबंधित अनुशंसा सरकार को देना। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं उनके हितों के लिए अलग-अलग सरकारों ने कई योजनाएँ बनवाईं पर महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।

संदर्भ—ग्रंथ—

1. सरस्वती हेदर, (1996), भारत की राष्ट्रीय महिला नीति, पृ. सं. 453 (स्त्री आर्सिता: साहित्य और विचारधारा से आभार)
2. सहीबा रहमानी, (2006), भारतीय मुस्लिम महिला एवं सशक्तिकरण, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ— 20।
3. उपाध्याय रमेश तथा उपाध्याय संज्ञा, (2004) आज का स्त्री आंदोलन: शब्दसंसाधन, नई दिल्ली।
4. सिंह, उमेश प्रताप, गर्ग राजेश कुमार, (2012), “महिला सशक्तिकरण: विभिन्न आयाम”, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ— 239–40.
5. भारत का संविधान, (1999) सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, पृष्ठ— 5–26
6. योजना, अक्टूबर—2006, पृष्ठ 19,41।
7. योजना, अक्टूबर—2006, पृष्ठ 39।
8. जे.के. पिल्लई, (1995), वीमेन एंड इम्पॉवरमेन्ट, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,

औद्योगीकरण में पूँजी बाजार का महत्व

डॉ० किरण सिंह, अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र, शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल महाविद्यालय सिहोरा, जबलपुर (म0प्र0)

शोध सार – प्रस्तुत शोध पत्र में औद्योगीकरण में पूँजी बाजार के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। संतुलित और समन्वित आर्थिक विकास के अंग के रूप में औद्योगीकरण को अद्वितीय देशों के विकास का एक बृहद और अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। औद्योगीकरण में पूँजी बाजार एक महत्वपूर्ण घट के रूप में भूमिका निभाता है। पूँजी बाजार के द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पूँजी बाजार वह स्तंभ है जिस पर औद्योगिक जगत की नींव रखी जाती है।

प्रस्तावना – देश के औद्योगीकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। यह पूँजी आवश्यक मात्रा में तथा उचित समय के अंदर उद्योगों को उपलब्ध हो जानी चाहिए यदि ऐसा नहीं होता तो यह स्वाभाविक ही है कि औद्योगीकरण की गति उतनी तीव्र नहीं होगी जितना हम चाहते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घावधि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के सुविकसित पूँजी बाजार की स्थापना की गई जो उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

भारतीय पूँजी बाजार में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् काफी प्रगति की है। भारत में औद्योगिक वित्त अधिकांशतः कुछ विदेशी एजेन्सी गृहों तथा भारतीय प्रबंध अभिकर्ता गृहों द्वारा ही उपलब्ध किया जाता था। तत्पश्चात् भारतीय पूँजी बाजार में कई सुधार किये गये। पूँजी बाजार द्वारा दीर्घकालीन ऋणों के लेन देन की संस्थागत सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध करायी गई है। उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई। ये संस्थाएँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता प्रतिभूतियों के क्रय, अभिगोपन, ऋणों के भुगतान की गारंटी आदि के रूप में क्रय-विक्रय का कार्य करती हैं। साथ ही उद्योगों की स्थापना, विस्तार एवं संचालन हेतु तकनीकी परामर्श भी प्रदान करती हैं। इस उद्देश्य हेतु पूँजी बाजार को सुदृढ़ बनाया गया जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

उद्देश्य—प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य निम्न हैं –

- पूँजी बाजार की आवश्यकता और महत्व को प्रतिपादित करना है।
- दीर्घकालीन वित्त की प्राप्ति के लिए पूँजी, बाजार की भूमिका का विश्लेषण करना है।
- पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों की पूँजीगत समस्या के निदान के लिए सुझाव देना है।

मान्यताएँ—प्रस्तुत शोध निम्न मान्यताओं पर आधारित है –

पूँजी बाजार के द्वारा निवेश प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

- पूँजी बाजार के द्वारा उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
- बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

शोध विधि— प्रस्तुत शोध हेतु पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का चयन किया गया है।

पूँजी बाजार – स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दीर्घकालीन वित्त पूर्तिकरने वाली संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। भारत में व्यापारिक बैंक, आंगल व्यापारिक बैंकों की परम्परा के अनुसार केवल अल्पकालीन वित्त की पूर्ति करते थे। ऐसी दशा में देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं को अपने साधनों पर निर्भर रहना होता था। 1918 में औद्योगिक आयोग ने दीर्घकालीन

वित्त पूर्ति के लिए देश में “औद्योगिक बैंकों” के खोले जाने के सुझाव दिये थे। इससे कुछ ही पहले टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक की स्थापना की जा चुकी थी। किन्तु दुर्भाग्यवश ये सब बैंक कुछ वर्षों के कार्यकाल के बाद ही समाप्त कर दिए गये। इनकी असफलता का मुख्य कारण इस दिशा में अनुभव का अभाव था। द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में भारतीय कंपनियों में विस्तार एवं विकास की आवश्यकता अनुभव की गयी। युद्ध के बाद भी उद्योगों के विकेन्द्रीकरण एवं आधुनिकीकरण के सिलसिले में दीर्घकालीन वित्त पोषण के लिये भारी मात्रा में पूँजी की माँग बढ़ी। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात पूँजी बाजार का अस्तित्व हुआ।

पूँजी बाजार से तात्पर्य दीर्घकालीन वित्त से है। सर्वाधिक विस्तृत अर्थ में श्रृंखलाबद्ध धाराओं में निर्मित वह ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से जन समुदाय की बचतें औद्योगिक और व्यापारिक उपक्रमों के साथ ही सार्वजनिक अधिकारी वर्ग को भी उपलब्ध करायी जाती हैं। बचत संस्थाओं जैसे बचत बैंक, विनियोग प्रन्यासों या विनियोजन कंपनियाँ विशिष्ट वित्तीय निगमें तथा स्कंध विपणियाँ या शेयर बाजार प्रमुख हैं जो मिलकर पूँजी बाजार बनाते हैं और उसके घटक कहलाते हैं। पूँजी बाजार को एक सेविका के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। एक आदर्श पूँजी बाजार आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त है, और किसी भी देश में पूँजी बाजार का विकास निर्भर करता है बचतों की उपलब्धि और विनियोजन पर। पूँजी बाजार का यह दायित्व ही है कि वह पूँजी की माँग की धारा को सर्वाधिक लाभप्रद बिन्दुओं की ओर प्रवाहित करे। इस प्रकार देश में व्यक्तिगत एवं संस्थागत बचतों का विनियोग उत्पादन कार्यों को करने के लिए संगठित पूँजी बाजार का विकास एक अनिवार्य शर्त है। उद्योग व्यापार के विकास के साथ—साथ ही पूँजी की माँग में वृद्धि होती चली जाती है और उसके साथ—साथ बचत एवं विनियोग की संभावनाओं का विकास होने से संगठित पूँजी बाजार के विकास के लिए उत्तोत्तर अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता चला जाता है। देश की सरकार भी विदेशों से ऋण लेकर रिजर्व बैंक अथवा स्टेट बैंक की नीतियों को उचित मोड देकर बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीकरण करके केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर पर मध्यम कालीन एवं दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति के लिए विशेष निगमों की स्थापना करके विदेशों एवं विश्व बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं और विदेशी सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त करें। जोकि देश के संगठित पूँजी बाजार में नए रक्त का संचार कर सकें। देश में वर्तमान में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों द्वारा पूँजी की माँग की जाती रही है। जिसे देश का संगठित पूँजी बाजार पूर्णतः करने की स्थिति में है। जोकि औद्योगिक विकास के लिए एक स्वास्थ्य का प्रतीक है। इस प्रकार पूँजी बाजार जितना विकसित होगा उतना औद्योगीकरण की गति में तीव्रता लायी जा सकेगी।

निष्कर्ष —उद्योगों के विकास में पूँजी बाजार महत्वपूर्ण तंत्र की भूमिका निभाता है, जो औद्योगीकरण की गति को बढ़ाने में मदद करता है। शीघ्र औद्योगीकरण के गतिमान घटक और प्रतिमान के रूप में पूँजी बाजार का होना अत्यावश्यक है। देश का पूँजी बाजार जितना अधिक सुदृढ़ होगा उद्योग उतने विकास की ओर अग्रसर होंगे। अतः जिस प्रकार शरीर में कोशिका तंत्रों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उद्योगों का विकास बिना पूँजी बाजार के अस्तित्व विहीन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- मेहता, आर.सी. “कैपिटल मार्केट इन इंडिया फॉर प्लेन्ड ग्रोथ”, 1965
- एन.सी.ए.ई.आर. “कैपिटल मार्केट इन ए प्लेनड इकोनॉकी”, 1966 पेज 65‘66
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन 2014,
- सिन्हा, एस.एम.एन. “द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया”, 1960 पेज – 2, 14, 102, 156
- शर्मा कृष्ण कुमार— “द इंडियन मनी मार्केट” 1974 पेज 87–88
- मिलिन्द कोठारी, “औद्योगिक अर्थशास्त्र” 2013 , पेज 10–12

नर्मदा नदी का आध्यात्म, भौगोलिक स्थिति एवं वैज्ञानिक परिणाम : मार्मिक शोध

**अर्जुन शुक्ला "गोल्ड मेडलिस्ट", शिवानी राय "सिल्वर मेडलिस्ट"शोधार्थी, जन्तु विज्ञान विभाग,
शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय स्वशासी, जबलपुर (म.प्र.)**

शोध सारांश : नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है, जो गंगा के समान पूजनीय है। महाकाल पर्वत के अमरकण्टक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। नर्मदा नदी को मध्यप्रदेश की जीवन-रेखा कहा जाता है। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और भारत की पांचवीं बड़ी नदी मानी जाती है। समग्र मानव संस्कृति का इतिहास नदियों का इतिहास है, समूचा अतीत नदियों के कूलों से झांकता सा दिखाई देता है। युगों-युगों से पूजित नर्मदा मानव सभ्यता, संस्कृति और परम्परा की प्रवाहिका है। समर्पित अन्येषकों और शोधार्थियों द्वारा नर्मदा पर किये गए शोध पर आधारित इस शोध विवेचना के माध्यम से नर्मदा पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता एवं उन जीवों के द्वारा जल की गुणवत्ता की पहचान बरगी बांध, ग्वारीघाट एवं भेड़ाघाट में शोध करते हुए वर्ष 2014–2016 में जन्तुप्लवक की 42 प्रजाति, पादप प्लवक के 7 समूह व फंगस की 12 प्रजाति, बेन्थोस (एनालिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का) की 42, तितलियों की 25, ओडोनेटा की 37 प्रजाति, मोलस्क की 13, मकड़ियों की 26 एवं मत्स्य की 25, रेस्टाइल (सर्प) की 18, पक्षियों की 77 प्रजातियों के साथ कुल 324 प्रजाति की खोज में बेन्थोस की 42 प्रजाति नर्मदा जल में प्राप्त की गई, जिससे रसायनों का प्रयोग किये बिना हम इन्हें संकेतक के रूप में प्रयोग कर जल के गुणवत्ता की पहचान कर सकेंगे।

मुख्य बिंदु : नर्मदा, प्रजाति, विविधता, प्रदूषण, बेन्थोस.

प्रस्तावना :विन्द्य, सतपुड़ा व मेकल पर्वत के संधि स्थल में बड़ी ही सुरक्ष्य वादियां हैं। यहीं वह स्थल है जिसे अमरकंटक कहा जाता है। अमरकंटक का सौंदर्य अनुपम है। नर्मदा भारत की पांच बड़ी नदियों में गिनी जाती है, मध्यप्रदेश के अमरकंटक की मेकल पर्वत श्रेणी से निकली नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके गुजरात में भड़ौच के समीप अरब सागर की खंबात की खाड़ी में समुद्र से जा मिलती है। नर्मदा 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश, 74 किलो मीटर महाराष्ट्र को स्पर्श करती हुए, 179 किलो मीटर गुजरात में बहती है (राम प्रसाद पाठक, 2015) लेकिन नदी का 87 प्रतिशत जल प्रवाह मध्यप्रदेश में होने से, इस नदी को मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है।

नर्मदा तट पर बसे गांव, छोटे-बड़े शहरों, छोटे-बड़े औद्योगिक उपक्रमों और रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से की जाने वाली खेती के कारण उदगम से सागर विलय तक नर्मदा प्रदूषित हो गई है और नर्मदा तट पर तथा नदी की अपवाह क्षेत्र में वनों की कमी के कारण आज नर्मदा में जल स्तर भी 20 वर्ष पहले की तुलना में घट गया है। ऐसे में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करना समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।

नर्मदा का उदगम स्थल अमरकंटक भी शहर के विस्तार और पर्यटकों के आवागमन के कारण नर्मदा जल प्रदूषण का शिकार हो गया है। इसके बाद, शहडोल, बालाघाट, मण्डला, शिवनी, डिंडोरी, कटनी, जबल पुर, दामोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, खण्डवा, इन्दौर, देवास, खरगोन, धार, झावुआ और बड़वानी जिलों से गुजरती हुई नर्मदा महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बहती है, लेकिन इन सभी जिलों में नर्मदा को प्रदूषित करने वाले मानव निर्मित सभी कारण मौजूद हैं। अमलाई पेपर मिल शहडोल, अनेक शहरों के मानव मल और दूषित जल का अपवाह, होशंगाबाद में भारत सरकार के सुरक्षा कागज कारखाने, बड़वानी में शराब कारखाने, नर्मदा को प्रदूषित करता है। जबलपुर का प्राचीन नाम जबलिपत्तन था, नर्मदा जबलपुर में 60 किलो मीटर प्रवाहित होती है जो बरगी बांध, ग्वारीघाट, तिलवाराघाट से होती हुए भेड़ाघाट में धूँआधार रूप ले लेती है। अनेक कारणों से इसमें फैले प्रदूषण को रोकने हेतु लगातार शोध नर्मदा जारी है।

नर्मदा में पाए जाने वाले कीटों की उपलब्धता एवं विविधता से पानी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता ये कीट पानी के प्रदूषण सूचक का कार्य करते हैं। (स्मिथ, 1999) एन्ड्रिड्स अर्थोपोड्स एवं मोलस्क की प्रजातियां पानी के प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं इन्हें बेन्थोस की संज्ञा दी जाती है। इन बेन्थोस को पहचान कर टेक्सोनोमी की सहायता से हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं फिर उनके विशेष गुप्त द्वारा उनकी पहचान करते हैं आखिर ये किस प्रकार का प्रदूषण दिखा रहे हैं। जबलपुर के सन्दर्भ में इसकी भूमिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि नर्मदा ने सबसे ज्यादा स्थान जबलपुर को ही दिया है।

नर्मदाआध्यात्म: नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप है। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिये संसार में आई हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है व श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व होता है। यही महत्व जीवन को स्वार्थ, परमार्थ से जोड़ता है। नर्मदा तटवासी माँ नर्मदा के करुणामय व वात्सल्य स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

रामायण तथा महाभारत और परवर्ती ग्रंथों में इस नदी के विषय में अनेक उल्लेख हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार नर्मदा की एक नहर किसी सोमवंशी राजा ने निकाली थी जिससे उसका नाम सोमोद्भवा भी पड़ गया था। गुप्तकालीन अमरकोश में भी नर्मदा को सोमोद्भवा कहा है।

कालिदास ने भी नर्मदा को सोमप्रभवा कहा है। रघुवंश में नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुन्दर वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में भी नर्मदा का उल्लेख है, इसके पश्चात के श्लोकों में नर्मदा का एक युवती नारी के रूप में सुन्दर वर्णन है। महाभारत में नर्मदा को ऋक्षपर्वत से उद्भूत माना गया है। भीष्मपर्व में नर्मदा का गोदावरी के साथ उल्लेख है। श्रीमद्भागवत में रेवा और नर्मदा दोनों का ही एक स्थान पर उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण ने रेवोत्तरस की चर्चा की है, जो पाठव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सृजज्यों ने निकाल बाहर किया था। पाणिनि के एक वार्तिक ने शम्हिष्मत्स की व्युत्पत्ति महिष से की है, इसे सामान्यतर नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। इससे प्रकट होता है कि सम्भवतरु वार्तिककार को (लगभग ई०प० चौथी शताब्दी में) नर्मदा का परिचय था। रघुवंश में रेवा (अर्थात् नर्मदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजधानी कहा गया है।

जान पड़ता है कि कहीं-कहीं साहित्य में इस नदी के पूर्वी या पहाड़ी भाग को रेवा (शाब्दिक अर्थ: उछलने-कूदने वाली) और पश्चिमी या मैदानी भाग को नर्मदा (शाब्दिक अर्थकृनर्म या सुख देने वाली) कहा गया है। (किन्तु महाभारत के उपर्युक्त उद्धरण में उदगम के निकट ही नदी को नर्मदा नाम से अभिहित किया गया है)। नर्मदा के तटवर्ती प्रदेश को भी कभी-कभी नर्मदा नाम से ही निर्दिष्ट किया जाता था। विष्णुपुराण के अनुसार इस प्रदेश पर शायद गुप्तकाल से पूर्व आभीर आदि शूद्रजातियों का अधिकार था।

नर्मदा की महत्ता :महाभारत एवं कतिपय पुराणों में नर्मदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, कर्म पुराण ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य पुराण एवं पद्म पुराण आदि में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नर्मदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती है, 10 करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि पुराण एवं कूर्म पुराण के मत से क्रम से 60 करोड़ एवं 60 सहस्र तीर्थ हैं। नारदीय पुराण का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर 400 मुख्य तीर्थ हैं, किन्तु अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं। वन पर्व ने नर्मदा का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व में यह भी आया है कि नर्मदा आनन्द देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुञ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र लता के वितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की ओर बहती है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ (नर्मदा में) स्नान करने को आते हैं। मत्स्य पुराण एवं पद्म पुराण ने उद्घोष किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नर्मदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। नर्मदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है य सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों के स्नानों से और गंगा केवल एक स्नान से। विष्णुधर्मसूत्र ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जिसमें नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया है। नर्मदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं

उनकी पत्नी का निवास—स्थल कहा जाता है। वायु पुराण में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। मत्स्य पुराण एवं कूर्म पुराण का कथन है कि यह 100 योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी है। प्रो. के.वी. रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य पुराण की बात ठीक है, क्योंकि नर्मदा वास्तव में लगभग 800 मील लम्बी है। किन्तु दो योजन (अर्थात् उनके मतानुसार 16 मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य पुराण एवं कूर्म पुराण का कथन है कि नर्मदा अमरकण्टक से निकली है, जो कलिंग देश का पश्चिमी भाग है।

अमरकण्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है। नर्मदा का अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ है माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह आँकार मान्धाता है जो इन्दौर से लगभग 40 मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है, बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि अशोक महान् के राज्यकाल में मोगलिपुत्र तिस्स ने कई देशों में धार्मिक दूत—मण्डल भेजे थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फलीट ने महिषमण्डल को माहिष्मती कहा है। महाभाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था, कालिदास ने इसे रेवा से धिरी हुई कहा है। उद्योगपर्व, अनुशासन पर्व, भागवत पुराण एवं पद्म पुराण में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित माना गया है।

नर्मदा शोध :करीब 50 सालों से किए जा रहे शोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि नर्मदा नदी में पाए जाने वाले मेंदक और मछलियों सहित अन्य जीव—जंतुओं की कई प्रजातियों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। नदी पर बांध, प्रदूषण, बसाहट, जंगलों की कटाई का सिलसिला यदि नहीं थमा तो अगले 25 सालों में इस नदी की जैव विविधता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसमें 200 से ज्यादा प्रजातियां लुप्तप्राय कगार पर पहुंच चुकी हैं। जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (चंद्रा एवं अतिरिक्त 2010) द्वारा संभवतः यह सबसे लंबा शोध कार्य है।

नर्मदा के पानी में बढ़ते प्रदूषण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमरकंटक में ही कुछ स्थानों पर नर्मदा में सूक्ष्म जीव (ई—कोलाई) की संख्या 3 लाख से 3.5 लाख तक पाई गई है। इसे पेट की बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल 2007 की रिपोर्ट से साफ़ है कि नर्मदा की सेहत नर्मदा के जांच वाले स्थानों में सीओडी (रसायन घुलित ऑक्सीजन) की मात्रा अधिक पाई गई है, जो कि मानक स्तर से छह से दस गुना तक अधिक है। इसे विशेषज्ञ नर्मदा के लिए चिंता का विषय मानते हैं।

नर्मदा की भौगोलिक स्थिति :नर्मदा विन्ध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को विभाजित करती है और उनकी सीमाएं बनाती हैं। नर्मदा के जल में इन दोनों पर्वत श्रेणियों पर पाई जाने वाली जड़ी—बूटियां, खनिज और लवण घुले होते हैं। इस विशेषता के कारण ही नर्मदा क्षेत्र में प्राणियों और फसलों की विविधता है। संसार में ऐसा कोई पशु या पक्षी नहीं है जिसकी प्रजाति या नस्ल नर्मदा क्षेत्र में नहीं पाई जाती और ऐसी कोई फसल नहीं, वनस्पति नहीं जो नर्मदा की घाटियों में नहीं पैदा होती है। भले ही समय के धारे पर अब विलुप्त हो गए हों लेकिन डायनासोर से सोन चिरेया तक के जीवाश्म नर्मदा क्षेत्र में मिलें हैं और यही विविधताएं एवं बहुतायत फसलों की है। यह बहुत अद्भुत है कि नर्मदा क्षेत्र में उन जीवों के जीवाश्म और खनिजों के अंश भी मिले हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। यह नर्मदा की भौगोलिक स्थिति और प्रकृति के रहस्य में ही है कि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके किनारे पाए जाने वाले खनिजों, औषधियों, रत्नों को प्राप्त करने और शोधार्थियों के निर्मित निवासों से संपर्क की लालसा के कारण ही इसकी परिक्रमा करने की परंपरा बनी होगी जिसने अब धार्मिक रूप ले लिया, पापों से मुक्ति और पुण्य अर्पित करने का भाव ले लिया (राम प्रसाद पाठक, 2015)।

यह एक आश्चर्यजनक संयोग ही है कि दुनिया के जिन वैज्ञानिकों ने नर्मदा क्षेत्र में आदिमानव के चिन्ह और डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा ही की है। उन्होंने प्रत्येक किनारे मिट्टी के नमूनों, पत्थरों के नमूने और वनस्पतियों की जड़ एकत्र की हो, प्राचीनकाल में ऐसे वैज्ञानिक और मानवीय अनुसंधान के लिए ही प्राचीनकाल में अन्वेषणकर्ताओं ने नर्मदा किनारे की यात्रा आरंभ की। चूंकि उस जमाने में हिंसक जीवों और लुटेरों के भय से बचने के लिए ग्रुप बनाकर यात्रा का स्वरूप विकसित हुआ, नर्मदा का जो परिक्रमा पथ आज है। उसके किनारे ऋषियों के आश्रम बने हैं। यह सभी आश्रम शिक्षा, संस्कार और शोध—अनुसंधान के केन्द्र हुआ करते थे। जिनमें परिक्रमा करने वालों को ज्ञान मिलता

था, या एक बात यह भी हो सकती है कि इन आश्रमों में चलने वाले निरन्तर शोध के परिणामों से समाज को अवगत कराने के लिए जरूरत उनसे संपर्क करने के लिए निकलते हो जिसने आगे चलकर परिक्रमा का रूप ले लिया। चूंकि नदियों में केवल नर्मदा की परिक्रमा करने की परंपरा है बाकी की नहीं। गंगा नदी की भी परिक्रमा नहीं होती। इस पर एक स्वतंत्र शोध की जरूरत है जो अंग्रेजों से प्रभावित शोध से पूरी तरह मुक्त हो।

प्रजातियां विलुप्ति की ओर : वैज्ञानिकों ने नर्मदा घाटी में 2422 विभिन्न प्रजातियों को चिह्नित किया। इसमें 665 कशेरूकीय (रीढ़ वाले), 1757 अकशेरूकीय प्राणी (बिना रीढ़ वाले) हैं चंद्रा एवं अतिरिक्त, 2010)। ये सभी प्राणी कुल 40 प्रकार के प्राणी समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें 155 प्रकार की मछलियां, 115 प्रकार के मेंढक, 62 प्रकार के उभयचर, 345 प्रकार के पक्षी और 88 प्रकार के स्तनधारी जीव हैं। इनमें से 200 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इनमें मछलियां, स्तनधारी, पक्षी और तितलियां भी शामिल हैं।

1940 के रिकार्ड को आधार मानें, तो नर्मदा नदी में मछलियों की 68 प्रजातियां पाई जाती थीं। अब इनमें से डैनियो, गररा मूलिया, आरेक्थीस, एम्बलीसेप्स, एरेस्थिटिक हारा जैसी प्रजातियां लगभग गायब हो चुकी हैं। वहीं नोरोटेरस, चिताला, क्लेरियस, टारप्यूटिटेरा (गोल्डन महाशीर), लेपीजेसिफेली शाइस (गुनगुच) और चन्ना विलुप्ति की कगार पर हैं।

नर्मदा घाटी के जीवाश्म :यह आश्चर्यजनक, किंतु सत्य है कि नर्मदा घाटी में कभी महागज—स्टेगोडॉन, शुतुरमुर्ग, हिप्पोपोटेमस आदि जीव रहा करते थे, जो आज भारत में ही नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार नीलगिरी या यूकेलिप्टस का वृक्ष जिसे हम ऑस्ट्रेलिया से आया विदेशी वृक्ष समझते हैं, लाखों वर्ष पहले डिंडोरी—मंडला के निकट घुघवा में पाया जाता था। जबलपुर में डायनासोर का पहला जीवाश्म तभी खोजा जा चुका था, जब डायनासोर शब्द प्रचलन में भी नहीं था। धार जिले में बाग के निकट पाड़ल्या वनग्राम में डायनासोर के 100 से अधिक अंडों के जीवाश्म हाल ही में मिले हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि स्टीवन स्पिलबर्ग की प्रसिद्ध फिल्म "जूरासिक पार्क" में दिखाए गए भयानक ठी—रेवस डायनासोर जैसा मांसाहारी विधंसक डायनासोर कभी भरूच से लेकर जबलपुर तक एकछत्र राज किया करता था। वैज्ञानिकों ने इसे नर्मदा घाटी का राजसी डायनासोर कहते हुए इसका नाम राजासौरस नर्मदेन्सिस किया है। इसके अतिरिक्त भी नर्मदा घाटी से शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोरों की कई प्रजातियों की पहचान वैज्ञानिकों द्वारा की गई है।

मंडला में मिले शंख के जीवाश्म प्रशांत महासागर के क्षेत्र से मिले जीवाश्मों से मिलते हैं। प्रौढ़व कुल की प्रजाति के जो जीवाश्म नर्मदा क्षेत्र में मिले वैसे आस्ट्रेलिया में भी मिले हाथियों के जीवाश्म अफ्रीका के प्राचीन हाथियों के जीवाश्मों से मेल खाते हैं।


नरसिंहपुर जिले में नर्मदा व इसकी सहायक शेर नदी के आसपास तो विलुप्त वन्य—प्राणियों के इतने जीवाश्म मिले हैं कि इस क्षेत्र को जीवाश्मों का खजाना ही कहा जा सकता है। यहाँ से कृष्णमृग, सांभर, गौर, हिप्पोपोटेमस, तेंदुए जैसे अनेक वन्य—प्राणियों के जीवाश्म मिलने से लगता है कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक स्वर्ग था। इसी तरह सीहोर जिले के नर्मदा तटीय गाँव हथनौरा में लगभग पाँच लाख साल पुराने नर्मदा मानव का जीवाश्म मिलना मोहन जोदड़ो और हड्ड्या की खोज से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

जबलपुर की जैव विविधता :मध्य प्रदेश की संस्कारधानी के रूप में विख्यात जबलपुर में जहां नर्मदा 60 किलोमीटर प्रवाहित होकर लोगों को स्वच्छ जल दे रही वहीं 52 तालाब पर्याप्त जल वाले क्षेत्र को इंगित कर रहा, पूर्वकाल से ही यहाँ जीवों की उपलब्धता रही पुरातत्व के अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं।

तालिका : 1

जबलपुर में नर्मदा नदी में अब तक रिकॉर्ड किये गए जीवों की सूची (चंद्रा एवं अतिरिक्त 2010) :

क्र.	समूह के नाम	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा रिकॉर्ड प्रजाति वर्ष : 2010
1.	प्रोटोजोआ	07
2.	प्लेटिहेलेम्निथस	12
3.	रोटिफेरा	27
4.	एनालिडा	35
5.	अर्थोपोडा	53
6.	अरेकिनडा	11
7.	इन्सेक्टा (समस्त समूह)	1380
8.	मोलस्का	39
9.	मत्स्य	155
10.	एम्फिबिया	15
11.	रेप्टिलिया	62
12.	एविस	345
13.	मैमेलिया	88




ग्राफ : १ भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा रिकॉर्ड प्रजाति वर्ष – 2010 का प्रदर्शन,
प्रजातियों की संख्या एवं समूह

तालिका : 2


नर्मदा नदी जबलपुर क्षेत्र में अर्जुन एवं अतिरिक्त द्वारा रिकॉर्ड किये गए जीवों की सूची एवं उनके प्रकाशन वर्ष :

क्र.	समूह के नाम	शोधकर्ता	प्रजातियों की संख्या एवं वर्गीकरण	रिकॉर्ड प्रजाति वर्ष / स्थान
1.	जन्तुप्लवक	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	42	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
2.	पादप प्लवक	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	07	नर्मदा नदी जबलपुर 2016
3.	फंगस	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	12	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
4.	बैन्धोस (जलीय)	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	42	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
5.	तितलियां	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	25	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
6.	ओडोनेटा	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	37	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
7.	मोलस्का	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	13	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
8.	मकड़ियां (अरेकिनडा)	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	26	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
9.	मत्स्य	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	25	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
10.	रेप्टाइल (सर्प)	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	18	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
11.	पक्षी	अर्जुन एवं अन्य शोधार्थी	77	नर्मदा नदी जबलपुर 2015
कुल प्रजातियों की संख्या :		324 प्रजातियाः 204 अक्षेत्रकी एवं 120 क्षेत्रकी		



परिणाम एवं समीक्षा : अर्जुन एवं अन्य (2016) ने एनालिडा, अर्थोपोडा एवं मोलस्का की प्रजातियों की सहायता से रसायनों का प्रयोग किये बिना ही नर्मदा जल प्रदूषण का नियंत्रण एवं प्रदूषण की पहचान पर शोध कार्य कर 12 लाख की जनसँख्या युक्त संस्कारधानी—जबलपुर के लोगों को स्वच्छ नर्मदा जल मिल सके इस पर अपना शोध कार्य किये इनके शोधानुसार नर्मदा में पाए जाने वाले कीटों की उपलब्धता एवं विविधता से पानी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता ये कीट पानी के प्रदूषण सूचक का कार्य करते हैं। एन्लिड्स अर्थोपोड्स एवं मोलस्क की प्रजातियां पानी के प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं इन्हें बेन्थोस की संज्ञा दी जाती है। इन बेन्थोस को पहचान कर टेक्सोनोमी की सहायता से हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं फिर उनके विशेष गुप्त द्वारा उनकी पहचान करते हैं आखिर ये किस प्रकार का प्रदूषण दिखा रहे हैं।

जैसे पानी में पाए जाने वाले इसोपोडा—अमोनिया के प्रति अपना संकेत, क्रस्टेशिया—पानी के बड़े हुए पी.एच एवं तापमान को, पानी में आक्सीजन की अधिक आवश्यकता (उच्च—डी.ओ) है, इस हेतु—प्लेकोप्सेरा, कम होने पर मोलस्का, आर्गेनिक प्रदूषण हेतु ओडोनेटा जैसे कई प्रजातियां अच्छे प्रदूषण संकेतक कि भूमिका निभाते हैं, जिन्हें आसानी से पहचान कर अनुमान लगाया जा सकता है, कारण यह है कि पानी के परीक्षण हेतु पैरामीटर लगाये जाते हैं जिसमें हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो कहीं न कहीं से बाह्य स्त्रोतों द्वारा नदी में मिलकर प्रदूषण करते हैं, एक शोध सर्वे से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि एक दिन में हम 25 पैरामीटर लैब में जल परीक्षण हेतु लगाते हैं जिसमें हमें 20 लीटर के आस पास रसायनों की आवश्यकता होगी, तो एक माह में 600 लीटर और एक वर्ष में 7300 लीटर रसायनों कि जरूरत पड़ेगी, जो किसी एक लैब का अनुमान है, ऐसे यदि तीनों राज्य के सभी लैब को लेकर बात कही जाय तो अनुमानतः 50 लाख लीटर से ज्यादा रसायन प्रयोग सिर्फ पानी के परीक्षण हेतु लगाये जाते हैं, एक ओर हम शुद्धता कि बात करते हैं तो दूसरी ओर हम स्वयं इसे कहीं न कहीं प्रदूषित करते हैं, रसायनों द्वारा परीक्षण उतना हों जितना आवश्यक हों, अतः नर्मदा जल स्वास्थ्य परीक्षण कहीं स्वास्थ्य घातक न बन जाये इस हेतु रसायनों का प्रयोग कम कर हम बेन्थोस कि सहायता से पानी के प्रदूषण पर नियंत्रण पा सके यह बेहतर उपाय हों सकता है क्योंकि ये बेन्थोस पानी में पाए जाने वाले जीवों के प्राथमिक भोजन भी होते हैं, ओडोनेटा फिश का प्राथमिक भोजन है जो पोस्ट लार्वल अवस्था में मच्छरों के लार्वा को खाते हैं (इसके द्वारा हम मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छरों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं), इस प्रकार कई प्रजातियां अपनी भूमिकाएं देती हैं।



निष्कर्ष : केवल जैव विविधता का ही संरक्षण नहीं—अपितु इनसे जुड़ी अन्य परंपराओं व लोक मान्यताओं का संरक्षण और नई पीढ़ी के बीच फैलाव भी जरूरी है। ताकि वे यह जान सकें कि भारत के दर्शन में विज्ञान तथा पर्यावरण पक्ष अहम् रहे हैं और इस सब पर अमल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ ही जैव-विविधता से जुड़ी कहावतें—लोकमान्यताओं को भी प्रकाश में पुनरु लाया जाना चाहिये।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो नर्मदा नदी को समर्पित आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित नर्मदा अष्टक तो नर्मदा जी के इकोलॉजिकल सिस्टम के संरक्षण का ही इशारा करता है। मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, पक्षियों का कलरव—इसके मुख्य विषय हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि नर्मदा में मगरमच्छ, मछलियां और कछुओं के जीवन पर गहरा संकट छा रहा है। कभी इस नदी की पहचान रही महाशीरा मछली तो लुप्त ही हो रही है, इसलिये वन्य प्राणियों के समग्र संरक्षण के लिये आवश्यक है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों—पर्वत, जंगल, नदियां, नालों के भी संरक्षण का माहौल बने। ये संसाधन ही मानव तथा अन्य जीव—जंतुओं के जीवन का बुनियादी आधार हैं।

सन्दर्भ :

1. Rai, S., Shukla, A. Sharma, A. and Ahirwar, B. (2016) Arjun Shukla et al. published work on the fauna of river Narmada, Jabalpur Region : A Review, International journal of Fisheries and Aquatic studies, 4(3) : 372-377.
2. Chandra, K., Sharma, R.M. and Ojha, P. (2010) a Compendium on the faunal resources of narmada basin in Madhya Pradesh, rec. zool. surv. India, Occ. paper no. 310 : 1-152.
3. Ram Prasad Pathak (2015) Narmada Parikrama, Gondi Public trust, mandala. 1-197.
4. Smith M.J., Kay W.R., Edward D.H.D., Papas P.J., Richardson K., Simpson J.C., Pinder A.M., Cale D.J., Horwitz P.H.J., Davis J.A., Yung F.H., Norris R.H. and Halse S.A. (1999) AusRivAS: Using macroinvertebrates to assess ecological condition of rivers in Western Australia. Freshwater Biology, 41(2): 269-283.

Effect of Nitrogen based fertilizers on the testis of Fresh water teleost *Channa punctatus* during Spawning period

Dr. Namrata Shrivastava, Department of Zoology Govt. M.H. College of Home Science, Jabalpur (M.P.)

Abstract :Nitrogen is an essential macro nutrient for human beings and aquatic animals. It is known to growth element of tissues and protects the injury to the animals. The present study was designed to investigate the acute effect of nitrogen on the testis of fresh water teleost *Channa punctatus*. Nitrogen amount is increases so early spawning are starts, but pyknosis condition is start. Amount of nitrogen is given after 24hr. During the Spawning period effect of nitrogen is shows very high, because its culturable fish so the maturation is delayed. So the fishermen can effect. Channa have a high nutrition value. In this fish spermiation is starts in March. Spawning occurs in September to October when marked environmental changes particularly the suddenly increase in the quantity of food and dissolved oxygen and moderate photoperiod temperature is associated with spawning.

Key words :*Channa punctatus*, Pyknosis, Nitrogen.

Introduction:The president investigation has an objective find out the impact nitrogen based inorganic and organic fertilizers on reproductive organs of fresh water teleost *Channa punctatus*. Here we can use UREA. Nitrogen is the important element of fertilizers it is already present in the soil as well as given outside also. Most of the workers have studied the effects of the lethal concentration of fertilizers on the fish mortality and their behavior; some workers are studies effect of fertilizers on the gonads. The present study is therefore to note the histopathological changes in the testis of fish *Channa punctatus* after intoxication of different concentration of Urea. The fertilizers effect on testis of fish studied by Mathur (1962) Dutta et al (1992) showed that the germ cells are affected by the more uses of fertilizers. Much more studies have been carried out to explain the reproductive system, reproductive cycle and reproductive periodicity in the number of fishes. Recently extensive uses of nitrogen fertilizers have been started in Indian fish farming. No doubt fertilizers enhanced the productivity of fish culture, but on the other hand in aquatic system is decrease the productivity resulting in the low production rate of fish.

Materials and Methods: Different experiments were set up in lab for study. In the first set of aquarium ten male and ten female fishes were kept as control fishes ,and in second set of aquarium ten pairs of fishes were kept in sub-lethal concentration of respective chemical fertilizer viz Di ammonium phosphate for the complete period of reproductive cycle. Present study concern only spawning period. Fishes were dissected and weight and volume of the ovary were recorded. Ovaries were fixed in Bonin's and Zinker's fluid and paraffin blocks were made, sections were cut at 5 μ and stained with PAS, CAHP and Hematoxylin eosin methods.

Observation: In the *Channa punctatus* the Spawning period starts in the middle January to till the end of May. In experimental fish testis is triangular shape enclosed with in thin layer of peritoneum, the connective tissue, blood vessels, epithelial cells and somniferous tubules are the important parts in the histology of the testis.

The six stages are found Testis-

- 1- Primary spermatogonia
- 2- Secondary spermatogonia
- 3- Primary spermatocytes
- 4- Secondary spermatocytes

- 5- Spermatids
- 6- Spermatozoa

Spawning period is prolonged in the experimental fish *Channa punctatus* as oxygen requirement of fish low in comparison to other groups teleost. The testis with completely filled with spermatids and spermatozoa.

During the Spawning period the activity of testis reaches up to their extremity and the maximum value of gono somatic index and volume reached recorded. This justifies that metabolic rate within testis is very high and process of spermatogenesis is very active. At the end of Spawning period a gradual decrease in these values has been noticed. This indicates that testis have started their resting phase .For the calculation of gonosomatic index the following formula has been applied.

$$\text{GSI} = \frac{\text{A}}{\text{B}} \times 100$$

Where ,

A=Weight of testis

B=Body weight of fish

Results:

Toxicity of chemical fertilizers play a significant role in the total process of fish reproduction as intoxication of fertilizers Change the physico chemical nature of water. Experiment was conducted for the complete period of seasonal cycle. When treated with sub lethal concentration of Urea so the number of changes have been observed in the testis.

A- Reduction in the number of early stages of spermatogenesis.

B- Process of Pyknosis start in the early stages of spermatogenesis resulting in reduction in the number of spermatozoa.

This obvious indication that chemical fertilizers decrease the process of spermatogenesis in male.

C- An increase in the gap in between the intestinal tissue has been observed probably due to reduction in the number of early stages of spermatogenesis.

A number of factors are responsible for the regulation of the process of reproduction in teleost. Among the photo period and temperature have the responsible role for the reproduction? It is supported by the James (1946), Gokhle (1957), and Anant Prakash (1976) Raizada (1970).

Sarkar, (2002) have described the essential nutrients elements in water. The major elements are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulphur. These elements are very important for growth and development but the uses of larger quantity of these elements the degradation is starts from bacteria and produce toxic metabolism such as ammonia, nitrate and nitrite resulting in low reproductive rate of fish. When fish treated with Urea increase the pyknotic stage is starts earlier. Another impact of these fertilizers is delayed the Spawning after the treatment of sub lethal concentration.

Reference:

1. Bazzoli (2006). Braz. J. Biol. volu. 66 No. 2asao carlas.
2. Gupta A .K. (1988). Accumulation of cadmium in the fishes Heteropneustes Fossilis and *Channa punctatus*.*Env.Eco.* 6(3):577-580.
3. Lehari G.K.(1968) “ The annual cycle in the ovary of eat fish *Clarias batrachus* (Linn).“*Acta Anat.*69: 105-125.
4. Malaviya R.B. (1972) “ Studies on the histology and his togenesis of the Piturary gland & hypothalamo hypophysial vascular relationship in clarias and some other teleost fish.Ph.D. Thesis Sagar University.
5. Mashi S.(2000) “Hypothalamo neurohypophysial neurosecretary system in a fresh water teleost in relation to reproductive cycle.” Ph.D. Thesis A.P.S. University Rewa.(M.P.).
6. Pathak C.K. (1986) “Studies on some aspects of hypothalamo-newro hypophysial nearos secretary system in a fresh- water teleost.Rosbara danicanus (Ham).Ph.D. Thesis Dr. H.S. Gaur University Sagar.
7. Sandhya Saini, (1986). Hypothalamo hypophyscial neurosecretary system in fresh water fishes with special referne to the vascularisation. Ph.D. Thesis Gaur University Sagar (M.P.).
8. Saxena S.K. (1990). “Studies on the hypalhalamo- neurohypophysial system in a fresh water fish Nandus nandus (Ham).” In relation with reproductive cycle Ph.D. Thesis University of Sagar.
9. Siddiqui S.(2001). “Toxicity of some heavy metal salts on Hypatholamo neurohypophysial neurosecretary system in a fresh water teleost in relation to repoduction” Ph.D., Thesis A.P.S. University Rewa (M.P.)
10. Singh B. (1991). Hypathalamo neurohypophysial system in a fesh water fish *Danio equipmentus* (Ham.) and neural contral on reproduction Ph.D. Thesis A.P.S. University Rewa (M.P.)
11. Soni R.L. (1997). “The neurohypophysical system in a fresh water teleost Ph.D. Thesis A.P.S. University Rewa (M.P.).
12. Trivedi S.P, P. Singh, N.Sethi and R.S. Singh (1990). Evaluational hemotoxic effects of two commonly used fertilizers, Diammonium phosphate and urea of fish *Clarias batrachus* Ecotox. Environ.

नागवंश का प्राचीन भारतीय इतिहासः एक अध्ययन

कन्हैया लाल धुर्वे, सहायक प्राध्यापक (इतिहास), शासकीय निवास महाविद्यालय, मण्डला, म.प्र.

सारांशः—जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अर्णिवंशी माने गए हैं उसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परम्परा रही है। भारत में आर्य, द्रविड़, दासों के साथ ही नागवंशी समाजों का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। अनंत (शेष), वासुकी, तक्षक, कार्कोटक और पिंगला—उक्त पांच नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। यह सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। हिन्दू धर्म के दो भाग माने जाते हैं—पहला वेद और दूसरा पुराण। नाग पूजा का प्रचलन पुराण पर आधारित है। माना जाता है कि मूलतः शैव, शाक्त, नाथ और नागपंथियों में ही नागों की पूजा का प्रचलन था। नागवंश प्राचीन काल का एक राजकुल था। इस वंश के कुछ सिक्कों पर बृहस्पति नाग, देवनाग और गणपति नाग नाम लिखे प्राप्त हुए हैं। नागवंश का शासनकाल 150 से 250 विक्रत संवत के मध्य जान पड़ता है।

प्रस्तावना:—उत्तर—पश्चिम भारत नागों का उद्भव स्थल और प्रथम प्रभाव क्षेत्र था। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर में ही नागों के तीन सौ उपवंश थे जिनमें प्रमुख तक्षक, कश्यप, कार्कोट थे। तक्षक से तक्षशिला नाम पड़ा और वे तक्षशिला से लेकर हस्तिनापुर तक फैले हुए थे। तमिल भाषा में नाग को आरवा कहते हैं जिससे आरावली पर्वत माला (नागों का घर) निकला है। नाग यज्ञ के बाद नाग देश के मध्यभाग और पूरब भाग में फैल गये। विंध्याचल के दक्षिण में आंध्र से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में नाग पूजा और नागवंश के राज्यों का उल्लेख मिलता है।¹ भारत के लोग परियोजना के अनुसार नागवंश वाले लोग सबसे ज्यादा समुदाय में हैं, सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं, वे सारी जातियों और वर्णों में विद्यमान हैं, वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में मौजूद हैं जिससे ऐसा लगता है कि नाग सिर्फ जल पर निर्भर जाति नहीं थी और न ही पर्वत पर रहने वाली या पाताल में रहने वाली जाति थी यह सब जगह फैली हुई थी। वस्तुतः नाग एक देशज, लोक जाति थी जो लोक संस्कृति और पर्यावरण क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी।² वह देश की प्राचीनतम जातियों में से एक थी।

अध्ययन के उद्देश्यः—धार्मिक वांगमय में नागवंश की उत्पत्ति राजा 'शेषनाग' से बताई जाती है। इस वंश के गंगाधर, महिपाल, पुरन्दर, नागादेर, वेणुधर, योजनावीर्य, दामोदर, नागनन, कार्तवीर्य आदि अनेक राजा हुए। बाल्मीकि रामायण में भी शेष नाग और वासुकि राजाओं का वर्णन आता है।³ महाभारत के आदि पर्व के तीसरे अध्याय में नागों का वर्णन है। महाभारत काल में ये गंगा—यमुना के बीच कुरुक्षेत्र और दिल्ली के आसपास खाण्डव वन में बसते थे। इस वंश के एक राजा के पास अट्ठाइस हजार आठ सौ सैनिकों का वर्णन मिलता है, जब अर्जुन ने खाण्डव वन को जला दिया तब से ये पाण्डवों के शत्रु बन गए। इन्होंने अर्जुन को मारने के बड़े-बड़े यत्न किए, किन्तु हर बार अर्जुन बचता ही रहा। महाभारत के युद्ध में वर्णन आता है कि एक नाग कर्ण के सहायक के रूप में युद्धभूमि में सदा उसके साथ रहता था। वह बार-बार कर्ण से कहता कि इस जहरीले तीर से अर्जुन को मारो, किन्तु कर्ण ने उसकी बात न मानी और नाग राजकुमार की इच्छा पूर्ण न हो सकी। नागों ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को मारकर अपना बदला लिया था। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने नागों का दमन किया और अहिंचत्रपुर, नागपुर, नागौर, नागही, यशपुर (जहानपुर) सफीरों (हरियाणा) आदि इनके मुख्य केन्द्रों को नष्ट-भ्रष्ट किया। जिससे नाग सत्ताच्युत होकर इधर-उधर बिखर गए।

प्राचीन साहित्यः—प्राचीन साहित्य के इन सूत्रों से स्पष्ट होता है कि गंगा के दक्षिणी तट से लेकर समुद्र तट तक नाग जाति का क्षेत्र विस्तार था। यह आर्य जाति की ही एक शाखा थी जो आपसी संघर्षों के कारण दक्षिणारण्य में जा बसी थी। रामायण काल का दण्डकारण्य इसी दक्षिणारण्य का एक भाग था, जिसे महाकान्तार भी कहा जाता था।⁴ ज्ञातव्य है कि आर्य जाति ही संसार की प्रथम कृषक जाति थी जो मध्य एशिया से आकर सप्त सिन्धु प्रदेश में बस गई थी। इस समय नाग जाति आर्य जाति के साथ ही साथ सिन्धु प्रदेश में बसती थी। सिन्धु घाटी की सम्पत्ता में मिले नाग जाति के अवशेष, नागशिव की मूर्ति आदि इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं।⁵

दक्षिणारण्य में नागों, पर्वत, हाथी, खनिज पदार्थ तथा नाग जाति आदि की प्रधानता थी। आज भी प्राचीन दक्षिणारण्य के उत्तर पूर्वी भाग को झारखण्ड या नागपुर कहा जाता है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक दक्षिणारण्य के उत्तर पूर्वी भाग को विविध नामों से अभिहित किया जाता रहा है। मगध, ब्रत्य प्रदेश, कोकट प्रदेश, पुण्ड्र, पौण्डरिक देश, अर्क खण्ड, कर्क खण्ड, नागपुर, झारखण्ड कोकराह, खुखरा, हीरानागपुर, चुटियानागपुर अथवा छोटानागपुर आदि इनमें प्रमुख हैं। मुगलकाल में यह प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध था जिसके कारण इसे हीरानागपुर कहा जाता था। यहाँ के पौराणिक मुण्डारी, उरांव आदि लोकगीतों में इसे हीरानगर कहा गया है।

कालान्तर में मध्यवर्ती आरण्य प्रदेश या झारखण्ड, राजनैतिक आदि कई कारणों से कई खण्डों और उपखण्डों में विभाजित होता चला गया। प्राचीन तथा मध्य कोकट, अंग, बंग, मगध, मिथिला, कलिंग, विघ्य, पांचाल तथा आधुनिक बड़ा नागपुर, चुटियानागपुर जो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है आदि इन्हीं खण्डों के विभिन्न रूप हैं।⁶

निष्कर्ष:-

प्रागैतिहासिक काल से ही मानव व नाग (सर्प प्राणी) साथ-साथ रहते चले आए हैं। सम्यता के विकास के दौरान आखेट से आगे बढ़कर मानव ने कृषि कार्य को अंगीकार किया। समय के अन्तराल के साथ-साथ जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती चली गई। श्री एचओजी० वेल्स का मत है कि आज से 8000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष पूर्व के बीच लोगों को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि उनके साथ अन्य नाम (उपनाम या उपाधि) जुड़ जाए ताकि दूसरे लोगों से उनको पृथक रूप से मान्यता मिल जाए। मानव के सामाजिक विकास के इस प्रथम चरण में सर्प ही इतना व्यापक स्तर पर मानव का पड़ोसी तथा कृषि हित कारक के रूप में पाया गया कि मनुष्य ने अपने उपनाम या उपाधि हेतु सर्प नाम को उपयुक्त मानकर उसे अंगीकार कर लिया।

भारतीय संस्कृति, धर्म और जन जीवन में नाग और नागपूजा की परम्परा अति प्राचीन है, सिन्धु घाटी से लेकर वर्तमान समय तक नाग संस्कृति विद्यमान है। सिन्धु घाटी सम्यता से प्राप्त तीन मुद्राओं पर सर्प का अंकन है। ऋग्वेद में भी सर्प का वर्णन है। भारत के साथ अनेक देशों में भी मानव सम्यता के साथ नाग संस्कृति का सम्मिलन हुआ है। नागों का सांस्कृतिक महत्व भारत के हर क्षेत्र में दृष्टिगत् है। पर्वतों के नाम, वृक्ष के नाम, भौगोलिक क्षेत्र, मानव, मानव जातियाँ, भाषा, नगर के नाम, आदि सभी में नाग प्रतीकवाद का साक्षात् लक्षण दिखाई देता है। नाग संस्कृति, भारत की अनूठी तथा ऐतिहासिक संस्कृति है। नाग इस देश के मूल निवासी हैं। नाग एक प्राणी भी है और मानव जातियाँ भी। आर्यों के आगमन से पूर्व सिन्धु घाटी की मुद्राओं व सीलों में सर्प, बैल व मनुष्य रूपी पशुपति तथा उसके आस-पास दो सर्पों के चित्रण, सीलों का प्राप्त होना, नाग संस्कृति की अति प्राचीनता को उद्घाटित करता है।

संदर्भ—

1. विमलेश्वरी सिंह – नागवंश, 2003, नई दिल्ली, पृ. 42
2. वासुदेवशरण अग्रवाल – यक्ष ऐण्ड नागाज., इस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट, खण्ड 24 (1) जन, अप्रैल, 1971
3. बाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर
4. विमलेश्वरी सिंह – नागवंश, पृ. 44
5. विमलेश्वरी सिंह – नागवंश, पृ. 44
6. डॉ. अवन्तिका प्रसाद मरमट – नाग संस्कृति, उज्जैन 2000

“आध्यात्म और संगीत”

शैली धोपे, जबलपुर

शोधसार :—मनुष्य एक प्रभावशाली प्राणी है। वह अपने आस-पास के वातावरण में जो कुछ भी देखता सुनता है उसकी प्रतिक्रिया उसके हृदय में अवश्य होती है। किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या अन्य किसी प्रकार से जानकर मन में उठने वाले विचारों को भाव कहते हैं। इन्हीं भावों को सुन्दरता के साथ सजा-संवार कर व्यक्त करने की विभिन्न प्रणालियों को कला कहा है। “भावाविष्करण कला” — संगीतज्ञ अपनी स्वर लहरियों, वाद्यों तथा नृत्य के द्वारा अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं।

संगीत — आचार्य शागड़देव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “संगीत रत्नाकर” में कहा है— “गीत वाद्य तथा नृत्य त्रयं संगीत मुच्यते” अर्थात् गायन, वादन और नृत्य ये तीनों ही मिलकर संगीत कहे जाते हैं। नृत्य वाद्य का अनुगमन करता और वाद्य गीत के पीछे-पीछे चलता है। अतः जब उपयुक्त राग-रागिनी में जब भी कोई गीत गाया जाये उसके अनुकूल ही वाद्य बज रहे हैं और उसी गीत के भावों को नृत्य की मुद्राओं के द्वारा व्यक्त किया जाये तभी संगीत पूर्णता प्राप्त करता है। इस प्रकार तीनों कलायें एक दूसरे की पूरक हैं और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। जैसे सत, और तमस इन तीनों से मिलकर यह दुनिया बनी है। इन तीनों में से किसी एक के भी न होने पर सृष्टि संभव नहीं है। उसी प्रकार गायन, वादन और नृत्य इन तीनों तत्वों से मिलकर ही संगीत का संसार रचा है।

नृत्य — प्राचीन काल में ही नृत्य को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था मार्ग व देसी इन्हें आजकल क्रमशः शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य कहा जाता है। नृत्य रस एवं भावों की अभिव्यंजना से युक्त होता है। आचार्य नंदिके” वर ने नृत्य का वर्णन अपने अभिनय दर्पण में इस प्रकार किया है:—

“आस्येनालम्बयेत् गीतं हस्तेनार्थं प्रदर्शयेत्।

नेत्राभ्यां दर्शयेद् भावं पादाभ्यां तालमाचरेत्।”

जब मुंह से गाना गाया जाये, हाथों की मुद्राओं से उस गीत के शब्दों के अर्थ बतलाया जाये, आंखों से उसके भाव दिखाये जाये और पैरों से ताल के अनुसार ठोका दिया जाये तब नृत्य होता है।

गायन — गायन के लिये उपयोगी सात स्वर इनके नाम क्रमशः शाड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निशाद हैं जिन्हें सा, रे, ग, म, प, ध, नि कहते हैं। सात स्वरों के कोमल और तीव्र रूप मिलाकर उनकी संख्या बारह हो जाती है। बारह स्वर के ऊपर नीचे और भी सुरीली ध्वनियां हैं जिन्हें ‘श्रुति’ कहते हैं। सात स्वरों के रहने के स्थान को सप्तक कहते हैं “मंद” “मध्य” व “तार” सप्तक तीन प्रकार के होते हैं। गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण की नियमित रचना को अलंकार कहते हैं। ध्वनि की एक खास रचना जो स्वर और वर्ण से सुन्दर होती और मन को आनन्द देती है “राग” कहलाती है। राग ठाठ से उत्पन्न होता है और एक ही ठाठ से सैकड़ों हजारों राग उत्पन्न होते हैं।

वादन — वादन का संबंध वाद्य से है। संगीतात्मक ध्वनि तथा गति को प्रवाह करने के उपकरण को वाद्य कहा जाता है। प्राचीन काल में मानव-कण्ठ भी वाद्य माना गया है। कण्ठ वाद्य ईश्वर-निर्मित है। मनुष्यों के विकास के साथ वाद्य का भी विकास होता गया। वादन अर्थात् बजाना गायन नृत्य में वाद्यों का बहुत अधिक महत्व है। वाद्यों के द्वारा ही संगीत पूर्ण होता है। वाद्यों को चार श्रेणी में बांटा गया है:—

1. ततवाद्य — ये वाद्य तार के होते हैं स्वरों को फमानी (गज) या मिजराब के आघात से उत्पन्न किया जाता है। जैसे — सितार, सरोद, वीणा, बेला, सारंगी आदि।
 2. सुशिर वाद्य — जो वाद्य फूंक के बजाये जाते हैं उन्हें ‘सुशिर वाद्य’ कहते हैं। जैसे—बांसुरी, शहनाई।
-

3. अवनद्व वाद्य – ये ताल के लिये प्रयोग होते हैं तथा चमड़े के बने होते हैं। जैसे—नगाड़ा, तबला, पखावज आदि।
4. घन वाद्य – आघात द्वारा बजाये जाने वाले वाद्य, घन वाद्य कहलाते हैं। जैसे— मंजीरा, झांझ आदि।

आध्यात्मक— आध्यात्म जीवन का चिरन्तर सत्य है। इस सत्य को पाने के लिये जीवन का यथार्थ अनुभव आवश्यक नहीं, इनके लिये अनेक कल्पनाएँ भी हैं। आध्यात्म प्रेम व भक्ति की अनेक संवेदनशील कल्पनाओं से भरा है इस सत्य को पाने तथा इसे साकार करने में हृदय, बुद्धि व शरीर का संतुलन आवश्यक है। संतुलन ही आत्मिक सुख व मानवीय गुणों का आधार प्रदान करते हैं।

आध्यात्म का अर्थ — आध्यात्म का अर्थ है अपने अंदर एक संतुलन बना कर रखना और मन में शांति लाना। मन को वश में करना बहुत मुश्किल है आध्यात्म के द्वारा ही मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। अपने मन से नकारात्मक व घृणा का भाव निकाल कर सकारात्मक व प्रेम का भाव जगाना ही आध्यात्म है। आध्यात्म का अर्थ त्याग नहीं।

आध्यात्म एवं पूजा — पूजा या प्रेम दोनों एक ही चीज़ है सिर्फ नाम मात्र अलग है। प्रेम जीवन का आधार है एवं धर्म जीवन का मार्ग है और आध्यात्म एवं धर्म प्रेम करना सिखाता है। प्रेम सबक लिये होता है। पूजा जीवन है, प्रेम है, सहयोग है शुद्ध सात्त्विक गुणों का विकास है।

पुजात् कोटिगुणं स्त्रोत्रं कोटि गुणो जपः।

जपात्कोटि गुणं गानं गानात्परतरं नाहिं ॥

अर्थात् पूजा से स्त्रोत करोड़ गुण श्रेष्ठ है, स्त्रोत्र से जप, जप से करोड़ गुण श्रेष्ठ गान है अतः गान से श्रेष्ठ उपासना का कोई साधन नहीं है। प्रेम शब्द का अर्थ — परम यानि जो सर्वश्रेष्ठ है। जिसके आगे हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं।

संगीत की उत्पत्ति का आधार व निर्माण ब्रह्मा के द्वारा हुआ। ब्रह्मा ने आध्यात्मिक भावित के द्वारा यह कला भगवान को दी जिनके द्वारा सरस्वती को प्राप्त हुयी। माता सरस्वती को “वीणा पुस्तक धारणी” कहकर साहित्य की अधिष्ठात्री माना गया। सरस्वती ने नारद को, नारद ने स्वर्ग के गंधर्व किन्नर तथा अप्सराओं को वहाँ से भरत, नारद और हनुमान आदि ऋषियों ने संगीत कला का प्रचार भू-लोक तक स्थापित किया। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही पार्वती की शयन मुद्रा को देखकर शिव ने उनके अंग—प्रत्यंग के आधार पर रुद्रवीणा बनाई और अपने पांच मुख द्वारा पांच रागों की उत्पत्ति की तथा छठा राग पार्वती के मुख द्वारा उत्पन्न हुआ। शिव के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा आकाशोमुख होने के क्रमशः भैरव, हिन्दोल, मेघ, दीपक और श्री राग प्रकट हुये तथा पार्वती द्वारा कौशिक राग की उत्पत्ति हुयी। प्रदोश के समय शिव ने नृत्य की इच्छा प्रकट की इस अवसर पर सब देवता उनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति गान करने लगे। सरस्वती ने वीणा, इन्द्र तथा ब्रह्मा ने करताल, लक्ष्मी ने गायन, विष्णु ने मृदंग बजाया। इस कथन से यह सिद्ध है कि ईश्वरीय शक्ति द्वारा संगीत का प्रादुर्भाव हुआ तथा साथ ही आध्यात्मिक भावित को संगीत के साथ जोड़ा गया।

संगीत कला उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव जाति। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक संगीत का प्रवाहमान रहता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का आधार वेदों को माना गया है। वेद का आध्यात्मिक से घनिष्ठ संबंध भी प्राचीन काल से रहा है।

भारतीय संगीत में आध्यात्म की अहम् भूमिका है। वेदों का बीज मंत्र ओम् जो कि, तीन अक्षर अ, उ, म से बना है। उसी प्रकार ये ओम् में निहित है। प्राचीन काल में ऋषि मुनिष्ठ वर की आराधना आध्यात्मिक भावित से सम्पन्न स्तर साधना द्वारा करते थे। ओउम् स्वर का दीर्घ उच्चारण लम्बी ध्वनि द्वारा नाद स्थापित किया जाता था। इस उच्चारण को आध्यात्मिक

ज्ञान की वृद्धि व संगीत उपासना का साधन माना गया। मंत्रों में आध्यात्मिक तत्व का गायन में साम स्वर स्थापित कर नाद द्वारा ध्वनि का विकास किया जाता है। नृत्य का प्रारम्भ धर्म के मूल भाव से ही हुआ है।

“नृत्यमाने अमृत लीयते परमांदेश्ययात्म सा परा कला” कहते हुये मनीषियों ने इसे परमानन्द का आधार निरूपित किया। नृत्य आध्यात्म से जुड़कर अंक, शब्द, भाव, लय में समाये हुये अपने चरम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। संगीत के आध्यात्म के द्वारा शृंगारिक अनुभूति दी जा सकती है। आध्यात्म व संगीत दोनों की भावना शृंगार से ही जुड़ी होती है अर्थात् संगीत आकर्षण व आध्यात्म तृप्ति है। राधा—मीरा दोनों के ही प्रेमी भगवान् कृष्ण थे। एक ने शृंगारिक संगीत के द्वारा दूसरे ने भवित संगीत के द्वारा ईश्वरीय प्रेम की ऊँचाईयों को छुआ।

आध्यात्म का संगीत पर प्रभाव — जा संगीत में विलीन होना जानता है उसका जीवन काल परिपूर्ण हो जाता है। आध्यात्म और संगीत एक दूसरे के द्वारा जीवन को सामंजस्यपूर्ण व मधुर बनाते हैं। संगीत में हमें फूल जैसे खिलने की या चट्टान के जैसे ठोस बनाने की क्षमता है। हमारे भीतर भी एक दिव्य संगीत है। कभी—कभी परिस्थितियाँ वश में नहीं होती हर दिन नयी—नयी समस्याएं धेर लेती हैं। ऐसे समय में आध्यात्म ही संकटकालीन परिस्थितियों में सहायक होता है। संगीत व आध्यात्म एक दूसरे में समाहित होते हैं तो भावनायें रम बिन्दु पर एक हो जाती है और आनन्द की प्राप्ति होती है। आध्यात्म से ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संगीत में गति प्रदान करती है।

आधुनिक समय में संगीत आध्यात्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। आध्यात्मिता में संगीत द्वारा ही मन को एकाग्रचित किया जाता है क्योंकि स्वर समाधि को अवस्था में ही संगीत की वास्तविक छवि का अनुभव होता है साधना में तल्लीन होकर भावनाएं केन्द्रित होती है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही अनुशासन पालन की प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिकता के द्वारा ही राष्ट्रीय जागृति का विकास होता है तथा संस्कृति का भी विकास होता है। आध्यात्मिक संगीत द्वारा ही शारीरिक विकास तथा मानसिक दुर्बलता दूर होती है आध्यात्म द्वारा ही संगीत का संबंध ईश्वरीय शक्ति को परमात्मा से जोड़ा गया है। संगीत व आध्यात्म द्वारा विश्व बन्धुता की भावना का विकास तथा मनोवैज्ञानिक विकास होता है।

संक्षेप में यह कह सकते हैं कि भारतीय संगीत में आध्यात्मिक तत्व प्राचीन समय से आधुनिक समय तक विद्यमान है संगीत का वास्तविक संबंध व आधार आध्यात्मिक तत्व को ही माना गया है। स्वर साधना, ध्यान, भवित आदि कार्य आध्यात्म व संगीत के प्रमुख केन्द्र बिन्दु माने गये हैं। आधुनिक समय में संगीत साधना न रहकर मनोरंजन का साधन बन गये हैं। संगीत में आध्यात्म नहीं होने के कारण इसका प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। ऐसा संगीत अशांति के गर्त की ओर जा रहा है। इसका मुख्य कारण ग्लेमर की ओर बढ़ना। हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे। मनुष्य अवसाद से धिरता जा रहा है। क्रोध, धृणा, छल कपट को हम आत्मसात करते जा रहे हैं। जब मनुष्य आध्यात्मिक संगीत से जुड़ता है तो उसका जीवन सहजता—सरलता से परीपूर्ण हो जाता है।

ध्यान में मनुष्य जब गहरे में उत्तर जाता है तो स्वयं नहीं रह पाता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब संगीत की गहराई में उत्तर जाता है तो वहाँ कोई व्यक्ति विशेष न रहकर नृत्य, गायन ही रह जाता है। दर्शकों को भी नृत्यकार या गायक नहीं नज़र आता उन्हें गायन व नृत्य ही दिखाई देता है अर्थात् आध्यात्म व संगीत दोनों ही गहरे में उत्तरकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही परमान्द है संगीत ही एक मात्र भाषा है जो कि मौन के बहुत करीब आती है, यह आनन्द है उत्सव है। संगीत ध्यान से ही पैदा हुआ है। सभी संगीत खासकर शास्त्रीय संगीत मौन के नाद को पकड़ने का प्रयास करते रहे हैं। संगीतज्ञ ध्वनियों के बीच मौन का अंतराल पैदा करता है। जो नहीं समझते वे ध्वनि को सुनते हैं जो समझते हैं वे मौन को सुनते हैं। मौन दो ध्वनियों के बीच का अंतराल है। संगीत मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, संगीत जीवात्मा से महात्मा, महात्मा से देवात्मा और देवात्मा से परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है, संगीत में गायक, गायन और गेय वस्तु का भेद समाप्त हो जाये तो उसे समाधि कहते हैं।

संदर्भ :-

1. अंजू मुन्जाल, संगीत मंजूशा, पृष्ठ-12।
2. ओशो, संगीत कला और आध्यात्म, पृष्ठ-25।
3. इंटरनेट के माध्यम से।
4. श्री कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति, भरत का संगीत सिद्धांत।
5. डॉ. सुनीता शर्मा, भारतीय संगीत का इतिहास।

सीमेंट उद्योगो का पर्यावरण पर प्रभाव : चुनौती एवं समस्याएं

देवांशु गौतम, शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

प्रस्तावना –पर्यावरण के सभी तत्व जैविक एवं अजैविक परस्पर संबंधित होकर एक दूसरे के साथ भूतल के सबसे विशिष्ट प्राणी मानव को प्रभावित करते हैं। प्रकृति के अमान्य उपादान नितान्त उपयोगी हैं। इनकी एक निश्चित व्यवस्था है। मानव तथा प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा इस व्यवस्था में कभी–कभी विचलन उत्पन्न हो जाता है। पर्यावरण आंदोलित हो उठता है। जिनके फलस्वरूप घटनाएँ–उपघटनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका प्रभाव पर्यावरणीय तत्वों के साथ–साथ मानव पर भी पड़ता है। “पर्यावरण के जैविक–अजैविक तत्व, इनकी क्रिया–विधि, अंतः एवं बाह्य प्रभाव आदि ऐसे हैं जिनके विषय में चिंतन करना भूगोलविदों का अभीष्ट कर्तव्य है”। इस दिशा में अतीत से भूगोलवेत्ता चिंतनशील हैं परंतु सन् 1950 के पूर्व इसे स्वतंत्र रूप में विकसित नहीं कर पाये। सन् 1950 से सन् 1970 के मध्य भूगोल दो दशकों तक अवस्थितिकविश्लेषण सांख्यिकी एवं मॉडल, भूवैन्यासिक अध्ययन आदि में उलझा हुआ था।

फलस्वरूप पर्यावरण संबंधी अध्ययन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। परंतु सन् 1970 के पश्चात् इस दिशा में भूगोलवेत्ता एक नवीन चिंतन प्रणाली, उपयुक्त तकनीक, असीम उत्साह आदि के साथ अग्रसर हुए। फलस्वरूप पर्यावरण भूगोल का एक क्षीण स्वरूप जो परिलक्षित है वह सृजित होने लगा।

“भारत के सभी प्रगतिशील राष्ट्रवादी दल देश के औद्योगिकरण के पक्ष में थे। इन दलों ने भारतीय जनता की आर्थिक प्रजातान्त्रिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए औद्योगिकरण को आवश्यक माना”। कृषि की अति संकुलता किसानों की गरीबी का मुख्य कारण था और औद्योगिकरण का मार्ग इस संकुलता को कम करने का तरीका था। यही कारण है कि विभिन्न मतभेदों के बावजूद देश की सभी सामाजिक, राजनीतिक दलों के अर्थिक कार्यक्रम में औद्योगिकरण को प्रमुख स्थान मिला। भारत के प्रगतिशील सामाजिक व राजनीतिक दलों ने औद्योगिकरण के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभों को भली–भाँति समझ लिया था। बहुत सारी बातों पर इन दलों में मतभेद था लेकिन देश को औद्योगिकरण के मार्ग पर आगे बढ़ाने के प्रश्न पर सब एकमत थे। औद्योगिक विकास के अवरोधों के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया और औद्योगिकरण की उनकी समिलित माँग प्रमुख राष्ट्रीय माँग थी। जब हम भारत में औद्योगिक विकास पर विचार करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि औद्योगिक विकास के अर्थ को भली–भाँति समझ लिया जाए। औद्योगिक विकास का अर्थ उद्योगों के नियमित एवं क्रमिक विकास से लगाया जाता है जिसमें उद्योगों में धीरे–धीरे नवीनता व आधुनिकता का समावेश होता रहता है। मशीनों का प्रयोग क्रमिक रूप में बढ़ने लगता है, तथा उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं में समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्यतया औद्योगिक विकास में स्थिरता न रहकर गतिशीलता रहती है जो कि देश के विकास को दर्शाती है।

जिस देश में जितनी अधिक तीव्र गति से उद्योगों का विकास होता है, वह देश उतनी ही तीव्र गति से उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय भारत की औद्योगिक संरचना की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। वर्तमान में भारत में घड़ियाँ, दवाइयाँ, विद्युत से चलने वाले टाइपराइटर्स, बैटरी, सैल, मशीनी औजार, रेल के इंजन, वायुयान, पानी के जहाज, टेलीविजन, टेलीफोन, सिस्टेमिक कपड़ा आदि बनाने के कारखाने हैं जिनकी स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय तक भारत में बनाने की बात सोची भी नहीं जाती थी।

भारत में औद्योगिक विकास –1867 से पूर्व भारत का औद्योगिक विकास काफी हो चुका था। यहाँ का वस्त्र उद्योग बहुत विख्यात था। 1850 से प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक भारत में रेलों की स्थापना हुई तथा कोयला उद्योग का विकास हुआ। इस काल में कुछ वस्त्र तथा चीनी के कारखाने स्थापित किए गए। प्रथम लोहा व इस्पात का कारखाना टाटा जी द्वारा खोला गया, सीमेंट के कारखाने भी स्थापित किए गए, बागान उद्योग भी इस काल में पीछे नहीं रहा। 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय देश में 7100 से कुछ अधिक कारखाने थे। प्रथम विश्वयुद्ध से स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बीच भारत में

औद्योगिकरण की गति तीव्र रही। इस काल में भारत में सभी प्रकार से उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाने लगा। भारत सरकार से सबसे पहले 1922 में लौह एवं इस्पात उद्योग को, 1925 में कागज उद्योग को, 1927 में वस्त्र उद्योग को, 1931 में भारी रसायन उद्योग को, 1932 में चीनी उद्योग को तथा 1934 में कृत्रिम रेशम उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। द्वितीय विश्व-युद्ध के 1939 में प्रारम्भ होने से भारतीय उद्योगों को अपना विकास करने तथा नए-नए उद्योगों की स्थापना का अवसर मिला तथा उन उद्योगों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का भी अवसर मिला जो कुछ वर्ष पूर्व स्थापित हो चुके थे। इस काल में साइकिल, जहाज निर्माण, बिजली का सामान, सिलाई की मशीनें, वैज्ञानिक औजार, रबर के टायर एवं ट्यूब, कास्टिक सोडा, डीजल इंजन, इंजीनियरिंग उद्योग, तांबे के तार, चद्दरें व मशीनी औजार आदि नवीन उद्योग स्थापित किए गए।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत के औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति की, वर्तमान में यह विश्व के उन औद्योगिक देशों में गिना जाता है, जो औद्योगिक क्षेत्र में उच्च शिखर पर माने जाते हैं। अप्रैल, 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन आरम्भ हुआ। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में न केवल देश का औद्योगिक विकास हुआ है, बल्कि उत्पादन, रोजगार, पूँजीनिर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में भारत की औद्योगिक प्रगति परिलक्षित होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में यद्यपि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी, किन्तु उद्योग व खनिज विकास पर और पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षमता का पूर्ण विदोहन करने का समुचित प्रयास किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) इस काल में पूँजीगत औद्योगिक विस्तार की औद्योगिक मॉडल योजना प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य औद्योगिक संरचनाओं को विकसित करने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास की गति को भी बढ़ाना था। भारी पूँजीगत औद्योगिक आधार वाली इस योजना में प्राथमिकताओं में प्रमुख हैं: लोहा इस्पात, भारी रसायन, इंजीनियरिंग तथा मशीन निर्माण उद्योगों का विकास। सीमेन्ट, खाद्य औषधि आदि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, पट्टसन, सूती वस्त्र व चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण करना तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की क्षमता में विस्तार करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) में अर्थव्यवस्था को औद्योगिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और अर्थव्यवस्था में आधारभूत एवं पूँजीगत उद्योगों के विकास के साथ-साथ तकनीक एवं प्रबन्धकीय कौशल पर विशेष बल दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) में औद्योगिक उत्पादक और क्षमता में विस्तार करने की रणनीति के साथ-साथ भुगतान सञ्चालन की समस्या के समाधान के लिए 'आयात प्रतिस्थापन' तथा 'निर्यात संवर्द्धन' की नीति को भी कार्यान्वित किया गया। इस योजना में संगठित उद्योगों पर व खनन पर विशेष जोर दिया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) में औद्योगिक आत्म-निर्भरता व समृद्धि के साथ-साथ सामाजिक न्याय के उद्देश्य को भी सम्मिलित किया गया और मूल क्षेत्र के उद्योगों के तीव्र विकास पर बल दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में नियोजन काल के तीन दशकों का औद्योगिक मूल्यांकन करने के बाद सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) में उदारीकरण का दौर औद्योगिक विकास को मजबूती देने के लिए अपनाया गया। उत्पादन तकनीक का आधुनिकीकरण करके औद्योगिक विकास की क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने मौलिक आवश्यकताओं से सम्बन्धि और ऊँची विकास क्षमता वाले 'सूर्योदय उद्योगों को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की रणनीति अपनाई गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को नया रूप देने का प्रयास किया गया है। इस नई आर्थिक नीति का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को अधिक व्यापक, विस्तृत एवं खुली प्रतियोगिता योग्य बनाना है। इस योजना में निजी क्षेत्र को विकसित व विस्तृत करने ही रणनीति अपनाई गई है और अनेक सार्वजनिक औद्योगिक उपक्रमों में उपनिवेश का दौर आरम्भ किया गया।

पिछले 53 वर्षों के नियोजन काल में औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़ा है, तैयार इस्पात में 22.5 गुना, सीमेन्ट में 31 गुना, चीनी में 12 गुना, मशीनी औजार में 6234 गुना, सूती वस्त्र में 5 गुना, नाइट्रोजन खाद में 1170, गुना, वनस्पति में 7 गुना, कागज में 37 गुना, ऐल्यूमिनियम में 139 गुना व साइकिलों में 99 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

सीमेंट उद्योगों का पर्यावरण पर प्रभाव

मानव पर्यावरण के अन्तर्गत मनुष्य के स्वास्थ्य और सुख पर सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने वाले सभी बाह्य भौतिक, रासायनिक, जैविक, और सामाजिक कारकों का समावेश होता है। यह स्पष्ट करना उपयोगी है कि पर्यावरण को भौतिक, रासायनिक, जैविक इत्यादि में बाँटना केवल समझने की सुगमता के लिये किया जाता है और यथार्थ में पर्यावरण एक सम्पूर्ण इकाई ही है और परजीवी और परपोषी भी इसी पर्यावरण के अंग हैं। पारिस्थितिक संकल्पना के अनुसार व्यक्ति की पर्यावरण जन्य चुनौतियों से समायोजन के प्रयासों में प्राप्त सफलता या असफलता को ही स्वास्थ्य या रोग की संज्ञा देते हैं। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति या समुदाय की वह क्षमता या योग्यता है जिसके आधार पर वह स्वयं को न केवल वर्तमान में, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों में भी कार्यक्षम रहने की सिद्धता प्राप्त करता है।

पर्यावरण से समायोजन करने की प्रारंभिक प्रेरणा पर्यावरण से होने वाले उद्दीपनों द्वारा प्रारंभ होती है। जब उद्दीपनों का बाहुल्य इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति को सम स्थिति का संतुलन बनाये रखने के लिये सामान्य समायोजन से अधिक प्रायास कर अनुकूलन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है तब उन्हें प्रतिबल कारक कहते हैं। कोई भी उद्दीपन किसी व्यक्ति के लिये प्रतिबल कारक का कार्य करेगा या नहीं यह उस उद्दीपन की प्रकृति और मात्रा के अतिरिक्त उस व्यक्ति की संवेदनशीलता या सहनशीलता पर भी निर्भर करता है। पर्यावरण से मिलने वाले प्रतिबल कारकों से अनुकूलन के प्रयासों के असफल होने पर विकृति और रोग उत्पन्न होते हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रोग केवल पर्यावरण का प्रभाव न होकर पर्यावरण से अनुकूलन करने की अक्षमता के कारण उत्पन्न होता है और आवश्यक अनुकूलन क्षमता प्राप्त करने के लिये प्रतिबल—कारक ही पारंपरिक और शरीर—क्रियात्मक विधि है। प्रतिबल—कारकों द्वारा भौतिक और रोगजनक कीटाणुओं से अनुकूलन क्षमता प्राप्त करने की विधि तो लोगों को प्राचीनकाल से ही ज्ञात थी परन्तु वर्तमान में भौतिक और जैविक कारकों के नियंत्रण और तेजी से बदलते हुये सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारकों से प्रतिबल कारकों की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। अनुकूलन के समुचित प्रशिक्षण के अभाव में प्रतिबल जन्य रोगों का आघटन बढ़ता जा रहा है।

पर्यावरणीय प्रदूषण

जब मनुष्य की गतिविधियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से पर्यावरण के संघटकों या परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के कारण उसकी उपयोगिता में हास उत्पन्न होता है तब उसे पर्यावरण—प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण की इस परिभाषा के अन्तर्गत, मनुष्य द्वारा जानबूझकर या अनजाने ही उचिष्ट पदार्थों के विसर्जन, रासायनिक पदार्थों के विसरण और उष्मा, शोर, कम्पन, विकिरण के रूप में ऊर्जा के विसरण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे वायु, जल, मिट्टी आहार, व्यावसायिक आवासी एवं मनोरंजन के पर्यावरण में होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन सम्मिलित हैं। जब इन परिवर्तनों से अनुत्रास या मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिये संकट उत्पन्न होता है या पर्यावरणीय घटकों की घरेलू प्रौद्योगिकीय, कृषि, मनोरंजन इत्यादि में होने वाले उपयोग में कमी उत्पन्न होती है या पशुपालन, जंगली पशुओं, मछलियों, जल जीवों और अन्य जैविक स्पीशीज को हानि उत्पन्न होती है तो उसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:-

(1) घरेलू और शहर के बहित मल और अन्य उचिष्ट पदार्थों का अनियंत्रित विसर्जन। (2) औद्योगिक उच्छिस्त और वहि: प्रवाह का अनियंत्रित विसरण और विसर्जन और कृषि में बढ़ते हुये पेस्टनाशी रासायनिकों का उपयोग।

अतः जन स्वास्थ्य और व्यावसायिक चिकित्सा ने पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें इंगित करना उपयोगी होगा कि यद्यपि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण की व्यवस्था ही स्वास्थ्य और जन—स्वास्थ्य का केन्द्रीय लक्ष्य है, परन्तु पर्यावरण की गुणता को नियंत्रण करने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं उनसे स्वास्थ्य सेवाएँ लगभग विलग ही रहती हैं। परन्तु फिर भी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगों के चिकित्सा और नियंत्रण के लिये पर्यावरण में प्रदूषकों का स्तर और उससे होने वाले स्वास्थ्य संकटों से अवगत रहना आवश्यक है।

प्रभावन के विभिन्न स्तर

पर्यावरण के प्रभावन की प्रक्रिया को कई वर्गों में विभाजित करने से उसकी व्यापकता का अनुमान लगता है। जैसे—लघु या घरेलू प्रभावन, व्यवसायिक प्रभावन, स्थानीय प्रभावन, और क्षेत्रीय प्रभावन इत्यादि। इसके कुछ उदाहरण सारणी में दर्शाय गये हैं।

सारणी

पर्यावरण से मानवीय प्रभावन की व्यापकता के विभिन्न स्तर

स्तर	पर्यावरणीय कारक				
	कार्बन मोनो आक्साइड	पराबैगनी विकिरण	शोर या स्व	विलायक	आयनकारी विकिरण
लघु (Micro) या घरेलू प्रभावन	धूम्रपान या चूल्हे में भोजन पकाना	औषधि हेतु या धूप में कार्य	संगीत, हथौड़े से कार्य	सफाई—कार्य, स्वैच्छिक शौक	चिकित्सा, निदान, उपचार, निर्माण—सामग्री सेविकरण
व्यवसायिक प्रभावन (Occupational Exposure)	ट्राफिक का सिपाही, धातु कर्म का श्रमिक	प्रयोगशाला में कार्य करने वाले, कृषि—कार्य के श्रमिक	गृहनिर्माण के श्रमिक, सेना में कार्य करने वाले	विलायक उद्योग के श्रमिक, रंगाई और ड्राईकलीनिंग के श्रमिक	एक्सकिरण के टेक्नीशियन, आण्विक संयंत्र के श्रमिक
स्थानीय प्रभावन (Local Exposure)	यातायात का निर्वात	सूर्य का प्रकाश	हवाई वेडा, शहरी यातायात	उद्योग का उत्सर्जन	क्षय रोग का सामूहिक परीक्षण (एक्सकिरण द्वारा)
क्षेत्रीय प्रभावन (Regional Exposure)	—	पहाड़ों और उच्च कटिबंधीय देशों में	तूफान या प्रभंजन में	—	आण्विक अस्त्रों के परीक्षण या उपयोग से निपात

पर्यावरण की मानीटरी प्रदूषकों की मानीटरी का प्राथमिक लक्ष्य मनुष्य और अन्य जीवों के अनावरण स्तर का आँकलन कर पर्यावरणीय नियमों के पालन का परीक्षण तथा प्रदूषण—नियंत्रण की पर्याप्तता निर्धारित करना और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई दीर्घकालीन प्रवृत्तिया या परिवर्तनों का परीक्षण करना है।

माध्यमों की मानीटरी में पर्यावरणीय माध्यम— जैसे वायु, जल, मिट्टी, पौधे, पशु और भोजन के अन्वेषण किये जाते हैं। यह मानीटरी कई स्थानों पर की जाती है जैसे— (1) स्त्रोत पर मानीटरी: उदाहरण के लिये वायु वहित प्रदूषण के लिये चिमनी के स्टैक पर, उच्छिष्ट वहित जल के लिये नदियों में विसर्जन के पूर्व मानीटरी का लाभ यह रहता है कि प्रदूषक की मात्र अधिक रहने से उसका मापन आसानी से हो जाता है उनके विसर्जन के नियंत्रण की कार्यवाही भी शीघ्र प्रारंभ की जा सकती है। (2) सूक्ष्मग्राही स्थलों पर मानीटरी: जब स्त्रोत चलते फिरते रहते हैं। (जैसे मोटर गाड़ियों के प्रदूषण) या जब उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है (जैसे घर के चूल्हों से उठते वाले धूम) तब पर्यावरण के कुछ सूक्ष्मग्राही स्थलों पर मानीटरी की जाती है। इस मानीटरी से प्रदूषकों में होने वाले परिवर्तन और उनके विसरण का पथ और संग्रह होने के स्थानों का अनुमान लगता है। (3) चलते फिरते मात्रा मापकों का उपयोग: चूँकि व्यक्तियों की हलचल अनावरण के विभिन्न स्तरों वाले पर्यावरण जैसे— घर, आवगमन के वाहन, कार्य स्थल इत्यादि में होती है अतः कुछ चुने हुये व्यक्तियों के कपड़ों में छोटे मात्रा मापक के उपयोग से अनावरण का सही और प्रत्यक्ष मापन होता है। परन्तु इस विधि में मात्रा मापक धारण करने

वाले व्यक्ति के विशेष सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के वैयक्तिक मानीटरी के मापक यंत्र सभी प्रदूषकों के लिये उपलब्ध नहीं हैं पर कुछ प्रदूषणों के लिये जैसे— विकिरण के लिये इस विधि का उपयोग बहुत प्रचलित है।

जैविक मानीटरी : चूँकि प्रदूषकों की यात्रा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे कि वायु से जल, मिट्टी, पौधों के द्वारा आहार में और फिर ऊतकों में प्रवेश संभावित है अतः माध्यमों के मानीटरों के अतिरिक्त जैविक मानीटरी भी महत्वपूर्ण हो गई है। जैविक मानीटरी सभी माध्यमों के सम्मिलित प्रभाव का बोध करती है और इसमें मनुष्य की दैनिक गति विधियों से उसके पूरे भ्रमण क्षेत्र के अनावरण का अनुमान लग जाता है।

प्रदूषण— नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिये दो स्तरों का समझना उपयोगी होगा

1. नीति निर्धारण का स्तर इस स्तर पर मानीटरी का प्रबंध और उसके प्रेक्षणों तथा अन्य अध्ययनों पर आधारित मानकों की स्थापना और उनके आधार पर प्रदूषण कम से कम स्तर पर रख कर निरापद पर्यावरण बनाने के प्रयासों की रूपरेखा बनाना ही प्रमुख कार्य है।
2. उपभोक्ता स्तर इसके अन्तर्गत सामुदायिक स्तर (जैसे ग्राम पंचायत इत्यादि) पारिवारिक स्तर और वैयक्तिक स्तर पर व्यवहार—नियंत्रण वांछित रहते हैं। और इनके निर्माण में स्वास्थ्य—शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। भारतवर्ष में प्रदूषण—नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा सातवीं योजना में एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानीटरी संगठन स्थापित किया गया है।

वायु प्रदूषण का नियंत्रण—

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिकी में अनावरण के मार्गदर्शन के लिये विभिन्न रासायनिक पदार्थों की अधिकतम अनुमति—सांद्रता निर्धारित की है। यह सांद्रता का मान आठ घंटे के अनावरण के लिये अनुपयोगी है। परन्तु इस मान से अत्यकालिक अनावरण की सांद्रता निकालना उचित नहीं। उदाहरण के लिये यदि किसी रासायनिक की अधिकतम अनुमति सांद्रता 100 भाग/दस लक्ष है तो इसका अर्थ यह नहीं कि एक घंटे के अनावरण के लिये 800 भाग/दस लक्ष के सांद्रता की अनुमति है। इसी प्रकार एक रासायनिक की अधिकतम अनुमति—सांद्रता को उससे मिलते—जुलते दूसरे रासायनिक के लिये उपयोग नहीं करना चाहिये। प्रत्येक रासायनिक की अधिकतम अनुमति—सांद्रता अलग—अलग ज्ञात करनी पड़ती है। औद्योगिकी में एक कठिनाई और अनुभव की जाती है कि रासायनिकों का उपयोग व्यापारिक—नाम से किया जाता है अतः उनकी ठीक—ठीक रचना ज्ञात नहीं रहती और रासायनिक मिश्रण अधिकतर प्रदूषण से मुक्त नहीं रहते। अमेरिका में उसी प्रकार के औद्योगिक नियंत्रण के लिये वायु—वाहित प्रदूषकों की प्रभाव सीमा का उपयोग किया जाता है।

सामान्य सामुदायिक वायु—प्रदूषण की मानीटरी के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने (WHO 1984) एक ग्लोबीय पर्यावरण मानीटर तंत्र की शुरुआती की है और इसके क्षेत्रीय केन्द्र (मास्को, नागपुर, और टोकिया में) तथा विश्व के अन्य भागों में 20 प्रयोग शालायें स्थापित की हैं। और इनके द्वारा यद्यपि अनेक प्रदूषकों का मापन होता रहता है पर वायु—प्रदूषण के सूचक के रूप में सल्फर—डाई—आक्साइड और वायु में निलंबित धूल कणों का विशेष अध्ययन किया जा रहा है और ये दोनों प्रदूषण ही प्रदूषण—स्तर के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। प्रदूषण के नियंत्रण का निर्णय अनेक सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है।

चुनौतियाँ / समस्याएँ

आधुनिक उद्योगों के बहुआयामी विवेचन से स्पष्ट होता है कि उन्नीसवीं सदी के मध्य से लेकर बीसवीं सदी के अंतिम दशक तक आते—जाते औद्योगिकीकरण ने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। 50 वर्ष पूर्व इन समस्याओं की ओर बहुत कम या कतई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज ये समस्याएँ आने वाली पीढ़ी और 21वीं सदी के लिए गंभीर चिन्तन और चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। संक्षेप में, इन समस्याओं को निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—

1) कच्चे माल की समस्या— तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ है। फलस्वरूप अनेक संसाधनों का अनियन्त्रित हास होने से उनका अभाव उत्पन्न होने लगा है। कागज उद्योग, दियासलाई उद्योग, लाख उद्योग, फर्नीचर उद्योग मूलतः वनों पर आधारित उद्योग है। इन्हें कच्चे माल पेड़—पौधों एवं घास से उपलब्ध होता है। वन विनाश के कारण एक ओर इन उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर पर्यावरण सन्तुलन भी बिगड़ रहा है वन विनाश के फलस्वरूप गंभीर पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया है।

2) ऊर्जा की समस्या—उद्योगों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पनबिजली, आणविक विद्युत शक्ति का उपयोग होता रहा है। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के सीमित संचित भण्डार है। पिछले डेढ़ सौ वर्षों के अंधाधुंध प्रयोग से तेल एवं कोयले के भण्डार समाप्ति की ओर अग्रसर है। पनबिजली, आणविक विद्युत शक्ति का सीमित उपयोग हुआ है। आणविक शक्ति से रेडियो विकिरण का भी खतरा रहता है। तीव्र गति से हुए औद्योगिकीकरण ने विश्व में ऊर्जा संकट उत्पन्न कर दिया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि 21वीं सदी घोर ऊर्जा संकट से त्रस्त हो जायेगी।

3) उद्योग जनित नगरीकरण की समस्या— आधुनिक औद्योगिक विकास के कारण बड़े—बड़े महानगरों का प्रादुर्भाव हुआ है। इन नगरों से अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा हुई हैं। कारखानों में काम करने वाले श्रमिक महानगरों की कोड़ सदृश्य गंदी बस्तियों में रहते हैं। नगरों में औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन से प्रदूषण बढ़ रहा है।

4) पर्यावरण अवनयन की समस्या—आधुनिकता की प्रतीक औद्योगिक संस्कृति ने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं और चुनौतियों को उत्पन्न किया है। इन समस्याओं का समाधान पाए बिना मानवता के संभावित विनाश से उसकी रक्षा कर पाना कठिन है। औद्योगिक विकास ने पर्यावरणीय अवनयन की जटिल समस्या उत्पन्न की है। ठोस अवशिष्ट, विशैली गैस, धूलकण, धुँआ, जल वायु, मिटटी, ध्वनि आदि का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता पर घातक प्रभाव डाल रहा है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में हिन्दी बाल कथा साहित्य

विभूति चावला, हिन्दी साहित्य एवं भाषा विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

बालकथा साहित्य आरम्भ से ही बालमन के लिये प्रेरणा और प्रशिक्षण का साहित्य माना गया है। सामान्य साहित्य की अपेक्षा बालसाहित्य कहीं अधिक सरस, संवेदनशील, मूल्यपरक और तार्किक होता है, क्योंकि बालमन में बाल साहित्य को रखना होता है। यही कारण रहा कि आरम्भ से ही पौराणिक और नैतिक कथायें बालसाहित्य कथाओं का विषय रहा है। परन्तु वर्तमान समय विज्ञान की उपलब्धियों का समय है “ऐसे में आव” यक है कि बालसाहित्य बच्चों को वैज्ञानिक दुनिया से साक्षात्कार कराते हुये मनोरंजन और मूल्य सम्प्रेषण के अपने कार्य को सम्पन्न करे। इलैक्ट्रॉनिक माध्यम ने आज बालपाठकों के मन पर अतिकर्मण कर लिया है। टेलीविजन और फ़िल्मों की रंगीन और चमकदार दुनिया के लुभाती कहानियाँ आज बच्चों को कथा सहित्य के संसार से दूर कर रही हैं परन्तु साहित्य अपनी विशिष्टता के कारण आज भी बालकों के जीवन में अपना स्थान बनाया हुआ है और इसके लिये विशेष रूप से हमारे साहित्कार और कथाकार प्रयत्नशील है कि किस प्रकार बाल साहित्य को इतना रोचक बनाया जाए कि बालकों में पढ़ने की प्रवृत्ति को जीवित रखा जा सके।

सार्थक बाल साहित्य ही सही अर्थ में बालक के जीवन को उचित दिशा प्रदान करता है एवं उसकी कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। हिन्दी बाल साहित्य की कहानियाँ आज दो रूपों में प्रकाशित हो रही हैं। पहली वे कहानियाँ जो प्राचीन कथाओं, परिकथाओं, पौराणिक कथाओं, लोककथाओं एवं ऐतिहासिक कथाओं के रूप में सामने आ रही हैं और दूसरे स्तर पर वे बाल कहानियाँ हैं जो बच्चों के आसपास के वातावरण उनकी समस्याओं एवं तर्क के आधार पर लिखी जा रही हैं। “बाल कहानी आज बाल साहित्य की केन्द्रीय विधा बन चुकी है। उसमें जीवन का यथार्थ व्यक्त हो रहा है। इन बाल कहानियों में एक ओर बाल समाज की अभिव्यक्ति है तो दूसरी ओर बालक और समाज के घात/प्रतिघात का स्वर है। आज बालक जागृत चेता है। वह भी सोच रहा है और उसका सोच बाल कहानीकार का उपजीव्य है।”¹

आज बाल कहानियाँ कहानीकारों द्वारा प्रचुर मात्रा में विविध विषयों पर लिखी जा रही हैं। इन कहानियों के नायक यथार्थ की धरातल पर खड़े होकर ऊँची—ऊँची महत्वाकांक्षाओं को छूने को तैयार है। ये कहानियाँ संघर्षशील, अपनी जीवन दिशा स्वयं अपने बल पर निश्चित, निर्धारित करने वाले जुझारू बच्चों की सूझबूझ, कौशल, सच्चाई और कर्मनिष्ठा से जुड़ी हुई हैं, जो मन को निकटता से छूती हैं। ये कहानियाँ हताश, निराश बच्चों में जीवन संचेतना एवं मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा प्रेरणा जगाने की शक्ति रखती हैं। परिकथाओं और पुराणों की कल्पनिक कहानियाँ बच्चों को सांस्कृतिक विकास की जानकारियाँ देने के साथ सुखद कल्पना लोक की सैर करती है। डॉ. हरिकृष्ण देवसरे परिकथाओं की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि “परिकथाओं को इस तरह प्रस्तुत करें कि वह आज की दुनिया की किसी वस्तु या घटना से मेल खा जाए। आज की विज्ञान की दुनिया में क्या संभव नहीं है और परिलोक की कौन सी बात ऐसी है जो बच्चों को अब उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।”² नंदन पत्रिका प्रतिवर्ष नवम्बर माह में परिकथा वि” शोषांक निकलती है नंदन की प्रधान संपादक ‘शशि शेखर’ जी परिकथा विशेषांक नवंबर 2012 के संपादकीय में लिखते हैं कि “नंदन का परिकथा विशेषांक आपको सौंपते हुए हमें खुशी है कि हम आपको सिर्फ कहानियाँ नहीं सौंप रहे। ये कथाएँ ताजिंदगी आपको भले सपने देखने के लिए प्रेरित करेंगी, जो हर रोज खत्म होते जा रहे हैं।”³ इसी परम्परा को जारी रखा है हमारी प्यारी बाल पत्रिका ‘चंपक’ ने। ‘चंपक’ की प्रत्येक कथा पक्षियों को आधार बनाकर ही बच्चों का मनोरंजन करती आयी है और यह सतत् क्रम आज भी जारी है। श्री हरिकृष्ण जी ने ‘पंचतंत्र’ की कथाओं को ‘नया पंचतंत्र’ के रूप में लिखकर उस बात को सिद्ध कर दिया है कि किसी भी विषय वस्तु को समय के साथ परिवर्तित कर उपयोगी बनाया जा सकता है। बच्चों को परिकथाएँ और पुराणों की काल्पनिक कहानियाँ सुनाने के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. परशुराम शुक्ल जी कहते हैं कि “कल्पना और यथार्थ का घनिष्ठ सम्बन्ध है। विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। चेकोस्लो-वाकिया के विच्यात साहित्यकार कॉरेल चापैक ने अपने एक नाटक ‘रोम्स यूनिवर्सल रोबोट्स’ में मशीन मानव की कल्पना की थी। 1917 में लिखा यह नाटक 1923 में प्रकाशित हुआ। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने साहित्यकार की इस कल्पना पर ध्यान दिया और वास्तविक मशीन मानव

बनाया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि परिकथाएँ और पौराणिक कहानियाँ बच्चों का मनोरंजन करने के साथ ही उनके व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी होती हैं।⁴

दूसरे स्तर के कहानी लेखन में बालक केन्द्र मानकर उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं, समस्याओं को वर्तमान कहानी में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज बाल पत्रिकाओं में इन कहानियों को रोचक एवं ज्ञानवर्धक रूप में प्रकाशित किया जाता है। तथा गुमराह होती हमारी किशोर पीढ़ी को सही राह दिखाने का प्रयास ये बाल कहानियाँ कर रही हैं बालपत्रिका 'देवपुत्र' में प्रकाशित 'चक्रव्यूह' कहानी वर्तमान में नशे की राह पर चल पड़े बच्चों को सही राह पर लाने के प्रयास की एक सुन्दर कहानी है। कहानी जहाँ बच्चों को नशे की लत से होने वाली बुराईयों को बताती है, वहां समाज के लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति भी सचेत करती है। वर्तमान में बाल कहानियाँ बच्चों की रुचि में आए परिवर्तन ध्यान में रखकर यथार्थ के धरातल पर लिखी जा रही है। अनेक बाल कहानी संग्रह एवं बाल पत्रिकाएँ इसी आधार पर प्रकाशित हो रही हैं। इस क्षेत्र में 'धर्मयुग' एवं साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान' के बालपृष्ठों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

हिन्दी में गत वर्षों से बाल लेखकों ने स्वयं के जीवन से जुड़ा समस्या प्रधान कथा साहित्य बच्चों को दिया है। इन बाल कथाओं में बाल मनोविज्ञान के आधार पर बाल समस्याओं को उभारा गया है और कुछ लेखकों ने बड़ी खूबी से बाल समस्याओं के समाधान भी सुझाए हैं। उन रचनाकारों की रचनाएँ आकर्षक एवं नयापन लिए हुए हैं। बाल जीवन से जुड़ी होने के कारण बच्चों द्वारा इन्हें सहज स्वीकार एवं सराहा गया है। बच्चों को नवीन परिवेश के आधार पर बाल कहानियाँ उपलब्ध कराने का तात्पर्य यह हरगिज नहीं है कि हम उन्हें प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास सेविमुख कर दे बल्कि इन सब की जानकारी बच्चों के लिए नितांत आवश्यक है, किन्तु केवल इसी तरह की कहानियाँ बच्चों को परोसना उचित नहीं है। इनके साथ-साथ उन्हें वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाना भी आवश्यक है। बाल कहानी के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ इन्द्रसेन शर्मा वारिज लिखते हैं कि "बच्चों की कथाओं के विषय वातावरण में चारों ओर बिखरे पड़े हैं उनकी आँखों में तैरते दिखाई दे सकते हैं, उनके मस्तिष्क में गोते लगा रहे हैं। बस, आवश्यकता है पारखी नजर, मनोवैज्ञानिक पकड़ और तीखी समझ की।"⁵ बाल कहानीकारों ने बच्चों की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ही अपनी रचना लिखने के प्रयास किये हैं। इन रचनाकारों में डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, क्षमा शर्मा, प्रकाशमनु बानो सरताज, नीलम चंद्रा, ओमप्रकाश गुप्ता, डॉ. श्री प्रसाद अरशद खान, जय प्रकाश भारती, रत्न प्रकाशशील, जाकिर अली, रजनीश, डॉ. परशुराम शुक्ल, डॉ. नागेश पाण्डेय, देवेन्द्र कुमार, जयंती रंगनाथन, पर" शीश, मनोहर वर्मा, डॉ. राष्ट्रबन्धु, बलवीर त्यागी, डॉ. आनंद प्रकाश त्रिपाठी 'रत्नेश' आदि कथाकार हैं जो बच्चों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर बाल कहानियों का सृजन कर रहे हैं।

वर्तमान समय विज्ञान की उपलब्धियों का समय है। ऐसे में इस तरह की बाल कहानियों की रचना की सम्भावना है जो बच्चों को वैज्ञानिक तरीकों से जीवन जीना एवं कठिनाईयों से जूझना सिखाएगी। बाल्यकाल में मूल्यों का बड़ा महत्व होता है, अतः एवं जीवन मूल्य कथाओं में इस तरह गुथे होने चाहिए कि वे बालक के अंतर्गत में रच बस जाए, क्योंकि बालमन में रोपे गए संस्कार भावी जीवन में हमेशा के लिए अमिट हो जाते हैं। आज कहानीकार से यह अपेक्षा है कि वह सुधारवादी प्रवृत्ति का त्यागकर बाल मनोक्षितिज के आधार पर रचना करें। बालमन में मानवीय संवेदना जागृत करने का कार्य करे तभी एक नवीन समाज की स्थापना हो सकती है। साहित्य ही समाज को नए आधार प्रदान कर सकता है उसमें इतनी क्षमता है कि वह समाज में उपेक्षित बच्चों के मध्य से देश को वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार प्रदान कर सकता है। इस तथ्य को समझते हुये बाल साहित्यकार अनमोल बाल कहानियों के सृजन में संलग्न हैं वे समय के साथ-साथ विषयों में परिवर्तन ला रहे हैं। अच्छे कहानीकार बच्चों को अच्छी कहानियाँ देने हेतु कृत संकल्प है, अब यह बच्चों पर निर्भर है कि वे उन्हें कहाँ तक अपनाते हैं।

हिन्दी बाल कथा साहित्य की उपयोगिता एक बालक के जीवन में उस समय से सर्वाधिक अहम् हो जाती है। जब वह पढ़ना सीख जाता है और उन्हें पढ़ने के आनंद का पता चलता है। "इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के आकस्मिक आक्रमण के बावजूद ऐसे बच्चों की संख्या कुछ कम नहीं है जो अपना खाली समय पढ़ने में लगाते हैं। इसके लिए माता-पिता के साथ ही वे लेखक भी प्रशंसनीय हैं, जो बच्चों के लिए पुस्तकें लिखते हैं और जिनकी पुस्तकें बच्चे बड़े चाव में पढ़ते हैं।"⁶ हिन्दी

बाल कथा साहित्य की उपोगिता बालक के लिए सृष्टि के प्रारंभ में थी आज भी है, और सदैव ही बनी रहेगी। कथा साहित्य को बालकों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी समाज एवं प्रशासन दोनों की है। बाल कथा साहित्य बच्चों को केवल मनोरंजन एवं ज्ञान ही नहीं देता है बल्कि उनमें पढ़ने की कला का भी विकास करता है। भारत में ही नहीं कुछ समय पहले ब्रिटेन के समाचार पत्रों में भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई थी कि पढ़ने की बेसिक योग्यता प्राप्त किए बिना ही बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर ब्रिटेन की सरकार ने अगस्त 2005 के स्कूली सत्र से एक योजना शुरू की है 'जिसके अनुसार चार वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पुस्तकों का एक बैग निःशुल्क दिया जाएगा। इस योजना के तहत तीन वर्षों में 90 लाख पुस्तकें दी जाएंगी जिस पर दो करोड़ सत्तर लाख पौँड खर्च होने का अनुमान है।⁷ इन पुस्तकों में पाठ्य पुस्तकों के साथ-साथ बाल साहित्य की पुस्तकें भी बच्चों को दी जाएंगी। ताकि उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति को भी विकसित किया जा सके। भारत में भी पिछले चार दशकों में बाल पुस्तकों के प्रकाशन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। प्रकाशकों की संख्या भी कई गुना हो गई है किन्तु बच्चों को बाल पुस्तकें उपलब्ध करने वाले अभिभावक ही उदासीन बने हुए हैं। बाल कल्याण एवं विकास के लिए इन्हें झकझोरने, जागृत करने की नितांत आवश्यकता है।

बाल साहित्य की उपयोगिता एवं 21 वीं सदी में बाल साहित्य के प्रदेय पर विचार प्रगट करते हुए प्रकाश मनुजी कहते हैं कि "मैंने पहले बाल कविता का इतिहास और फिर बाल साहित्य का इतिहास लिखने के लिए हजारों किताबों की छानबीन की है। हिन्दी में सचमुच ऐसी बड़ी शाखायें हैं। उन्होंने इतना अच्छा लिखा है और बच्चे के मन के भीतर यो कहिए बाल साहित्य के समंदर के इतने बड़े-बड़े खजानों और दुर्लभ रत्नों को खुद में समोया है कि उनकी मरती, जीवनलय, अनुभवों की समृद्धि-सबको देखते हुए आप कह सकते हैं कि वे इस ऊँचाई पर खड़े हैं कि बेशक दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी समृद्ध भाषा के बड़े से बड़े साहित्यकार से उनकी तुलना की जा सकती है।"⁸

यद्यपि आज विज्ञान के युग में इलैक्ट्रॉनिक मिडिया ने अपने रंगीन संसार से साये से साहित्य को ओझल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तथापि विज्ञान और इतिहास के अद्भुत संगम को विषय बनाकर हमारे साहित्यकार और कथाकार बालकथा साहित्य की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हैं। आज के दौर में जो बाल कथा साहित्य प्रकाशित हो रहा है वो कोरी कल्पना नहीं है और न ही केवल मनोरंजन को साधन है यह बच्चों को अच्छे संस्कार देने, उनकी बुद्धि का विकास करने और उन्हें अधिक संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सझाम है। डॉ. सत्येन्द्र वर्मा लिखते हैं कि "बाल साहित्य सदप्रेरणा के लिए दीप-स्तम्भ का कार्य करता है। साहित्य में जादुई शक्ति होती है, यह शब्दों का एक मृदु जंगल है जिसके पढ़ने से विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रसों की अनुभूति होती है। बच्चे प्रतिपादित समस्या के प्रति सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, पुनः एक निश्चित धारणा बनाते हैं। इस माध्यम से वह जीवन के प्रति व्यवहारिक हो जाते हैं और उनमें कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति जागृत होती है।"⁹ इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों का अपना तत्कालिक प्रभाव अवश्य है, पर जो सोच समझ और दृष्टि बाल साहित्य बच्चों को प्रदान करता है उसकी तुलना किसी भी माध्यम से नहीं की जा सकती है।

संदर्भ—:

1. समकालीन बाल साहित्य : परख और पहचान, डॉ. सुरेन्द्र विक्रम, पृष्ठ 17, कुशी प्रकाशन मंदिर अमीनाबाद 1988।
2. बालसाहित्य मेरे विचार, डॉ. हरिकृष्ण देवसरे (आजकल नवम्बर 2003), पृष्ठ-109 प्रकाशन विभाग, लोधी रोड नई दिल्ली।
3. नंदन नवम्बर 2012 पृष्ठ-05, हिन्दुस्तान टाईम्स नई दिल्ली।
4. बाल साहित्य समीक्षा जून 2007 डॉ. परशुराम शुक्ल से महेश सक्सेना की बातचीत पृष्ठ-11 राम कृष्णनगर कानपुर।
5. त्रिपदा, आज के बाल कथा लेखन के सम्बुद्ध चुनौतियाँ : डॉ. मधुपंत पृष्ठ-19 राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, 1997।

6. आजकल, नवम्बर 2009, पढ़ने का आनंद – महेन्द्र राजा जैन, पृ. 16।
7. वही, पृष्ठ 16।
8. आजकल नवम्बर 2009 “बच्चे की दुनिया एक तरह की जादुई दुनिया है” –प्रकाश मनु से श्याम सुशील का विचार विमर्श पृष्ठ 46।
9. समकालीन बाल साहित्य : परख और पहचान, डॉ. सुरेन्द्र विक्रम, पृष्ठ 17, कुशी प्रकाशन मंदिर अमीनाबाद 1988।

बौद्ध दर्शन में बुद्धत्व की अवधारणा

दिनेश पटेल, एम.ए., एम.फिल बौद्ध अध्ययन पी-एच.डी.अध्ययनरत् डॉ. हरि सिंह गौर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

प्रस्तावना :-

बौद्ध दर्शन में बोधिसत्त्व की अवधारणा का अत्याधिक महत्व है। 'बोधि' का अर्थ है— ज्ञान, अभिज्ञा। 'सत्त', पालि—भाषा में सत्त शब्द का प्रयोग कई रूपों में किया गया है जैसे तत्त्व, स्वभाव पदार्थ तत्त्व। अतः बोधिसत्त्व का अर्थ हुआ। "वह व्यक्ति जो सारतत्त्व के रूप में पूर्ण प्रज्ञा को रखता है। बोधिसत्त्व जीवित एवं जीवन्त प्राणी होता है, जो विवेकी सम्यक तथा सचेतन रूप में क्रियाशील रहता है। अतः बोधिसत्त्व व्यक्ति सत्त्वभूषित, ज्ञान में व्यतिष्ठत, बोधि में संलग्न होता है। बोधिसत्त्व पूर्ण प्रज्ञा से ओतप्रोत लोक—मांगलिक चेतना के अभ्युदय के लिए बुद्ध के आध्यात्मिक मार्ग पर सम्बृद्ध होता है। लोक कल्याण हेतु आध्यात्मिक पथ पर वही मनुष्य अग्रसर हो सकता है जिसमें विवेक एवं कुशलचित्त के प्रति अभ्युत्साह, हो, बोधिसत्त्व वीर्यवान तथा कुशल चित्तोत्साह से ओतप्रोत हो कर सदैव निष्काम भाव से बोधि की प्राप्ति और लोक—मंगल हेतु शील पारमिताओं का अनुपालन करते हैं। अतः बोधि का अर्थ है मनुष्य के उद्धार का ज्ञान और उसके लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य सत्त्व ही बोधिसत्त्व होता है।

बोधिसत्त्व ऐसा पुरुष है जो पूर्ण ज्ञान के मांगलिक पथ पर चलता हुआ भावी बुद्ध का बोधक है। बुद्धत्व की प्राप्ति का आकांक्षी बोधिसत्त्व एक ऐसा महान उन्दात पुरुष होता है जो प्राणिमात्र के लोक—मंगल तथा कल्याण के लिए सभी के दुःखों का विनाश करने हेतु अपने सर्वस्य सुखों का परिस्ताग कर देता है, तथागत बुद्ध का उपदेश था जो जागने के समय जागता नहीं जो तरुण और सशक्त होने के बावजूद आलसी और प्रमादी है, जिसके निर्णय तथा निश्चय सुदृढ़ नहीं है, वह आलसी—पुरुष कभी भी बोधि—प्राप्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः आदमी, परा—प्राकृतिक अथवा बाहा शक्तियों की सहायता की आकांक्षा किए बिना, अपना दीपक स्वयं बने अपनी अपार शक्ति तथा सामर्थ्य का दर्शन कर सामान्यतः बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय की भावना से अभिप्रेरित, बुद्धत्व पद का आकांक्षी तो वह होता है पर वह अन्य प्राणियों के हित में संलग्न रहता है। जब तक सभी प्राणियों का मंगल तथा कल्याण नहीं होता तब तक बोधिसत्त्व ही बने रहना उसका स्वभाव होता है। पारमिताए उसके हृदय में सम्प्रतिष्ठित बुद्धकारक धर्म होते हैं। बोधिसत्त्व की चेतना सर्वथा निष्काम होती है। बोधिसत्त्व परमार्थ के लिए लोक—प्रदर्शन में अभिरुची रखते हैं।

बोधिसत्त्व बुद्धत्व प्राप्त करने की दस भूमिया होती है जिनमें वह प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी बुद्धत्व की क्षमता से युक्त है। बुद्ध—बीज प्रत्येक में विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी वीर्य प्रज्ञा एवं पुरुषार्थ द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है।

सुखो बुद्धानुभ्यादों

बुद्धों का उत्पन्न होना सुखकारी है।

1. परिनिर्वाण के बाद बुद्धत्व अवस्था:-

बौद्ध दर्शन में यह प्रश्न भी सदैव उठता रहा है कि जिन पंच स्कन्धों से व्यक्तित्व बनता है, अतः निर्वाण की अवस्था में उनका अत्यन्त निरोध होने पर क्या शेष रहता है? तथागत ने उच्छेदवाद का स्पष्ट निरोध किया है, अतः यह माना जा सकता है कि कुछ शेष अवश्य रहता है। यद्यति बुद्ध ने इस प्रश्न को कि "तथागत का परिनिर्वाण के बाद क्या होता

है”—अव्याकृत कोटि में ही रखा था, किन्तु बौद्ध परम्परा में परिनिर्वाण के अनन्तर तथागत की अनिर्वचनीय सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। सर्वास्तिवादी परम्परा यह मानती है कि बुद्ध का भौतिक (सम्भोग) काय तो नश्वर है किन्तु उनका धर्मरूपी शरीर अनश्वर है। महायान में बुद्ध को अपरिमित आयु वाला मानकर उनकी पारमार्थिक सत्ता को उसी प्रकार अनिर्वचनीय मान लिया गया, जिस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्मा को अनिर्वचनीय माना गया था, साथ ही उनका तादात्म्य धर्मकाय या स्वभावकाय कर दिया और मानुषी बुद्ध को निर्माणकार्य कहकर नश्वर कहा गया।

2. बौद्ध दर्शन में भक्ति का स्थान:—

बौद्ध दर्शन में भक्ति का उदय भगवत् धर्म के प्रभाव से प्रतिफलित प्रतीत होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव की भक्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। उसका काल ई.पू. छठी शताब्दी माना गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी ई.पू. में छठी शताब्दी माना गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी ई.पू. में वैष्णव धर्म का उदय हो चुका था। पालि निकाय के प्राचीन ग्रन्थों में “सद्बा” शब्द मिलता है, पालि निकाय के प्राचीनतम भाग का समय ई.पू. 5वीं शती माना गया है। पालि निकाय में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख थेरीगाथा में मिलता है। थेरीगाथा का रचना काल विद्वानों ने ई.पू. तीसरी शताब्दी माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में “भक्ति” की अवधारणा का उदय भागवत् धर्म के उदय के समकालीन है। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि अगर बौद्धों ने भागवतों की “भक्ति” की अवधारणा को अपनाया तो उनके देवताओं को वर्षी नहीं अपनाया? बौद्ध दर्शन में बोधिसत्त्व की कल्पना उनकी अपनी कल्पना है। फिर भी इतना तो स्पष्ट होता ही है कि बोधिसत्त्व की अवधारणा एक प्रकार से अवतारवाद का बौद्धधर्मीय संस्करण ही है। इस संदर्भ में भी बौद्ध दर्शन पर भागवत् धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है।

श्री गोकुल दास डे ने अपनी पुस्तक ‘सिनिफिकेंस एण्ड इम्पोरेन्स आफ जातकाज’ के अन्तिम अध्याय में बौद्धों और भागवतों के सम्बन्ध को जातकों के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं— “पूर्ववर्ती बौद्ध दर्शन जातकों के आधार पर भागवत् धर्म से प्रभावित रहा है, क्योंकि भागवत् धर्म का मूल आधार भक्तितत्त्व जातकों एवं महायान ग्रन्थों में सर्वत्र व्याप्त है। गृहस्थों के लिए स्वर्ग सगग और सन्यासियों के लिए मोक्ष भी दोनों में सामान्य रूप से मान्य है। अतः यह कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन पर भागवत् धर्म का प्रभाव पड़ा होगा।

3. बुद्ध और लोग कल्याण:—

निवृत्ति प्रधान बौद्ध—दर्शन में लोक कल्याण की उत्कृष्ट भावना के दर्शन होते हैं, जिसका वरमोत्कर्ष ‘बोधिचर्यावतार’ नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में परिलक्षित होता है। स्वयं भगवान् बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के बाद समाधि सुख का परित्याग कर लोकहितार्थ एवं लोक कल्याण के लिए कार्य करना ही श्रेयस्कर समझा और उन्होंने अपने भिक्षुओं को लोकहित का ही सन्देश दिया। वे कहते हैं— ‘चरथ भिक्खुवे चारिक’ बहुजन—हिताय बहुजन—सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं अर्थात् हे भिक्षुओं, ‘बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक अनुकम्पा के लिए, देव और मनुष्यों के सुख और हित के लिए परिचारण करते रहो।’

बौद्ध—धर्म की महायान शाखा का साधक तो अपने निर्वाण सुख की भी उपेक्षा कर लोक कल्याण के आदर्श को श्रेष्ठ मानता है। वह कहता है कि दूसरे प्राणियों को दुःख मुक्त कराने में मैं जो आनन्द मिलता है वही पर्याप्त है अपने लिए निर्वाण प्राप्त करना नीरस है, उसमें हमें क्या लेना देना।

लंकावतारसूत्र में बोधिसत्त्व यहाँ तक कहते हैं कि मैं तब तक परि-निर्वाण में प्रवेश नहीं करूँगा जब तक विश्व के सभी प्राणी निर्वाण प्राप्त न कर लें। यहाँ पर साधक पर-दुःख—विभुक्ति से मिलने वाले आनन्द को स्व-निर्वाण के आनन्द से

श्रेष्ठ समझकर अपने निर्वाण का त्याग कर देता है। आचार्य शान्दिव ने अपने ग्रन्थ शिक्षा—समुच्चय और बोधिचर्यावतार में बुद्ध की लाक—हितकारी दृष्टि का अनूठे ढंग से वर्णन किया है। बोधिचर्यावतार में बोधिसत्त्व लोक सेवा की भावना से अनुप्रमाणित होकर कहते हैं “मैं व्याधि दूर होने तक रोगियों के लिए औषधि बनूंगा, वैद्य बनूंगा और परिचारक भी बनूंगा, अन्न—पान की वर्षा से भूख और प्यास से होने वाली व्यथा मिटाऊँगा तथा दुर्भिक्षान्तर कल्पों से भोजन—पान बनूंगा, दरिद्र प्राणियों के लिए सक्षय निधि बनूंगा और नाना प्रकार के उपकरणों से उनके सामने उपस्थित रहूंगा। “आगे वह कहते हैं— “मैं अनाथों का नाथ, यात्रियों का साथ वाह, पार जाने की इच्छा वालों के नाव, संतु और बेड़ा बनूंगा, इस प्रकार जगत के सभी प्राणियों की सेवा करूँगा। ”जिस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि भौतिक वस्तुयें सम्पूर्ण आकाश (विश्व मण्डल) में वसे सभी प्राणियों के सुख का कारण होती हैं, उसी प्रकार आकाश के नीचे रहने वाले सभी प्राणियों का उपजीव बनकर तब तक रहना चाहता हूँ, जब तक सभी प्राणी मुक्ति प्राप्त न कर लें।”

इस प्रकार व्यक्तिगत सुख की उपेक्षा कर दूसरे के दुःख को दूर करना ही बोधिसत्त्व का चरम लक्ष्य रहा है और वे कहते हैं कि— “अपने सुख को अलग रख और दूसरों को दुःख (दूर करने) में लग, दूसरों का सेवक बनकर इस काया में जो कुछ वस्तु देख, उससे दूसरों का हित कर।” फिर वह कहते हैं— दूसरे के दुःख से अपने सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, फिर संसार में सुख है ही कहौँ? यदि एक के दुःख उठाने से बहुतों का दुःख चला जाये तो अपने और पराये पर कृपा करके वह दुःख उठाना ही चाहिए।

बोधिचर्यावतार में निःस्वार्थ होकर कर्म करने की अवधारण पर बल दिया गया है। जिस प्रकार कि शरीर के अवयव पैर में कॉटा लगने पर हाथ उसको निकालकर दुःख दूर करता है। जबकि हाथ को पैर पर दुःख नहीं होता। उसी प्रकार सभी प्राणियों को दूसरों को दुःख से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परोपकार करके हम अपने समाज रूपी शरीर को ही सन्तुष्टि करते हैं। “जिस प्रकार स्वयं को भोजन कराकर फल की आशा नहीं होती है उसी प्रकार परार्थ करके न गर्व हो सकती है, न विस्मय।” “इसलिए एकमात्र परोपकार की अभिलाषा से परोपकार करके भी न गर्व करना चाहिए और न विस्मय और न विपाक फल की इच्छा ही।”

बोधिसत्त्व की लोककल्याणकारी अभिलाषा इतनी महान है कि उनके रोम—रोम से उच्चरित होता है कि संसार को कोई प्राणी दुःखी न हो, पापी न हो, रोगी न हो, हीन न हो, तिरस्कृत और दुष्ट चित्त न हो। जगत का जो दुःख है वह सब मैं भोगूँ और मेरे सब पुण्यों से जगत सुखी हो।

यही लोक मंगल का उत्कृष्ट रूप है जहाँ दूसरे के हित के लिए अपने हित का भी त्याग कर दिया जाता है।

4. बौद्ध दर्शन में कृपा और पुरुषार्थ:—

जब हम कृपा और पुरुषार्थ के प्रत्ययों की बात करते हैं तो हमारी मूल समस्या यह होती है कि मनुष्य के दुःख और पीड़ाएं उसके अपने प्रयत्नों से दूर होती हैं या किसी दैवी शक्ति की कृपा से! सामान्यतया ईश्वरवादी दर्शनों में ईश्वरीय कृपा को ही दुःख विमुक्ति का एकमात्र आधार माना गया है, उनमें व्यक्ति के प्रयत्न या पुरुषों का कोई स्थान हो सकता है तो मात्र इतना ही कि वह अपने को ईश्वरीय या दैवी कृपा प्राप्त करने का पात्र बना दे। इसके विपरीत अनीश्वरवादी धर्मों में विशेष रूप से बौद्ध और जैन धर्म में ईश्वरीय कृपा को अस्वीकार ही किया गया है। प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन में हम स्पष्ट रूप से पुरुषार्थवाद का ही समर्थन पाते हैं। यद्यपि बौद्ध दर्शन में बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण करने का विधान है किन्तु यह विधान किसी कृपा को प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि साधन के क्षेत्र में मनोबल से आगे बढ़ने के लिए है। महापरिनिब्बानसुत्त में बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे आनन्द, तुम अपनी शरण ग्रहण करो, आत्म—दीप होकर के विचरण करो। तथागत तो केवल मार्ग—दर्शन कराने वाले हैं, कार्य तो तुम्हें स्वयं करना होगा। बुद्ध यहाँ कोई ऐसा स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं अपनी कृपा से तुम्हारे सब दुःख दूर कर दूंगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्त्वशुद्धि का जो परिपाक होना है वह अपने स्वयं के प्रयत्नों से ही होता है, उसमें दूसराक ई सहायक नहीं हो सकता। किन्तु यदि हम इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर बौद्ध दर्शन में बुद्ध की करुणा का क्या स्थान रहेगा?

प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन और जैन धर्म में भी बुद्ध और तीर्थकर को परम कारूणिक कहा गया है, वे करुणा के अवतार हैं। तीर्थकर समस्त लोक की पीड़ा को जानकर धर्म का उपदेश देते हैं, उसी प्रकार बुद्ध भी प्राणियों के दुःख को दूर करने के लिए धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हैं।

5. बुद्धत्व की अवधारणा:-

बुद्धत्व की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण असंगति बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद का सिद्धान्त कहा जाता है। बुद्ध ने तृष्णा के समग्र उच्छेद के लिए अनात्मवाद का उपदेश दिया। यह बात प्रथम दृष्टि में ठीक तो लगती है, किन्तु आलोचकों को कथन है कि यदि बौद्ध दर्शन ईश्वर एवं आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता तो फिर उसमें बुद्धत्व और बोधिसत्त्व की अवधारणायें किस प्रकार से संगतिपूर्ण हो सकती हैं? जब तक किसी नित्य आत्म सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक हम यह कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बोधिसत्त्व हो सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है? यदि आत्मा नहीं है तो फिर बोधिचित्त का उत्पाद कौन प्राप्त करेगा? पुनः एक और बौद्ध दर्शन यह मानकर भी चलता है कि प्रत्येक सत्त्व बुद्ध-बीज है किन्तु यदि कोई नित्य अस्तित्व ही नहीं है तो फिर वह बुद्ध बीज कैसे होगा और कैसे वह बोधिसत्त्व होकर विभिन्न जन्मों में पारमिताओं को पार करता हुआ बुद्धत्व को प्राप्त करेगा? महासांघिकों ने बुद्ध के रूपकाय को अमर और उनकी आयु को अनन्त माना है।

सद्वर्मपुण्डरीक में भी यह कहा गया है कि बुद्ध की आयु अपरिमित है। यदि बुद्ध का रूपकाय अनन्त, अमर एवं अपरिमित है तो फिर क्षणिक-वाद की अवधारणा कैसे सुसंगत सिद्ध होगी? पुनः जब यह मान लिया जाता है कि बुद्ध निर्माणकाय के द्वारा नाना रूपों में प्रकट होकर लोक हित के लिए उपदेश करते हैं, तो फिर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न होता है कि किसी नित्य तत्त्व को माने बिना यह निर्माणकाय की रचना कौन करता है। एक बार सामान्य व्यक्ति के सन्दर्भ में यह बात बोधगम्य हो सकती है कि वह क्षण-क्षण परिवर्तनशील है, किन्तु बुद्ध की परिवर्तनशीलता किस आधार पर सिद्ध होगी? इस प्रकार हम देखते हैं कि अनात्मवादी और क्षणिकवादी दार्शनिक ढाँचे में बुद्धत्व और बोधिसत्त्व की अवधारणायें सुसंगत नहीं लगती हैं, यदि हम विशुद्धिमग्न की भाषा में कहें कि क्रिया तो है कर्ता नहीं, मार्ग तो है चलने वाला नहीं, तो फिर मार्ग का उपदेशक कैसे हो सकता है? वह कौन-सा सत्त्व या चित्त है जो बुद्धत्व को प्राप्त करता है और परम कारूणिक होकर जन-जन के कल्याण के लिए युग-युग तक प्रयत्नशील बना रहता है?

महायानसूत्रालंकार में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के तीनों काय आशय, आश्रय और कर्म से निर्विशेष हैं, अतः तीनों कार्यों में तीन प्रकार की नित्यता समझनी चाहिए जिसके कारण तथागत नित्य कहलाते हैं। स्वाभाविक काय की स्वभाव से नित्य होने के कारण प्रकृति से नित्यता है साम्बौद्धिक काय का धर्म सम्बोग के अविच्छेद के कारण अस्सनतः (अच्युतितः) नित्यता है, नैर्माणिक की अन्तर्व्यय में पुनः-पुनः निर्मित द्रष्ट होने के कारण प्रबन्ध-नित्यता है। प्रश्न यह होता है कि एकान्त रूप से क्षणिक-वादी दर्शन में बुद्ध के त्रिकायों की तीन नित्यतायें कैसे सम्भव हो सकती हैं? इनमें चाहे किसी भी रूप में नित्यता को स्वीकार किया जाये, निश्चित ही हमें क्षणिकवाद से पीछे हटना होगा। जब कोई आत्म-सत्ता ही नहीं है तो फिर बोधिसत्त्व कौन बनेगा और बुद्धत्व को कौन प्राप्त करेगा और कौन दस पारमिताओं की साधना करेगा? यदि वह चित्त जिसने बोध को प्राप्त किया, जिसने विभिन्न पारमिताओं की साधना की और जो अन्त में बुद्धत्व को प्राप्त करता है, यदि किसी प्रकार के एकत्व से रहित है अर्थात् स्रोतापन्न होकर विभिन्न पारमिताओं की साधना करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला “वहीं” नहीं है तो फिर बुद्धत्व का सारा दर्शन चरमरा जायेगा।

मेरी दृष्टि में बौद्ध दर्शन की ओर से उपरोक्त असंगतियों का यदि कोई प्रत्युत्तर हो सकता है तो वह यही होगा कि इन सबकी संगतिपूर्ण विवेचना चित्त संतति या चित्त धारा के रूप में की जा सकती है फिर भी इस चित्त धारा में भी कोई एक ऐसा योजक सूत्र अवश्य मानना होगा जिसके आधार पर वे चित्तक्षण एक दूसरे से पृथक होकर भी पृथक नहीं रहते हैं।

इस संदर्भ में बौद्ध दर्शन और दर्शन के वरिष्ठ विद्वान् पं. जगन्नाथ जी उपाध्याय का कहना था कि— “बुद्ध के सम्बन्ध में जो त्रिकायों की अवधारणा है उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई नित्य आत्मसत्ता है, जो कार्यों को धारण करती है।”

वस्तुतः ये काय परार्थ के उपाय या साधन माने गये हैं। जिस चित्त धारा से बोधिचित्त का उत्पाद होता है। वह बोधिचित्त इन कार्यों के माध्यम से परार्थ करता है, इसलिए बुद्धत्व कोई एक व्यक्ति नहीं है, अपितु एक प्रक्रिया है। जब हम धर्मकाय की नित्यता मानते हैं, तो वह व्यक्ति की नित्यता नहीं, प्रक्रिया की नित्यता है। धर्म को नित्यता मार्ग नित्यता है। धर्मकाय नित्य है इसका तात्पर्य है कि धर्म या पारिनिर्वाण के उपाय नित्य हैं। अतः इन कार्यों की अवधारणा को हमें न तो कोई नित्य आत्मा के रूप में समझना चाहिए।

उपसंहार : बौद्ध दर्शन में बुद्ध को धर्मचक्र का प्रवर्तक तथा धर्म का शास्ता कहा गया है। मज्जिमनिकाय, संयुक्त निकाय तथा कथावस्तु में बुद्ध को अनुप्रन्न मार्ग का प्रवर्तक, मार्ग-द्रष्टा एवं मार्ग को जानने वाला कहा गया है। वास्तव में बुद्ध उसे कहते हैं जिसने बौद्धत्व, बोधि प्राप्त की हो, और बोधि चित्त की वह चेतसिक तथा नैतिक सम्यक रिथति है, जिसे कोई भी केवल अपने मानवीय प्रयास से प्राप्त कर सकता है। सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर देशनाओं एवं विचारों से बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ जो एक नयी खोज थी कोई ईश्वरीय अभिव्यक्ति नहीं। तथागत बुद्ध का धर्मदर्शन मानवीय प्रयास का प्रतिफल था। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने बारे में एक मनुष्य होने के अतिरिक्त अन्य कोई दावा नहीं किया, जैसा कि अनेक धर्म-संस्थापकों ने स्वयं को ईश्वर का दूत या बेटा बतलाकर अपने आपको प्रतिष्ठित किया निस्संदेह गौतम बुद्ध के जीवन चर्या का विश्लेषण करने पर हम, बुद्ध को सम्पूर्ण रूप में विकसित हुए एक मानव के रूप में देखते हैं। वह अपने मार्ग पर स्वयं चले और अन्य प्राणियों को भी यही उपदेश दिया कि वे स्वयं बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करें हर आदमी को स्वयं अपने दुःख-कष्टों का निवारण करना है। बुद्ध ने कहा “हम जो कुछ भी हैं, वह सभी कुछ अपने विचारों के परिणाम हैं, अपने विचारों की फल-श्रुति है, अपने विचारों से निर्मित हैं।”

बुद्धत्व, बोधिसत्त्व की अवधारणा का विश्लेषण बौद्ध दर्शन में अनेक परिकल्पना द्वारा किया गया है और इस परिकल्पना में अन्य प्रचलित धर्मों का प्रभाव भी दिखता है, जो अवतार वाद, चमत्कार, पुर्नजन्म, आत्मा और देवताओं के रूप में पालि साहित्य में बुद्ध अथवा बुद्धत्व की अवधारणा को, प्रस्तुत करता है। बुद्ध को श्रमण, ब्राह्मण, वैदज्ञ, भिषक, निर्मल, विमल, ज्ञानी, विमुक्त आदि नामों से भी पुकारा गया है। बुद्ध शब्द का अर्थ है— जाग्रत बौद्ध दर्शन में प्रत्येक प्राणी वीर्य, प्रज्ञा और पुरुषार्थ द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक प्राणी बुद्ध-बीज है और बुद्धत्व की क्षमता से युक्त है। गौतम भी अपने पुरुषार्थ से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त कर “भगवान बुद्ध” या “सम्यक संबुद्ध” बने। येश्वाद के अनुसार वे ज्ञान और प्रज्ञा के क्षेत्र में अलौकिक होते हुए भी शारीरिक धर्मों की दृष्टि से अन्य मनुष्यों के समान ही माने गये थे। किन्तु क्रमशः उनके व्यक्तित्व में अन्य अलौकिकताओं को प्रवेश मिलता गया। थेरवाद के बुद्ध का लक्ष्य अपने क्लेशों से मुक्ति पाकर अर्हत पद प्राप्त करना होता है, जबकि महायान का बुद्ध संसार के सभी प्राणियों के निर्वाण लाभ के बाद ही स्वयं का निर्वाण चाहता है। यद्यपि बौद्ध दर्शन नित्य आत्मतत्त्व को मानने से इन्कार करता है, फिर भी उसमें चित्तधाश को मानव बोधिसत्त्व और बुद्ध की सत्ता को स्वीकार किया गया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्त डॉ. रमेशचन्द्र : तीर्थकर बुद्ध और अवतार वाराणसी : पाश्वर्वनाथ विद्याश्रम शोध, 2014
2. मेधंकर भदन्त सावंगी : पालि वाड्मय में बोधिसत्त्व सिद्धांत नागपुर : बुद्ध भूमि प्रकाशन, 1992
3. सिंह डॉ. सुरेन्द्र पाल : जातक विमर्श इलाहाबाद : साहित्य भंडार 50, चाहवन्द, 2003
4. महास्थविर आचार्य अनुरुद्ध (अनुवादक कौसल्यायन भदन्त आनन्द) : अभिधम्मत्यसंग्रहा, नागपुर, बुद्ध भूमि, 2005
5. अनुवादक-शास्त्री आचार्य शान्तिदेव शान्ति भिक्षु : बोधिचर्यावतार नागपुर, बुद्ध भूमि 2000
6. जाटव- डॉ. डी.आर : बुद्ध और बौद्ध धर्म— दर्शन जयपुर : समता साहित्य सदन, 1996
7. पी. लक्ष्मी नरसु अनुवादक कौसल्यायन डॉ भदन्त आनंद : बौद्ध दर्शन का सार नागपुर, बुद्ध भूमि 1989
8. डॉ. धर्मकीर्ति : बुद्ध का समाज दर्शन, नई दिल्ली : सम्यक प्रकाशन, 2008
9. अम्बेडकर डॉ. भीमराव अनुवादक कौसल्यायन डॉ, भदन्त आनन्द : बुद्ध और उनका धर्म नागपुर, बुद्ध भूमि।

“हिन्दी के समकालीन उपन्यासों में व्यक्त धार्मिक परिवेश”

श्रीमती शाहिनी थॉमस, शोध छात्रा, हिंदी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

शोध सार : सृष्टि की उत्पत्ति से ही जीवन और धर्म अटूट बंधन में बंधे हुए हैं। सभ्यता की शरूआत से ही धर्म एक परंपरा है। समकालीन उपन्यासों में ग्रामीणता के परिवेश को दर्शाने में धार्मिकता की अहम् भूमिका है। ग्रामीणों के अंतर्मन में धार्मिक आस्था अपनी गहरी जड़ें जमाये रहती है। आज के वैज्ञानिक, परिवर्तनशील, आधुनिक युग में धर्म का मूल्य ग्रामीण जीवन पर कितना प्रभावी है। आधुनिकता की दौड़ में धार्मिक मूल्य कहीं पिछड़ते तो नहीं जा रहे हैं? समकालीन उपन्यासकारों ने ग्रामीण धर्म व्यवस्था का अध्ययन कर ग्रामीण जीवन में विश्वास, श्रद्धा एवं मान्यताओं से सराबोर धार्मिक भावना का सजीव चित्रण उपन्यासों में करते हुए धार्मिक परिवेश को वर्णित किया है। समकालीनता के विशेष संदर्भ में वर्ष 1980 से सन् 2010 तक के उपन्यासों में भी ग्रामीण धार्मिक परिवेश अपनी परंपराओं को संवहित कर रहा है।

धर्म सभ्यता और संस्कृति का मूलाधार है। धर्म में ही मानव बुद्धि को कुशाग्रता और मानव मन सौंदर्य भावना से सजाया है। धर्म एक शक्ति भी है और विश्वास भी। धर्म व्यक्ति को शाति, सद्भाव और संयम की सीख देता है। “धर्म की अवधारणा अलौकिक शक्तियों के प्रति आस्था से संबंधित रही है। धर्म कुछ निश्चित प्रकार के तथ्यों तथा विश्वासों, व्यवहारों, भावनाओं, संवेगों, दृष्टिकोणों आदि से संबंधित है।”¹

धर्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विश्लेषित की है –

“धर्म सांस्कृतिक व्यवहारों का प्रतिमान है, जिसके अंतर्गत पवित्र एवं मान्य विश्वासों, सांवेदिक भावनाओं आदि का व्यापक क्रियान्वयन होता है।”²

“धर्म के अंतर्गत व्यवहार के बे सभी प्रतिमान आ जाते हैं जिनमें मनुष्य दैनिक जीवन की अनिश्चितताओं को न्यूनतम करने का एवं अप्रत्याशित तथा भविष्यवाणी न किये जा सकने वाले संकटों की क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करते हैं।”³ डॉ. अम्बेडकर के अनुसार – “धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। धर्म की उपेक्षा करना सजीव संवेदनाओं की उपेक्षा करना है। धर्म एक व्यवस्था तथा शक्ति है। धर्म का साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो परन्तु धर्म आज भी सामाजिक चेतना के रूप में लोगों के मस्तिष्क में मौजूद है।”⁴ “धर्म वह अनुशासन है, जो अंतरात्मा को स्पर्श करता है और हमें बुराई और कुत्सिकता से संघर्ष करने में सहायक होता है। काम, क्रोध और लोभ से हमारी रक्षा करता है, नैतिक बल को उन्मुक्त करता है, संसार को बचाने का महान कार्य के लिए साहस प्रदान करता है।”⁵

भारतीय ग्रामीण समाज को संचालित करने वाले तत्त्वों के अंतर्गत धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। परम सत्ता में विश्वास करने की भावना धर्म का उद्भव स्थल है। प्रकृति पर निर्भरता का कारण ग्रामीण धर्म पर अधिक विश्वास करते हैं। ग्रामीणों के हर सुख-दुख का प्रदाता परमेश्वर होता है।

समकालीन उपन्यासों में ग्रामीण धर्म संबंधी परिवेश को चार बिंदुओं में परिलक्षित किया जा सकता है –

1. धार्मिक आस्था
2. अंधविश्वास
3. भूत-प्रेत, गुनिया, चुड़ैल की परिकल्पना

4. मनौतियाँ

ग्रामीणों की धार्मिक आस्था उनके व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। कृषि प्रधान जीवन के घोर आपदाओं एवं संकट के बीच धर्म उन्हें नैतिक बल प्रदान करता है। ईश्वर में अटूट आस्था और धार्मिक ग्रन्थों, शास्त्रों, पुराणों का उपदेश पढ़ने और सुनने के लिए ग्रामीण उत्सुक रहते हैं।

“कुसुमा भाभी नहा—धोकर पास आ बैठी मन्दाकिनी रामायण पढ़ने बैठ गयी। बऊ अपना चश्मा लगाकर गौर से देखते हुए बोली, ‘बेटा राम—वन—गमन की चौपाई बाँच दो।’”⁶

ग्रामीण जीवन के मुस्लिम धर्म की आस्था का चित्रण भी समकालीन उपन्यासों में प्रतिबिम्बित किया है। इस्लाम धर्म से संबंधित मुहर्रम के मातम के समय पढ़ा जाने वाला मर्सिया शोकगीत का विवरण भी मिलता है।

“नफस—नफस, कदम—कदम।

गुलो गयाह सर बख्म

कली का घुट रहा है दम।

मचा है हर तरफ उधम।

ध्यान का खुला भरम।

जमीं को गम, फलक को गम

यह किसका सिर हुआ है कलम।”

गजब—गजब, सितम—सितम।

(धाप, धाप, धप्प, धप्प)⁷

ग्रामीण निर्धनता और बेबसी को दूर करने का छलावा देते हुए कुछ धर्म परिवर्तन की घटनाएँ भी होती रही हैं। अल्मा कबूतरी उपन्यास में रामसिंह कहता है “फिरंग लोग मुसलमान नहीं बनाते थे, पीठ पर हाथ फेरकर गिरजाघर ले जाते थे। हिन्दू लोग मुँह फेर चुके थे थे तो वे घुमंतू कहाँ सहारा लेते? गौर साहब छोटी चीज को बड़ी नजर से देखने वाले... कहते तुम्हारा भगवान तुम्हें दगा दे गया, ईशु पर भरोसा करो रूपसिंह, विराट सिंह, और प्रताप सिंह जैसे नामों से तुम्हें गीदड़ की तरह भगाया है। जॉन, डेविड, सैमसन बनो। सीता—सावीत्री और पद्मिनी बनकर क्या मिला? मेरी, मारिया और एनी बनकर पीने का पानी, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए अन्न मिलेगा।”⁸

ग्रामीण स्थानीय देवी—देवताओं की पूजा करते हैं उत्तर भारतीय ग्रामीण अलकनंदा देवी, सिंहवाहिनी देवी, महामाई देवी काली माई, सीतामैया, दुर्गा माता, ब्रह्मा—बाबा, अगस्त ऋषि को पूजते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय ग्रामीण दुर्गम्मा, ऐलम्मा, मैसम्मा, सम्मकल, सारलम्मा, कटमैसम्मा और मल्लिकार्जुन को पूजते हैं। मंदिरों और चबूतरों पर भी दुर्गा कालीन देवी और वीर देवता हनुमान ही सबसे प्रधान होते हैं।

‘तो यह मंदिर अभी उसी तरह विराजमान है मंजुला लेकिन उदास—उदास लग रहा है। नहीं चाचा जी, नवरात्र में देखिएगा यहाँ की गहमागहमी। चुनरी, कड़ाही, पचरा से यह धान कैसा गुलजार हो उठेगा।’⁹

“गुच्छन घर से लापता हो गए। वे पूरे दो दिन लापता रहे। अंततः वे हनुमान टोरिया में मिले हनुमान टोरिया अलीपुरा के पास के जंगल में एक उजाड़ सी पहाड़ी पर बना हनुमान जी का मंदिर था जहाँ एक बाबा ने अपना मठ जैसा बना लिया था।”¹⁰

धार्मिक परिवेश में धार्मिक आस्था, विश्वास, पूजन विधि—विधान जहाँ ग्रामीण जनजीवन में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास, शगुन—अपशगुन, तंत्र—मंत्र, भ्रामिक और काल्पनिक नियम से जुड़े अनेक उदाहरण भी ग्रामीण जीवन पर प्रभाव जमाए हुए हैं। सकालीन उपन्यासों में अंधविश्वास उजागर करते अनेक उदाहरण हैं। “सरेहि से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। बाजार से बिना सौदा लिए और जलाशय से खाली बर्तन लिए लौटना अशुभ होता है।”¹¹

सोनामाटी, डूब मंगल—भवन, नमामि ग्रामम बीस बरस, अल्मा कबूतरी, ग्राम सेविका, ग्लोबल गाँव के देवता, माटी कहे कुम्हार से जैसे समकालीन उपन्यासों में अंधविश्वासी ग्रामीण कथा—पात्रों की भरमार है। ‘बीस बरस’ उपन्यास में शिक्षित इंजीनियर साहब भी अंधविश्वासी बन जाते हैं। “यह साहस नहीं है, स्वार्थ है वे इंजीनियर साहब जी हैं न परम्परा के मामले में बहुत कायर हैं। पूजा पाठ करते हैं। साइन—वोइत देखकर यात्रा करते हैं। जोट—टोग में विश्वास रखते हैं, छुआछूत को खूब मानते हैं लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए।”¹² ग्रामीण आदिवासी किसान भी अनेक अंधविश्वासों से जुड़कर खेती करते हैं। “दरअसल अब भी कुछ लोगों के मन में यह बात बैठी हुई है कि धान को आदमी के खून में सानकर बिचड़ा डालने से फसल बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस सीजन में कुछ मुझीकटवा लोग घूमते रहते हैं।”¹³ ग्रामीण मस्तिष्क ज्वर और विश्व ज्वर जैसी संक्रामक महामारी आने पर भी इलाज न करवाकर अंधविश्वास में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। “झोपड़पट्टी के बुजुर्गों ने कहा — यहाँ की रीत के अनुसार नीम गाछ की ‘सीतला मइया’ के पास दास्त की बोतल दरकाकर एक मुर्ग की बलि दे दो। जो बचेंगे सो बचेंगे नहीं बचने वाले सीतला मइया की सवारी बन जाएँगे।”¹⁴

ग्रामांचलिक जन—जीवन में अज्ञान अशिक्षा, धर्मान्धता और दरिद्रता के कारण भूत—प्रेत, झाड़—फूँक, गुनिया, चुड़ैलें, ओझा, आदि पर विश्वास रखना सामाजिक रिवाज है। समकालीन उपन्यासों में भी उन किसरों का उदाहरण है। सोनामाटी कालाजल धार, मंगल—भवन पार, नमामि ग्रामम, बीस बरस, अल कबूतरी, ग्राम सेविका, ग्लोबल गाँव के देवता उपन्यासों में भी प्रेत संबंधी अनेक अवधारणाएँ देखने को मिलती हैं।

“साँप काटे महुआरी में बरम बाबा के यहाँ जाते हैं, समर्पित होकर अच्छे जाते हैं। वे ही इन देहात के झाड़—फूँक करने वाले और गुनी वैद्य हैं।”¹⁵

उपन्यासों में मृतात्मा के पास फरिश्तों के आनेकी कल्पना भी की जाती है। “सारी धृणा, क्रोध या ईर्ष्या भूलकर मैंने म नहीं मन दुआ की खुदा सल्लो आया तो बख्तो उनकी रुह को सुकून दे और क्या सचमुच आया की कब्र में फरि” ते गुरुज के कोड़े लेकर उतरे होंगे।”¹⁶

आदिवासी जनजातियाँ भूत—प्रेत की कृपा भी जीवन में आवश्यक मानते हैं। पिशाच—बाधा से मुक्ति पाने के कार्य उपाय भी करते हैं।

“डीहबाबा कुछ वर्श पहले बाँधे गए थे। गाँव के तमाम भूत—प्रेत, चुड़ैल और जिन वगैरह पकड़े गए। ओझा—सोखा लोगों ने बहुत श्रम किया था। गाँव में सभी देवता की पूजा हुई और गाँव को निर्विघ्न बनाने के लिए भूतों को बैठा दिया गया।”¹⁷

ग्रामांचलिक समाज में इच्छित कार्य पूरा होने हेतु, आपत्तियों से छुटकारा पाने हेतु देवी—देवता, पीर बाबा या संत—महात्मा में मनौतियाँ माँगने की भावना के उदाहरण ‘सोनामाटी’, ‘धार’, ‘बीस बरस’ जैसे समकालीन उपन्यासों में मिलते हैं। “उन्हें एक रुपया थमाया और उन्होंने स्वयं धी देकर होम सम्पन्न किया। भस्म का तिलक लगा के बाबू साहब ने देवी का दर्शन कर मनौती पूरी की।”¹⁸

निष्कर्षतः ग्रामीण जीवन में देवी—देवताओं एवं ईश्वर पर आस्था एक आंतरिक उत्सव है। धर्म की बागड़ेर मजबूती से पकड़े ग्रामीण सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। समकालीन उपन्यासों में ग्रामीण धार्मिक परिवेश पाठक वर्ग को भी श्रद्धा व आस्था से सराबोर करता है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. गुप्त, डॉ. विश्वमर दयाल (1980), “ग्रामीण समाजशास्त्र साहित्य परिप्रेक्ष्य में”, हाथरस, सीता प्रकाशन, पृ. 109।
2. क्यूबर जॉन, सोस्योलॉजी, ए सिनोप्सीस ऑफ प्रिन्सीपल्स
3. वर्स्की, मलिनोवस्की
4. यादव, राजेन्द्र, अगस्त (2002), हिन्दी मासिक पत्रिका, नई दिल्ली – 2, अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 45
5. पुष्पा, मैत्रेयी (1978), “धर्म और समाज”, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 45
6. पुष्पा, मैत्रेयी (1994), “इदन्नमम्”, नयी दिल्ली, राजकमल प्रकाशन पृ. 73
7. शानी (1985), “कालाजल”, नयी दिल्ली, राजकमल पेपर बैक्स, पृ. 224
8. पुष्पा, मैत्रेयी (2000), “अल्मा कबूतरी”, नयी दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृ. 129–130।
9. मिश्र, रामदरभा (1996), “बीस बरस”, नयी दिल्ली, वाणी प्रकाशन, पृ. 43।
10. चतुर्वेदी, ज्ञान (1999), “बारामासी”, नयी दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृ. 122
11. राय, विवेकी (1983), “सोनामाटी”, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, पृ. 147।
12. मिश्रा, रामदरश (1996), “बीस बरस”, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन, पृ. 15।
13. रणेन्द्र, (2009), “ग्लोबल गाँव के देवता”, नयी दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, पृ. 12।
14. मिथिलेश्वर (2009), “माटी कहे कुम्हार से”, नई दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. 35–36
15. राय, डॉ. विवेकी (1983), “सोनामाटी”, नयी दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, पृ. 462।
16. शानी (1985), “कालाजल”, नयी दिल्ली, राजकमल पेपर बैक्स, पृ. 304।
17. राय, डॉ. विवेकी (1996), “नमामि ग्रामम्”, नयी दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, पृ. 22।
18. राय, डॉ. विवेकी (1983), “सोनामाटी”, नयी दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, पृ. 232।

उपशास्त्रीय संगीत का इतिहास एवं विकास

श्रीमती शोभना सोंधिया
नी—शोभना कश्यप

शोध सार : उपशास्त्रीय संगीत का इतिहास एवं विकास से तात्पर्य यह है कि इसके माध्यम से छोटी-छोटी जगह में एक बड़े भाव को चित्रित करने के समान ही इस शैली में थोड़े शब्दों में स्वरों के सहारे विस्तृत, व्यापक भाव—विम्ब उभारे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि उपशास्त्रीय गायन शैली में गीत के एक छोटे पद को विभिन्न स्वर संयोजनों का सहारा प्रदान कर विनय, आग्रह, लाचारी, बेबसी, प्रेम, श्रद्धा, दीनता, समर्पण इत्यादि भावों को सांगीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है।

उपशास्त्रीय संगीत : उपशास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय संगीत तथा लोक संगीत अथवा शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत जैसे पश्चिमी या पॉप का मिश्रण होता है। ऐसे संगीत को लोकप्रिय बनाने या विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग फिल्मों या नाटकों में किया जाता है। लोकगीतों में दुमरी, दादरा, चैती, कजरी, होरी जैसी अनेक विधाएँ हैं जो पहले लोकसंगीत की भाँति प्रकाश में आए और बाद में उनका शास्त्रीयकरण किया गया। इनके शास्त्रीय रूप का गुणीजन पूरी तरह पालन करते हैं, लेकिन आज भी लोक—संगीतकार इनके शास्त्रीय रूप का गंभीरता से पालन किए बिना इन्हें सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को 'उपशास्त्रीय संगीत' कहते हैं। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत जो विधाएँ आती हैं उन्हें हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे —

(i) दुमरी:— दुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है, जिसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। ख्याल शैली के द्रुतलय की रचना (छोटा ख्याल) और दुमरी में मूलभूत अन्तर यही होता है कि छोटे ख्याल में शब्दों की अपेक्षा राग के स्वरों और स्वर संगतियों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जबकि दुमरी में रस के अनुकूल भावाभिव्यक्ति पर ध्यान रखना पड़ता है। प्रायः दुमरी गायक या गायिका को एक ही शब्द अथवा शब्द समूह को अलग—अलग भाव में प्रस्तुत करना होता है। इस प्रक्रिया में राग के निर्धारित स्वरों में कहीं—कहीं परिवर्तन करना पड़ता है।

इसकी उत्पत्ति के बारे में ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में एक "छलिका" नामक शैली थी। इसमें अभिनय तथा गायन की पद्धति थी। महाकवि कालिदास ने 'मालविकार्णिमित्र' नामक नाटक में मालविका द्वारा छलिका का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। 'दुमरी' इसका ही परिवर्तित रूप मानी जाती है। एक दूसरे मत के अनुसार राजा मानसिंह तोमर ने दुमरी को जन्म दिया, अन्य मत यह भी है कि दुमरी का जन्म उन लोकगीतों से हुआ है, जो कि नृत्य के साथ गाये जाते थे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दुमरी 'दुमक' शब्द से निकली है, जिसका अर्थ है 'सुन्दर—पादक्षेप'। इससे स्पष्ट होता है कि दुमरी और नृत्य का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। एक विचार यह भी है कि दुमरी का जन्म अवध के नवाबों के दरबार में हुआ, उन नवाबों को ख्याल शैली पसंद नहीं थी। उन्हें तो कोई हल्की शैली चाहिए थी, जिसका कि नृत्य के साथ प्रयोग किया जा सके और दुमरी ही इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी। वस्तुतः दुमरी एक श्रृंगार रस पूर्ण माधुर्य गुण सम्पन्न गायन विधा है, जिसमें शब्दों के भावों को स्वरों के हावभाव द्वारा स्पष्ट करके गेय पद के भावार्थ को प्रकट किया जाता है, यही दुमरी गायकी की प्रमुख विशेषता है।¹⁷

(ii) दादरा :— उपशास्त्रीय संगीत की ही दुमरी, टप्पा के अलावा एक खास शैली है "दादरा"। संगीत की दुनिया में दादरा एक 'ताल' भी है और गायन शैली भी। अन्य शैलियों के गायन की तरह दादरा को भी खूब 'दाद' मिलती है। दादरे की शैली दुमरी से मिलती—जुलती है, इसे मुख्य रूप से कहरवा और दीपचंदी में गाया जाता है और इसकी गति दुमरी से तेज होती है। इसे पूरब अंग की दुमरी का हल्का संस्करण भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख भाव, श्रृंगार का होता है लेकिन इसमें दुमरी

¹⁷ बसन्त :— संगीत विशारद, 1988, पृ. 167

के मुकाबले अधिक उन्मुक्तता होती है। दादरे में ताल की गतियाँ भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्तुत की जाकर एक द्रुत लयात्मक वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा होती है।¹⁸ सवाल है, ये दादरा शब्द कहाँ से आया? दादरा गायन उत्तर भारत की प्रायः सभी संस्कृतियों में लोक शैली के रूप में भी गिना जाता है। इसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के कुछ इलाकों में ददरिया भी कहा जाता है और पहाड़ी शैली का गायन माना जाता है। उपशास्त्रीय संगीत शैली के तौर पर दादरा की पहचान लालित्यर्ण गायन शैली के तौर पर होती है। दादरा को दुमरी जैसा ही माना जाता है और अक्सर दुमरी के साथ दादरा गाया ही जाता है। प्रसंगवश बता दें कि बुजुर्गों ने दुमरी और दादरा के बारे में बड़ी दिलचस्प बात कही है, दुमरी यानी नदी किनारे गीले वस्त्रों में खड़ी सद्यस्नाता और दादरा यानि दर्द।

संस्कृत में एक शब्द है 'ददः' जिसका अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, उपत्यका आदि। इसी तरह इसका एक अन्य अर्थ भी है उपहार, दान वगैरह। ददः से ही बना 'दादर' जिसका मतलब हिन्दी की कुछ लोकबोलियों में पहाड़ होता है, मूलतः इसे बटोहियों का संगीत कहना ज्यादा आसान होगा। पहाड़ी दुर्गम रास्तों पर चलते हुए सफर को आसान बनाने के लिए बटोही संगीत का आश्रय लेते रहे हैं, इसी से ये शब्द चल पड़े होंगे जिन्होंने बाद में "दादरा शैली" का रूप ले लिया। ददरिया या दादरा जैसे शब्दों में पहाड़ी संगीत की बात यहाँ आकर साफ होती है, दरअसल इस गायन शैली को शास्त्रीयता के कट्टर लोगों द्वारा किसी ज़माने में 'चलताऊ' कहा जाता था जो कहने में गलत था मगर यूँ चलते-चलते संगीत के अर्थ में समझें तो सही है।

(iii) चैतीः— चैती उत्तर प्रदेश का, चैत माह पर केंद्रित लोक—गीत है। इसे अर्धशास्त्रीय गीत विधाओं में भी सम्मिलित किया जाता है तथा उपशास्त्रीय बंदिशों गाई जाती हैं। चैत्र के महीने में गाई जाने वाले इस शैली का विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहता है। चैत, श्रीराम के जन्म का भी मास है इसलिए इस गीत की हर पंक्ति बे बाद अक्सर "हो रामा" यह शब्द लगाते हैं। संगीत की अनेक महफिलों में केवल दुमरी, दादरा, चैती, टप्पा ही गाए जाते हैं, ये अक्सर राग वसंत या मिश्र वसंत में आधारित होते हैं।

चैती, दुमरी, दादरा, कजरी इत्यादि का गढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मुख्य रूप से वाराणसी है। पहले केवल इसी को समर्पित संगीत समारोह हुआ करते थे, जिसे 'चैता उत्सव' कहा जाता था। आज यह संस्कृति लुप्त हो रही है, फिर भी चैती की लोकप्रियता संगीत प्रेमियों में बनी हुई है। बारह मासों में चैत का महीना गीत संगीत के मास के रूप में चिह्नित किया गया है।

(iv) टप्पा:- टप्पा भारत की प्रमुख पारंपरिक संगीत शैलियों में से एक है। यह माना जाता है कि इस शैली की उत्पत्ति पंजाब व सिंध प्रांतों के ऊँट चलाने वालों द्वारा की गई थी। इन गीतों में मूल रूप से हीर और राङ्घा व प्रेम व विरह प्रसंगों को दर्शाया जाता है। खमाज, भैरवी, काफ़ी, तिलंग, झिंझोटी, सिंधुरा और देस जैसे रागों तथा पंजाबी पतों जैसे तालों द्वारा प्रेम—प्रसंग अथवा करुणा भाव व्यक्त किए जाते हैं। 'टप्पा' की विशेषता है, इसमें ली जाने वाली ऊर्जावान तान और असमान लयबद्ध लहजे। टप्पा गायन को मियाँ गुलाम नबी शोरी ने एक लोकशैली से ऊपर उठाकर एक शास्त्रीय शैली का रूप दिया था। कहा जाता है कि टप्पा, पंजाब के ऊँट चालकों का जातीय संगीत था इसलिए कलावन्त टप्पा गायकी को एक चलता गाना जो पंजाब से चला था, कहते हैं।¹⁹

(v) कजरीः— कजरी या 'कजली' महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है। परिवार में किसी मांगलिक अवसर पर महिलाएँ समूह में कजरी गायन करती हैं। महिलाओं द्वारा समूह में प्रस्तुत की जाने वाली कजरी को "दुनुमुनिया कजरी" कहा जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की तृतीया को सम्पूर्ण पूर्वांचल में 'कजरी तीज' पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएँ व्रत करती हैं, शक्ति स्वरूपा माँ विंध्यवासिनी का

¹⁸शत्रुघ्न शुक्ल :- दुमरी की उत्पत्ति, विकास एवं शैलियाँ, 1983, पृ. 241

¹⁹विमल कांत राय चौधरी :- भारतीय संगीत कोष, 1975, पृ. 38

पूजन—र्धचन करती हैं और 'रतजगा' भी करती हैं। रतजगा करते हुए समूह बना कर पूरी रात कजरी गायन करती हैं। ऐसे आयोजन में पुरुशों का प्रवेश वर्जित होता है, यद्यपि पुरुष वर्ग भी कजरी गायन करता है, किन्तु उनके आयोजन अलग होते हैं।

'कजरी' की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह कहना कठिन है, परन्तु यह तो निश्चित है कि मानव को जब स्वर और शब्द मिले, और जब लोक जीवन को प्रकृति का कोमल स्पर्श मिला होगा, उसी समय से लोकगीत हमारे बीच हैं। प्राचीनकाल से ही उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद, माँ विंध्यवासिनी के शक्तिपीठ के रूप में आस्था का केन्द्र रहा है। अधिसंख्य प्राचीन कजरियों में शवितस्वरूपा देवी का ही गुणगान मिलता है, आज कजरी के वर्ण-विषय अधिक विस्तृत हैं, परन्तु कजरी गायन का प्रारम्भ देवी गीत से ही होता है।

(vi) होरी:— 'होरी' नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये होली में गाया जाने वाला गीत है। इसे फागुन माह में गाया जाता है। होरी में ब्रज में मनाई जाने वाली होली का वर्णन होता है²⁰

संदर्भ :-

1. बसन्त : संगीत विशारद, 1988, पृ. 167
2. शत्रुघ्न शुक्ल : दुमरी की उत्पत्ति, विकास एवं शैलियाँ, 1983, पृ. 241
3. विमल कांत राय चौधरी : भारतीय संगीत कोश, 1975, पृ. 38
4. नैना देवी : दुमरी गायकी, कला भारती, उपशास्त्रीय गायन पत्रिका, 1965, पृ. 65
5. डॉ. सुशील कुमार चौबे : हमारा आधुनिक संगीत, 1983, पृ. 9

²⁰नैना देवी :— दुमरी गायकी, कला भारती, उपशास्त्रीय गायन पत्रिका, 1965, पृ. 65

Conductometric Studies On Micellar Solubilization Of Acetic Acid In Triton X 100 Aqueous Medium

Alka Tiwari , Sunita Singh , Archana Bajpai, Sandhya Rani Panda, S.K. Chatterjee

Govt. D.B. Girls P.G.COLlege,Raipur(C.G.) India

Govt. O.F.K. College, Jabalpur (M.P.) India

Mats Univercity Raipur (C.G.) India


N. R. M. Govt. Girls' College, Dhamtari (C.G.) India

Abstract : The CMC Value of Triton X 100 first increases with the increase in the concentration of acetic acid at 305 K & at 310 K, but it gradually decreases at temperatures of 315 & 320 K. This observation suggests that the solubilisation of acetic acid can be made at a higher temperature which is suitable for the micellisation and solubilisation.

Key words : - CMC, Micellisation , Solubilization,Acetic acid .

Introduction : *Surfactants* (tensides) are organic substances, which significantly decrease the surface tension of water at relatively low concentrations, are at least partially water soluble. Because surfactants are adsorbed mainly on the surface of the solution, creating a thin monolayer, they are called surface active substances. When dissolving them, after they reach a certain value of concentration, molecules or ions of surfactants begin to associate and to organize themselves into more complex units, also called micelles. The characteristic concentration value, where the association process begins, is called the *critical micelle concentration* and it is labeled with symbol cc or abbreviation CMC. The CMC is one of the most useful physicochemical characteristics of many biologically active substances . From the chemical point of view, surfactants are mostly low-molecular compounds, so when dissolved, they form the true solutions in concentration ranges below the CMC. Micelles are aggregates of a larger number of simple molecules or ions of surfactants (e.g. several dozens), so the resulting size of such structures is in the colloidal range. For this reason the micelle solutions of surfactants are regarded as association colloids. The effect of acetic acid on the self association processes of non-ionic surfactant and hence on the properties of the micelles formed has been investigated for several systems using a variety of techniques . The behavior of Triton X 100 micelles in the presence of acetic acid has been extensively investigated .

T riton X 100 is a type of nonionic surfactant, molecular formula $C_{34}H_{62}O_{11}$,molecular weight -646.86, CAS No:9002-93-1 exists as a liquid in normal physical state.



Methodology :**A. Principles of Determination of CMC**

The determination of CMC is generally based on the localization of the position of a breaking point in the concentration dependencies of equivalent conductance of surfactant solutions. The conductivity of any solution is directly proportional to the concentration of its ions. The dependence of equivalent conductance on the square root of concentration is used to determine CMC of ionic surfactants. The graph is plotted between $\sqrt{C} \cdot 10^2$ and $\Lambda \cdot \sqrt{C}$.

Where C is the concentration of the solution and Λ is the equivalent conductance.

The breaking point in the graph represents the CMC.

This concentration dependence of equivalent conductivity is thus described by Onsager equation.

$$\Lambda = \Lambda_0 - a \cdot \sqrt{C}$$

Where, Λ_0 is the corresponding equivalent conductance at the infinite dilution and 'a' is a constant.

Values of equivalent conductance are calculated from the experimental values of specific conductance K.

Units: Equivalent conductance: ohm^{-1}

Concentration: $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

B. Materials, Chemicals and Equipments

1) Conductometer, conductivity electrode, thermometer, thermostat, stirrer, 25 ml analytical flask

2) Non ionic surfactant

(Triton X 100)

KCl solution

3) Redistilled water

4) Acetic Acid

C. Procedure

1) Preparation of stock solution of the surfactants with concentration $c=2 \times 10^{-3} \text{ m}$ to $14 \times 10^{-3} \text{ m}$ in 25 ml analytical flask:

The weighed amount of surfactant is dissolved in calculated amount of distilled water.

2) From the stock solution, various other solutions are prepared of different concentrations:

$$c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$$

c_1 =concentration of stock solution

V_1 =volume of stock solution

c_2 =concentration of solution to prepare

V_2 volume of solution to prepare

3) Conductometer is calibrated :

For calibrating the conductometer, 0.1N KCl solution is prepared and electrode is dipped in it then its conductance value is set in the conductometer.

4) Solution is poured in conductivity vessel, stirrer is inserted and then the thermometer and conductivity electrode is immersed in it.

5) Thermostat is set to 305K.

6) The measurement:

First the reading of conductance is taken for the stock solution followed by solutions of different concentrations. The values observed are noted. The value so obtained is the observed conductance.

From this value equivalent conductance is calculated. And then the graph is plotted between $\sqrt{C} \cdot 10^2$ and $\Lambda \cdot \sqrt{C}$. The break in the curve gives the CMC.

- 7) Now the thermostat is set to 310K then 315K, 320K and the measurements are made.
- 8) Similarly in presence of Acetic acid, the values are determined.

D. Calculation of Equivalent Conductance

The value obtained with the help of conductivity meter is known as the observed conductance. Here the cell constant of conductivity meter was set 1. From this observed value, specific conductance is calculated.

Specific conductance = observed conductance x cell constant

Since the cell constant is 0.91 .

The product of the specific conductance and the volume gives the Equivalent conductance.

$$\Lambda = K \cdot V$$

Λ is the equivalent conductance

K is the specific conductance

V is the volume

E. Calculation of Thermodynamic Parameters

Change in free energy, change in enthalpy and change in entropy is calculated by using the formula given below-

$$\Delta G^0 = RT \log CMC$$

$$\Delta H^0 = -RT^2 d/dt \log CMC$$

$$\Delta S^0 = \Delta H^0 - \Delta G^0/T$$

Result and discussion :

Effect of Acetic acid on the CMC value of Triton X 100

VARIATION OF CMC VALUE OF TRITON X 100 WITH INCREASING MOLAR CONCENTRATION OF ACETIC ACID AT 305 K

S.No.	Molar conc. Of Acetic acid	CMC value at 305 K
1.	2.0×10^{-3}	3.0×10^{-4}
2.	4.0×10^{-3}	3.5×10^{-4}
3.	6.0×10^{-3}	4.0×10^{-4}

The CMC value of triton X 100 increases with the increasing concentration of acetic acid at 305 K . This observation shows that at 305 K temperature, lower concentration of Acetic acid is suitable for micellisation in Triton X 100.

VARIATION OF CMC VALUE OF TRITON X 100 WITH INCREASING MOLAR CONCENTRATION OF ACETIC ACID AT 310 K

S.No.	Molar conc.of Acetic acid	CMC value
1.	2.0×10^{-3}	2.5×10^{-3}
2.	4.0×10^{-3}	3.0×10^{-3}
3.	6.0×10^{-3}	3.5×10^{-3}

The CMC value of Triton X 100 increases with the increasing concentration of acetic acid at 310 k. this observation shows that at 310K, lower concentration of acetic acid is suitable for micellisation and solubilisation in Triton X 100.

VARIATION OF CMC VALUE OF TRITON X 100 WITH INCREASING MOLAR CONCENTRATION OF ACETIC ACID AT 315 K

S.No.	Molar conc. Of Acetic acid	CMC value
1.	2.0×10^{-3}	2.0×10^{-4}
2.	4.0×10^{-3}	1.5×10^{-4}
3.	6.0×10^{-3}	1.0×10^{-4}

At 315 K, The CMC value of Triton X 100 decreases with the increasing concentration of acetic acid . At This temperature higher concentration of acetic acid is favorable for micellisation and solubilisation.

VARIATION OF CMC VALUE OF TRITON X 100 WITH INCREASING MOLAR CONCENTRATION OF ACETIC ACID AT 320 K

S.No.	Molar conc. Of Acetic acid	CMC value
1.	2.0×10^{-3}	1.5×10^{-4}
2.	4.0×10^{-3}	1.0×10^{-4}
3.	6.0×10^{-3}	0.8×10^{-4}

At 320 K, The CMC value of Triton X 100 decreases with increasing concentration of acetic acid suggesting a suitable condition for micellisation and hence solubilisation of Acetic Acid.

VARIATION OF CMC VALUE OF TRITON X 100 WITH INCREASING MOLAR CONCENTRATION OF ACETIC ACID AT DIFFERENT TEMPERATURES

Molar conc. Of acetic acid $\times 10^{-3}$	CMC at 305 K	CMC at 310 K	CMC at 315 K	CMC at 320 K
2	3.0×10^{-4}	2.5×10^{-4}	2.0×10^{-4}	1.5×10^{-4}
4	3.5×10^{-4}	3.0×10^{-4}	1.5×10^{-4}	1.0×10^{-4}
6	4.0×10^{-4}	3.5×10^{-4}	1.0×10^{-4}	0.8×10^{-4}

It was observed that The CMC Value of Triton X 100 first increases with the increase in the concentration of acetic acid at 305 K & at 310 K, but it gradually decreases at temperatures of 315 & 320 K. This observation suggests that the solubilisation of acetic acid can be made at a higher temperature which is suitable for the micellisation and solubilisation.

REFERENCES:

1. Farn RJ: Chemistry and Technology of Surfactants, Blackwell Publishing Ltd, Oxford. (2006).
2. Khan MS, Ali Z: Micellisation of dodecyl benzenesulfonic acid and its interaction with poly(ethylene oxide) polymer. Journal of the Chemical Society of Pakistan.31: 712-717. (2009).
3. Al-Wardian A, Glenn KM, Palepu RM: Thermodynamic and interfacial properties of binary cationic mixed systems, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.247: 115-123. (2004).
4. Jiang N, Li P, Wang Y, Wang J, Yan H, Thomas RK:Aggregation behavior of hexadecyltrimethylammonium surfactants with various counterions in aqueous solution. Journal of Colloid and Interface Science. 286: 755-760.(2005).
5. Mata J, Varade D, Bahadur P: Aggregation behavior of quaternary salt based cationic surfactants. Thermochimica Acta. 428: 147-155. (2005).
6. Quina FH, Nassar PM, Bonilha JBS, Bales BL: Growth of sodium dodecyl sulfate micelles with detergent concentration. Journal of Physical Chemistry.99: 17028-17031. (1995).
7. Nasiru T, Avila L, Levine M: Determination of critical micelle concentration using UV visible spectroscopy. Journal of High School Research. 2: 1-5. (2011).
8. Domínguez A, Fernández A, González N, Iglesias E, Montenegro L: Determination of critical micelle concentration of some surfactants by three techniques. Journal of Chemical Education.74: 1227-1231. (1997).
9. Carpena P, Aguiar J, Bernaola-Galván P, Carnero Ruiz C: Problems associated with the treatment of conductivity-concentration data in surfactant solutions: simulations and experiments. Langmuir. 18: 6054-6058. (2002).
10. Manabe M, Kawamura H, Yamashita A, Tokunaga S: Effect of alkanols on intermicellar concentration and on ionization of micelles. Journal of Colloid Interface Science.115: 147-154. (1987).
11. Sugihara G, Era Y, Funatsu M, Kunitake T, Lee S, Sasaki Y:Micelle formation of dodecylammonium surfactant with mixed counterions: perfluorocarboxylate and alkanesulfonate ions. Journal of Colloid Interface Science. 187: 435-442.(1997).
12. Garcia-Mateos I, Mercedes Velazquez M, Rodriguez LJ:Critical micelle concentration determination in binary mixtures of ionic surfactants by deconvolution of conductivity/concentration curves. Langmuir. 6: 1078-1083.(1990).

13. Pérez-Rodríguez M, Prieto G, Rega C, Varela LM, Sarmiento F, Mosquera V: A comparative study of the determination of the critical micelle concentration by conductivity and dielectric constant measurements. *Langmuir*. 14:422-4426. (1998).
14. López Fontán JL, Costa J, Ruso JM, Prieto G, Sarmiento F: A nonparametric approach to calculate critical micelle concentrations: the local polynomial regression method. *The European Physical Journal E: Soft Matter and Biological Physics*. 13: 133-140. (2004).
15. Jover A, Meijide F, Mosquera V, Tato JV: A step-by-step dilution-extraction method for laboratory experiments. *Journal of Chemical Education*. 60: 530-532. (1990).
16. Zana R, Lévy H, Danino D, Talmon Y, Kwetkat K: Mixed micellization of cetyltrimethylammonium bromide and an anionic dimeric (gemini) surfactant in aqueous solution. *Langmuir*. 13: 402-408. (1997).
17. De Lisi R, Inglese A, Milioto S, Pellerito A: Demixing of mixed micelles. Thermodynamics of sodium perfluorooctanoate-sodium dodecanoate mixtures in water. *Langmuir*. 13: 192-202. (1997).
18. Tu Z, Ding L, Frappart M, Jaffrin MY: Studies on treatment of sodium dodecyl benzene sulfonate solution by high shear ultrafiltration system. *Desalination*. 240: 251-256. (2009).
19. Benraou M, Bales B, Zana R: Effect of the nature of the counterion on the interaction between cesium and tetraalkylammonium dodecylsulfates and poly(ethylene oxide) or poly(vinylpyrrolidone). *Journal of Colloid Interface Science*. 267: 519-523. (2003).
20. Owoyomi O, Ige J, Soriyan OO: Thermodynamics of micellisation of *n*-alkyltriphenylphosphonium bromides: a conductometric study. *Chemical Sciences Journal*. 2011: CSJ-25. (2011).
21. Umlong IM, Ismail K: Micellization behaviour of sodium dodecyl sulfate in different electrolyte media. *Colloids and Surfaces A. Physicochemical and Engineering Aspects*. 299: 8-14. (2007).

जेल श्रम एवं बंदी प्रशिक्षण

रीना वासनिक, शोध छात्रा, पी.एच.डी. समाजशास्त्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.

भूमिका— कारागारों में बंदियों से श्रम कराया जाना, अपराधियों के प्रति दण्डात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त किये जाने वाले विभिन्न रूपरूपों का ही एक स्वरूप है। कारागारों की स्थापना के प्रारम्भिक काल में चूंकि कारागार को एक दण्डात्मक संस्था माना जाता था इसलिये बंदियों से जिस प्रकार के श्रम कराये जाते थे, वे प्रकृतितः अत्यंत कठोर अनुत्पादक कष्टप्रद तथा अप्रसन्नतादायी प्रकार के होते थे, अपराधियों से पत्थर तुड़वाये जाते थे। पूर्व मान्यताओं के आधार पर कारागार श्रम का प्रमुख उद्देश्य बंदियों से कठोर परिश्रम करवाकर अपराध के प्रति भय उत्पन्न करता था, परन्तु वर्तमान समय में चूंकि कारागार को सुधारात्मक संस्था माना जाने लगा है, अतएव कारागार श्रम बंदियों के लिए दण्डात्मक साध्य न होकर सुधार का एक साधन बन गया है। अब बंदियों से कारागार में लिये जाने वाले कठोर श्रम की भर्त्सना की जाने लगी है एवं यह कहा जाने लगा है कि बंदी श्रम में कार्यकृतों का उद्देश्य बंदियों को पीड़ा पहुंचाना न होकर उनको ऐसे कार्यों तथा ऐसे उद्योगों में लगाना है जिससे उनमें औद्योगिक क्षमता के विकास के साथ सुधार की भावना प्रस्फुटित हो सके। अब श्रम के माध्यम से बंदियों को ऐसा कार्यकृत नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कारागारों से मुक्त होने के उपरान्त वे अपनी जीविका की व्यवस्था स्वयं ही कर सके और कारोगारों में जब तक रहे तब तक अपने द्वारा किये जाने वाले श्रम के बदले पारिश्रमिक रूप में वेतन भी प्राप्त करते रहे। कारागारों में अब बंदियों को विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगाया जा रहा है एवं उनसे उत्पादक श्रम कराया जा रहा है जिससे कारागारों की वित्तीय व्यवस्था भी सुदृढ़ होती जा रही है।

संक्षेप में आज के कारागार श्रम के मौलिक उद्देश्यों को निम्न लिखित बिन्दुओं में रखकर प्रस्तुत किया जा सकता है –

- ❖ बंदियों में परिश्रम करने की आदत विकसित करना।
- ❖ बंदियों में आज्ञाकारिता की भावना विकसित।
- ❖ बंदियों में अध्यवसाय की भावना प्रस्फुटित करना।
- ❖ बंदियों में समंजनकारी व्यवहार करने की आदत विकसित करना।
- ❖ बंदियों को उत्पादनकारी कार्यों या उद्योगों का प्रशिक्षण देना।
- ❖ बंदियों को अनिष्टकारी कार्यों से दूर रखना।
- ❖ बंदियों को सुधरने का अथवा समाज में पुनर्वासित होने का प्रशिक्षण देना इत्यादि।

विभिन्न जिलों में कार्यकौशल वृद्धि के लिये चलाये जा रहे प्रशिक्षण

क्र.	जेल का नाम	प्रारम्भ प्रशिक्षण
1.	जबलपुर	बुनाई, कारपेंटरी, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, साबुन उधोग, मसाला बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, कढाई, एम्ब्रायडरी, ब्यूटिशियन, फूडप्रिजरवेशन, वाशिंग पाउडर निर्माण, इलेम्डिशियन, टेलीफोन रिपेयरिंग व बांस उधोग प्रशिक्षण टायपिंग, बैंड बजाना
2.	भोपाल	बुनाई, कारपेंटरी, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, साबुन उधोग, वाशिंग पाउडर निर्माण, मूर्तिकला, वुड कार्विंग, गुडिया बनाना, जनपुरोहित, कृषि बागवानी उधानिकी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टायपिंग, बैंड बजाना
3.	ग्वालियर	बुनाई, कारपेंटरी, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, चाक उधोग, कृषि बागवानी
4.	इंदौर	बुनाई, कारपेंटरी, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, साबुन उधोग, स्क्रीन प्रिंटिंग, मल्टीपरपज मैकेनिक कृषि बागवानी, बैंड बजाना

5.	रीवा	बुनाई, कारपेटरी, सिलाई, लोहारी, मसाला निर्माण, कृषि बागवानी
6.	सतना	बुनाई, कारपेटरी, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, मसाला निर्माण, कृषि बागवानी, बैंड बजाना
7.	उज्जैन	बुनाई, कारपेटरी, सिलाई, बुटिक, प्रिंटिंग कृषि, बागवानी
8.	नरसिंहपुर	बुनाई, कारपेटरी, सिलाई, लोहारी, कृषि बागवानी
9.	सागर	बुनाई, कारपेटरी, सिलाई, लोहारी, बीड़ी बनाना कृषि बागवानी, बैंड बजाना
10.	टीकमगढ़	बुनाई, कृषि बागवानी
11.	शाजापुर	बुनाई, बढ़ईगिरी
12.	मण्डला	चटाई बनाना, कृषि बागवानी

काल्डवैल का अनुसरण (1956,606) करते हुए कारागार रोजगार कार्यक्रम के लिए नि. लि. 5 उपाय बताये जा सकते हैं –

- कार्य का विभंदीकरण**— दण्ड संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाना न तो वांछित है और न ही सम्भव है। निवाड़ बुनने व दरी बनाने जैसी प्राचीन प्रथाओं को हतोत्साहित करना है। आधुनिक कारागार व्यवसाय कार्यक्रम का मूल आधार विभंदीकरण होना चाहिए जो न केवल बंदियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करेंगे बल्कि निजी कार्यक्रम कच्चे माल की उपलब्धि, संस्था के आकार और प्रकृति (केन्द्रीय या जिला कारागार) बंदियों के प्रकार, प्रशिक्षणों की उपलब्धि संभवित बाजार और इसी प्रकार के अन्य तत्वों के आधार पर भिन्न-भिन्न होने चाहिए।
- रोजगार के राज्य उपभोग प्रणाली पर बल** —राज्य लेखा प्रणाली स्वयं में न केवल स्पर्धा को बल्कि अनेक अन्य दोषों को भी जन्म देती है। फलस्वरूप इस प्रणाली को पूर्णरूप से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका प्रयोग सीमित होना चाहिए। राज्य उपभोग प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं के सक्रिय सहयोगी से यह प्रणाली भी भली-भाँति सन्तुलित कारागार कार्यक्रम उपलब्ध करा सकती है।
- बंदियों को सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कार्य सोपना**— बंदियों को कार्य, उनकी शिक्षा, आयु, योग्यता, प्रशिक्षण आवश्यकताओं, कारावास की अवधि, अपराध की प्रकृति एवं विश्वसनीयता के आधार पर सौपा जाना चाहिए। नव प्रविष्ट अपराधियों को कुछ सप्ताह के लिए स्वागत केन्द्रों पर रखकर उनके व्यक्तिगत हितों को सुनिश्चित किया जा सकता है। तब बंदियों का वग्रीकरण औधोगिक कार्यों एवं व्यापार कार्यों के लिए योग्यता के आधार पर किया जा सकता है।
- पारिश्रमिक प्रणाली का प्रारम्भ** —बंदी बिना पारिश्रमिक या अन्य प्रोत्साहन के कुशलता से कार्य नहीं करेंगे। अतः कारागारों में पारिश्रमिक प्रणाली यह ध्यान रखकर प्रारम्भ की जा सकती है कि बंदियों को भोजन वस्त्र आदि कारागार प्रशासन द्वारा मुक्त प्रदान किया जाये। यदि दैनिक पारिश्रमिक भोगी 50 रुपये से 75 रुपये कमा सकता है वो काम करने वाले बंदी को 10 रुपये से 15 रुपये प्रतिदिन इस आधार पर दिया जा सकता है कि उसके कार्य की प्रकृति क्या है।
- प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करना** —रोजगार कार्यक्रम उच्चतम स्तरों के अनुरूप संगठित अच्छे कर्मचारियों से भरपूर एवं साज सज्जा से युक्त होना चाहिए। कारागार उद्योगों में भली भौति प्रशिक्षित लोग पर्याप्त मात्रा में दिए जाने चाहिए जो विविध तकनीकी समस्याओं जैसे प्रशिक्षण उत्पादन एवं गुणवत्ता बनाए रखने अआदि को सम्भाल सके।

कार्य आवंटन— कारागार में श्रम को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। (1) अतः भित्तीय श्रम तथा (2) बाहू भित्तीय श्रम अन्तः भित्तीय श्रम वह श्रम है जो कारागार की चहारदीवारी के बाहर किन्तु कारागार की सीमा के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। पुनः कारागार में निश्चित कार्य सम्पादन के लिए शारीरिक प्रयास की मात्रा की आवश्यकतानुसार श्रम को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है –

- (1) कठोर श्रम (2) मध्यम श्रम (3) सरल श्रम

व्यवहारिक रूप में बंदियों को कार्यावंटन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है—

1. किसी कार्य के लिए बंदी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता
2. कारागार में आने के पूर्व का उसका व्यवसायिक अनुभव तथा प्रशिक्षण
3. कार्योन्मेषित झुकाव
4. पुनर्वासन की सम्भाव्यता

कारागार में बंदियों से कार्य कराने का समय सामान्यतः प्रातः 7:30 बजे से 11:30 तक एवं 1:30 से 5:30 तक है उन्हें 2 घण्टे का विश्राम भी दिया जाता है, किन्तु 2 घण्टे का विश्राम का समय ऋतुओं के परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। बंदी रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिन कार्य नहीं करते हैं।

कारागार श्रम पारिश्रमिक —बंदी बिना पारिश्रमिक या अन्य प्रोत्साहित के कुशलता से कार्य नहीं करेंगे। अतः कारागारों में पारिश्रमिक प्रणाली यह ध्यान रखकर प्रारम्भ की जा सकती हैं कि बंदियों को भोजन वस्त्र आदि कारागार प्रशासन द्वारा मुक्त प्रदान किया जाये। वर्तमान में पारिश्रमिक दरे 55 रु. से बढ़ाकर 110 (कुशल बंदी) और 50 से बढ़ाकर 62 रु. (अकुशल बंदी) कर दिया गया है।

निष्कर्ष :प्रत्येक जेल कर्मी का यह दायित्व है कि वह जेल में बंदी को प्रशिक्षित कर एक अच्छा नागरिक बनने हेतु उत्प्रेरित करे। बंदी में आत्मनिर्भरता का विकास हो वह एक कर्मठ इन्सान बने तथा अपना पुर्नवास कर सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान किया गया है। जेल में बंदियों को व्यवसायिक कार्यकुशलता बनाने के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक ट्रेड वर्क में प्रशिक्षण देना शुरू किया गया है। म. प्र. जेल नियमावली नियम 1968 के नियम 64 (3) में लिखा है कि जेल अधिकारी को को चाहिये कि वह यह देखे कि किसी भी बंदी को क्या ऐसा कोई कार्य सिखाया जा रहा है कि जिससे मुक्ति उपरांत वह जीविकोपार्जन हेतु कुछ अर्जन कर सके।

संदर्भ

1. Anuja Ram, the prison system, Effectiveness and effects of prision custody Sahitya bhawan agra 1981
❖ A prisoner is a humen being “ the times of india (times weekly) vol. 3 No 47 may 27, 1973
2. म. प्र. जेल नियमावली नियम 1968 के नियम 64 (3)
3. डॉ. लाल जी मिश्र म. प्र. जेल की दशा और दुर्दशा 2002
4. जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क. एक 03-03/2012/3/जेल भोपाल 10 मई 2016
5. प्रिजन्स एक्ट (जेल अधिनियम 1894) किमिनॉलॉजी डॉ. डी एस बघेल
6. अपराधशास्त्र के सिद्धान्त – डॉ. श्यामधर सिंह सपना अशोक प्रकाशन वाराणसी 2005

नीरजा माधव के साहित्य में नारी की स्थिति

डा. निशा तिवारी, शोध निर्देशिका सेवानिवृत, प्राचार्य शा. मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर ज्योति यादवशोधार्थी (हिन्दी) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयरानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

शोध सारांश : अपने वैविध्यपूर्ण कृतियों से लगातार साहित्य-समाज को आश्वस्त करती कथा लेखिका डा. नीरजा माधव किसी भी विषय पर बिना हिचक अपनी बेबाक टिप्पणी देनेवाली अपने लेखन में अतीत के शाशवत् मूल्यों को सहेज कर भविष्य के हाथों में सौंप देने की छटपटाहट के साथ दिखाई पड़ती है।

नीरजा माधव ने अपने साहित्य की सभी विधाएँ चाहें वह कहानी हो या उपन्यास उन सभी में नारी की अलग-अलग भूमिकाओं का चित्रण अपनी साहित्यिक विधाओं में किया है। आधुनिक युग की नारी के साथ-साथ पारम्परिक व उत्तर-आधुनिक युग की नारी की विचारधाराओं को सम्मिलित किया है।

धर्म, राजनीति, संस्कृति से सम्बंधित राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय मुद्दों से अपने साहित्य विषय की जमीन तैयार करने वाली स्थूल रूप से देखने पर इनकी साहित्यिक हिन्दुत्वादी सोच और परम्परा की पोषक जान पड़ती है लेकिन ज्यों-ज्यों पाठक इसकी गहराई में उत्तरता है, इनके अर्थ स्वयं खुलते चले जाते हैं। सभी धर्मों के मूल सहज तत्व प्रेम, करुणा, और उदारता के लिए छटपटाहट के साथ अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिये बेचैन मन की अभिव्यक्ति पाठक को भी विन्तन के लिये विवश करती है।

भूमिका : हिन्दी गद्य का कम-बद्द इतिहास उन्नीसवीं शताब्दी से प्राप्त होता है।

गद्य के दोनों अंग कहानी व उपन्यास आठवें दशक की समाप्ति होते-होते इनमें जो रहमारहमी शुरू हुआ था वह आज इस उत्तराधुनिक युग में परिपक्वता प्राप्त कर चुका है। आज सामाजिक-शोषण हिंसा, अन्याय, दहेज आदि कितने ही विषय कहानी व उपन्यासों के माध्यम से पाठकों के पास पहुँच रहे हैं। आज के रचनाकारों ने महसुस किया है कि पूरा विश्व एक वैचारिक-बौद्धिक संकान्कि से गुजर रहा है। विश्वकथा साहित्य की तर्ज पर नारी चेतना के सशक्त तेवरों की अनुगूँज भी इधर के हिन्दी साहित्य में अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रकट हुई है। नारी-देह का जुलूस निकालती पुरुषवादी रतिक-दृष्टि के समानान्तर स्त्री लेखिकाओं का नारी-विमर्श नारी जीवन की गोपनीय सच्चाइयों व उन हादसों को वेपर्दा करता है, जो अपनी समस्त विकृति, कृत्स्व व अविश्वसनीयता के बावजूद भारतीय समाज का नगन व कूर यथार्थ है। इन्हीं सबके बीच नीरजा माधव का लेखन अपने हर कथा-साहित्य में कुछ न कुछ नया व समाज के सामने स्त्री को एक नये रूप व नयी सोच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

परिचय: डा. नीरजा माधव का जन्म 15 मार्च 1962 को जौनपुर जिले के कोतवालपुर (सरेमू) गांव में हुआ है। नीरजा माधव बचपन से ही बहुत मेधावी छात्रा थी। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गॉव के प्राइमरी विधालय में हुई उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वह बनारस आ गई। अंग्रेजी साहित्य में एम.ए.पी.एच.डी. और सितार में डिप्लोमा करने के बाद पूर्ण समर्पित भाव से हिन्दी साहित्य की सेवा में संलग्न डा. नीरजा माधव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर इस समय दूरदर्शन वाराणसी में कार्यक्रम अधिभासी के पद पर कार्यरत है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के अपने दायित्वों को निभाते हुये वह साहित्य सृजन में भी लगी हुई है।

इनका साहित्य आज के परिदृश्यों के साथ-साथ अपने संस्कृति व परम्पराओं का भी मान कराता है। उनकी कहानियों व उपन्यासों में स्त्री की स्थिति बहुत ही मजबूती के साथ दिखाई देती है। वह कहती भी है कि "मेरी कहानियों में मुख्य रूप से नारी पात्र ही प्रमुख है। हर उम्र की, हर वर्ग की नारी पात्र। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पुरुष पात्रों के प्रति मेरा रवैया उपेक्षात्मक है, बल्कि आज के समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ही इन नारी-पात्रों का सृजन हुआ

है। पुरुष—मानसिकता कही अवरोध है, तो कही सहयोगी भी बनी है मेरी कहानियों में। परन्तु केन्द्र—बिन्दु में नारी ही हैं। आज दया, प्रेम, करुणा संवेदना और अन्य मानवीय मूल्यों का समाज में तेजी से हास हो रहा है। न जाने कितने युद्धों महायुद्धों की विभिन्निकाएँ सामने आई हैं। नारी टूटती रहीं, जुड़तीरहीं, बिखरती रहीं, जूझती रहीं। परन्तु उसने अपने नैसर्गिक गुणों का त्याग नहीं किया। मेरी कहानियों में नारी की पीड़ा है; सन्त्रास है और विवशता भी परन्तु साथ ही एक विद्रोही तेवर ऐसी भी नारी पात्र है जो कभी—कभी महत्वकांक्षी हो जाती है मगर जैसे ही उन्हें अपने खोने का एहसास होता है वह पश्चाताप की आग में जलकर खरी हो जाती है।"

"साहित्य में चल रहें विभिन्न आन्दोलनों और बाद के प्रभाव से मैंने स्वयं को पूरी तरह से मुक्त रखने का प्रयास किया है क्योंकि नये प्रयोग या साहित्यिक चमत्कार से पाठकों को आकृष्ट करने का प्रयोजन मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा। मैंने आम लोगों की बात उन्हीं की भाषा शैली में आप सुधी पाठकों तक पहुँचाने की कोशिश की है। मेरे अधिकांश पात्र सामान्य वर्ग या निम्नवर्ग के हैं। उनकी सहज जीवन शैली है। छोटी—बड़ी स्वाभाविक सामाजिक समस्याएँ हैं जिनसे जूझना या मुक्त होने का प्रयास उनकी नियति है।"

नीरजा माधव के उपन्यास व कहानियाँ : नीरजा माधव जी के कई कहानियाँ व उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं जिसमें से गेशे जम्पा(2006) यमदीप(2009), तेष्य स्वधा(2009), ईहामृग(2010), अवर्ण महिला कांस्टेबिल की डायरी(2010), धन्यवाद सिवनी 2010 आदि उपन्यास हैं, उनकी अलग—अलग विषयों को लेकर रचा गया है। 'गेशे जम्पा' में तिब्बति शरणार्थियों की मार्मिक गाथा है तो 'यमदीप' में समाज से परिष्कृत उन किन्नरों के बारे में लिखा गया है जो हमारे समाज का अभिन्न अंग होने के बाबजूद वह हमसबसे कितने दूर व रहस्यमयी लगते हैं। 'तेष्यस्वधा' में ऐसी स्त्री को मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है जो कि भारत—पाकिस्तान के बैटवारे के समय कश्मीर में कबाइली हमले की शिकार हो जाती है वह बलपूर्वक पाकिस्तान ले जाई जाती है। और न चाहते हुये भी उसे वहाँ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है बाद में वह अपने बेटे के साथ भारत में आ गया में जाकर अपने घरवालों व उनके साथ मारे गये पच्चीस हजार शरणार्थियों का पिण्डदान पूरे विधिविधान के साथ करवाती है। 'ईहामृग' उपन्यास के केन्द्र में तथागत गौतम बुद्ध की दिव्य ऊर्जा से आव्लावित सारनाथ है। वर्तमान में सारनाथ वैश्विक विसंगतियों का एक छोटा सा प्रतीक बन चुका है। 'अवर्ण महिला कांस्टेबिल की डायरी' में एक दलित महिला का अपने आस—पास के वातावरण का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे वह डायरी का रूप दे उस पर विचार दृष्टि व अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुये बतलाया है। 'धन्यवाद सिवनी' उनके गुरु स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महराज पर आधारित है। इसी प्रकार उनकी कई कहानियों के संग्रह भी प्रकाशित हुये हैं जिनमें से अधिकांशतः नारी पात्रों को लेकर लिखे गये हैं—'चिटके आकाश का सूरज'(1997), 'अभी ठहरो अंधी सर्दी'(1998), 'पथ—देश'(2002), 'प्रेम संबंधों की कहानियाँ'(2003), आदि।

नीरजा माधव ने अपने लेखन से आज के घटते नैतिक जीवन मूल्यों और कठु होते मानवीय संबंधों को नये आयाम देने का प्रयास किया है। किसी भी समाज में वर्ग—भेद एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व समाज में विद्यमान रहेगा। उनके कहानियों व उपन्यास में यह स्पष्ट दिखता है। उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जितने भी चरित्रों को अपने पाठकों के सामने रखा है उससे निश्चित ही पाठक वर्ग के हृदय स्पन्दित होंगे।

नीरजा माधव के साहित्य की नायिकायें : नीरजा माधव के साहित्य में नायिकाओं का विशेष स्थान है, चाहे वह गेशे जम्पा की देवयानी हो, यमदीप की मानवी, तेष्य स्वधा की मीना, ईहामृग की सेरेना माडवेल उर्फ गौरी और अवर्ण कांस्टेबिल की डायरी की भवप्रीता आर्या। इन सभी ने अपने आस—पास के वातावरण पर अपनी पैनी नजर डाली। उस पर बहस भी किया और दुसरों के सामने वह क्या सोचती है इसे पूरे आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया।

देवयानी गेशे जम्पा में इस उपन्यास के नायक को हमेशा उनके संघर्षों को और तेज करने के लिये ललकारती है। यमदीप की मानवी पत्रकार होने के नाते समाज में स्त्री की दयनीय स्थिती पर लेखा लिखती है और किन्नर नाजबीवी के साथ उन भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाना चाहती है जो अपने ही समाज को खोखला करना चाहते हैं। तेष्य स्वधा की मीना बलात् कबीलाई द्वारा पाकिस्तान ले जायी जाती है। वहाँ उस पर ढेरो जुल्म होते हैं मगर वह अपना धर्म कर्म नहीं भूलती

और अपने बेटे द्वारा अपने स्वजनों का भारत आ पिण्डदान करवाती है। ईहामृग की गौरी अपने पिता के साथ भारत में शांति की खोज व हिन्दू धर्म पर रिसर्च करने आती है। और यहाँ के लोगों के अलग-अलग पंथ और नजरिये से वह इस फैसले पर पहुँचती है कि शांति की तलाश में भटकना उसी ईहामृग की तरह है। जो हमें कभी प्राप्त नहीं होती। अवर्ण महिला कांस्टेबल की डायरी में भवप्रीता आयी शिव की नगरी को अपने नजरिये से पढ़ने की कोशिस करती है।

किरदार भले ही अलग हो समय व परिदृश्य अलग हो मगर सभी नायिकायें अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ खड़ी हैं। वह अपने समाज को दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि अपनी नजरों से देखती है। अपने फैसले स्वयं करती है। अपने सम्भता और संस्कृति को बचाने का प्रयास वह हरदम करती है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. माधव नीरजा—(सामयिक प्रकाशन 2006), 'गेश जम्पा' पृष्ठ सं.160,
2. माधव नीरजा—(सुनील साहित्य सदन 2009)'यमदीप' पृष्ठ सं. 288
3. माधव नीरजा —(प्रभात प्रकाशन 2009), 'तेभ्यःस्वधा', पृष्ठ सं. 147
4. माधव नीरजा—(भारतीय ज्ञानपीठ 2010)'ईहामृग',पृष्ठ सं. 180
5. माधव नीरजा—(राधाकृष्ण प्रकाशन 2010)'अवर्ण महिला कांस्टेबिल की डायरी', पृष्ठ सं. 130
6. माधव नीरजा—(केतन प्रकाशन 1997), 'चिटके आकाश का सूरज' पृष्ठ सं. 120

नारी की पारिवारिक समस्याओं के निदान

श्रीमति प्रतिभा शर्मा, शोधार्थी

प्रस्तावना :- भारत में महिला को शक्ति स्वरूप माना गया है। भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं ने महिला को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। महिलाओं की विश्व आर्थिक रूपरेखा के अनुसार महिला जनसंख्या के 50 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं 30 प्रतिशत श्रम शक्ति के रूप में कार्य करती है। सच यह है कि शिक्षा मनुष्य को केवल समर्थ ही नहीं बनाती वरन् उसका सर्वांगीण विकास भी करती है, शिक्षा एक कुशल गृहणी और माता के रूप में अपना रंग दिखा सकती है आज यह कहा जा सकता है कि महिलाएं बौद्धिक श्रेय में बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, अवसर मिलने पर वह काफी आगे निकल सकती है।

महिलाओं के व्यक्तित्व बाह्य और आंतरिक विकास किसी भी समाज की प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मापदण्ड है। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया, जो 3 सितम्बर 1981 से प्रभावी हुआ। महिलाओं की अधिकारिता एवं सशक्तिकरण की सार्थकता उनके जीवन के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर ही निर्भर करती है, सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त माध्यम है, मूल्योंनुस्ख शिक्षा / महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय नारी के जीवन की उपलब्धियों से ही नहीं बल्कि उनमें निहित अंतिनिहित शक्तियों के परिष्कार और उनके संवर्धन सभी हैं, जो उनके आत्मिक विकास का माध्यम बनती है। महिलाओं के जब सशक्त होने की बात की जाती हैं तो उस समय यह प्रश्न हमारे समक्ष उत्पन्न होता है कि आखिर एक सशक्त महिला की संकल्पना क्या है, आज आवश्यकता है महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना रचनात्मक योगदान प्रदान करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी।

देश में पारिवारिक विवादों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। वैवाहिक जीवन की मधुरता कानूनों की कठोरता एवं न्यायालीन विधि प्रक्रिया में समाप्त होने लगी है। बड़ी मनोकामना से आयी बहु की दहेज प्रताङ्गना संबंधी शिकायत समस्त अरमान, कल्पनाएँ, सपने ध्वसत कर देती हैं। सास, ननद, भाभी आदि परिवार की महिलाएं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों का समाना करने विवश हो जाती हैं।

पुलिस का काम अपराधों पर नियंत्रण करना है परंतु परिवारिक विवादों की विवेचना, अभियोजन गिरफतारी में बहुत ज्यादा समय लगने से कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। न्यायालयों में भी पारिवारिक विवादों संबंधी विचारधीन प्रकरणों में अपार वृद्धि हो रहा है। पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र शीघ्र व प्रभावी न्याय सिद्धांतों के अनुरूप विचारधीन प्रकरणों में समझाता कराने अपना योगदान दे रहा है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक विश्वव्यापी समस्या है और विश्व की समस्त संस्कृतियाँ एवं देश इस समस्या से ग्रसित हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में महिलाओं पर की जाने वाली हिंसा के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अत्याधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इसका प्रमुख करण यह है कि जहाँ पहले महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा की मूक स्वीकृति की शिकायतें दर्ज की जाती थीं। महिलाओं पर बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए महिलाओं के हित में बनाए गए विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन रही है। पहरवार में होने वाले छोटे-मोटे, विवाद जिन्हें यदि समय पर नहीं सुलझाया जाये जो यह विवाद बढ़कर गंभीर रूप धारण कर लेते हैं परिणाम परिवार के विघटन के रूप में सामने आता है और प्रतिफल महिलाओं को विशेष रूप से भोगना पड़ता है। वैवाहिक विवाद को लम्बी कानूनी प्रक्रिया से सुलझाने में महिलाएं काफी कठिनाई का अनुभव करती हैं। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में परिवार परामर्श केन्द्र प्रांगम किये गये हैं। पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लेने पर आपसी समझौते की गुंजाई लगभग समाप्त हो जाती है। कटु घटनाक्रम परिवार की महिलाओं एवं बच्चों के लिये अत्यंत ही त्रासद स्थिति निर्मित करती है। पारिवारिक विवादों के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बदलता स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं।

पीड़ित पक्ष पुलिस थानों अथवा पुलिस अधिकारियों के स्थान पर स्वयं अथवा डाक द्वारा अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं। पारिवारिक व्यथा को सदस्यगण उसी समय सुनकर समस्त संभावनाओं पर विचार करके समाधान करने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक विवाद एवं वैवाहिक जीवन के कष्टों को भावनाओं एवं संवेदनाओं पर आधारित कार्यपद्धति अनुरूप संबंधी पक्षों की आपसी सहमति से सर्व स्वीकार्य समझौता कराया जाता है। पारिवारिक विवादों में आत्महत्या जैसे कठोर निर्णय करने पर विवश पीड़ित पक्ष को परामर्श केन्द्र में आशा की किरण दिखाई देती है।

परामर्शदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

आवेदक संस्था के पास सामाजिक समरसता एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। समाज कार्य/मनोविज्ञान में उपाधि(मास्टर डिग्री)। जिन परामर्शदाताओं के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है, लेकिन वे पांच से अधिक वर्षों से परिवार परामर्श केन्द्र में कार्यरत हैं तथा उन्होंने केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आयोजित अभियुक्तकरण प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कार्यक्रम में भाग लिया है, तो वे केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति :-

महिला सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित नीति 2009 के कुछ राष्ट्रीय महिला नीति का मुख्य लक्ष्य, महिलाओं की प्रगति, विकास एवं उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय महिला नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. सम्पूर्ण महिला विकास हेतु अनुकूल आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का निर्धारण करते हुए समुचित वातावरण सृजित करना जिससे महिलाएं अपने अन्दर विद्यमान क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम हो सकें।
2. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में पुरुष तथा महिलाओं को समस्त मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु कानूनी कदम उठाना।
3. राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में समानता के आधार पर महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. समानता के आधार पर महिलाओं की पहुंच तथा सभी स्तरों पर गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार, समान मजदूरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करना।
5. कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना ताकि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति हो सकें।
6. पुरुष एवं महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना जिससे जेण्डर संबंधी, सामाजिक सोच एवं सामुदायिक व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाया जा सकें।
7. महिलाओं के दृष्टिकोण को विकास प्रक्रिया में समाहित करना।
8. महिला तथा बालिका के प्रति सभी प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव को समाप्त करना।
9. महिलाओं, पुरुषों विद्यार्थियों, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं, संस्थाओं, संस्थानों, विभागों व महिला संगठनों की सहभागिता से महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने का विशेष प्रयास करना।

वर्तमान में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये संचालित योजनाएँ :-

वर्तमान में महिलाओं के लिये संचालित योजनाएँ, महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु “समेकित बाल विकास योजना” तथा आर्थिक विकास हेतु “ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम” प्रारंभ किया गया। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वसहायता समूहों के माध्यम से उनके सशक्तिकरण का उपाय किया जा रहा है,

महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करने लिए पहली बार 5 स्त्रीशक्ति पुरस्कार वितरित किए गए। महिला सशक्तिकरण के लिए “स्वयंसिद्ध” नामक एक समेकित योजना प्रारंभ की गई है। जिसका लक्ष्य भी स्व-सहायता समूहों द्वारा सशक्तिकरण करना है, कामकाजी महिलाओं के लिए “डकेयर सेंटर” युक्त 29 होस्टलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। जिनसे 61,564 महिलाएं लाभान्वित होंगी, समेकित बाल विकास योजना को 4,388 विकासखण्डों से बढ़ाकर अगले वर्ष के अंत तक 5,000 विकासखण्डों में लागू किया जाएगा। प्रसव पश्चात् 600 रु. की अनुग्रह राशि बालिका के नाम से बैंक में जमा करने के लिए “बालिका समृद्धि योजना” में संशोधन किया गया है।

महिला स्वंसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :-

ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी कार्य किया जा रहा है, अभी तक 22 लाख समूहों का बैंको से जोड़ा जा चुका है, सरकार का इरादा है कि आगामी 5 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की 50 प्रतिशत महिलाओं को इन समूहों के अन्तर्गत लाया जाए तथा इन्हें बैंको से जोड़ा जायें। गरीब महिलाओं को सूक्ष्म वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला घोषणा प्रभावशाली कार्य कर रहा है इस कोर्स का कोपर्स कुछ वर्षों में 100 करोड़ रुपये करने का सरकार का इरादा वर्ष 2009–10 के बजट में स्पष्ट किया गया है। 8 मार्च 2009 तक इस योजना के तहत 34 लाख स्वरोजगार समूह गठित किए जा चुके हैं और 020.98 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से सहायता प्रदान की गई हैं वर्ष 2009 के बजट में इस योजना के तहत 2350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

आधुनिक युग में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

गरिमा छाबड़ा, शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

प्रस्तावना —पुस्तकालय ज्ञान का वृहत भण्डार होता है। इसकी स्थापना ज्ञान के प्रसार एवं ज्ञानार्जन हेतु की जाती है। पुस्तकालन की बुनियादी भूमिका सूचना स्त्रोत सूचना स्त्रोत एकत्रित करना है, ताकि यह समाज के सभी वर्गों को समान रूप से नवीनतम सूचनाएं प्रदान कर सके। पुस्तकालन के कियाकलापों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने तथा समुचित विकास के लिए पुस्तकालन वैज्ञानिकों पे पुस्तकालय विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसमें डॉ. एस. आर. रंगनाथन का योगदान सराहनीय है। आधुनिक युग में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एक विषय के रूप में भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में अध्ययन—अध्यापन का प्रमुख विषय बन गया है। आज पुस्तकालय पाठ्य सामग्री के आदान—प्रदान का केन्द्र नहीं रह गया है। बल्कि आधुनिक पुस्तकालय सूचना एवं प्रोत्साहन सूचना एवं प्रलेखन सेवा केन्द्र के रूप में जाना जाता है। पुस्तकालय का स्वचालीकरण होने से सूचना—प्रचार एवं प्रसार में क्रान्तिकार परिवर्तन आ चुका है।

पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था हैं जो समाज के कल्याण में निरंतर कार्य करती रहती है। पुस्तकालय ज्ञानी तथा अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करता है। हमारे देश में विद्यादान के कार्य को श्रेष्ठ माना जाता है। यह श्रेष्ठ दान पुस्तकालय ही कर पाते हैं। ग्रन्थालय सभी आमजनों को आजीवन शिक्षा प्रदान करते हैं कोई भी व्यक्ति ग्रन्थालय से जीवन पर्यन्त ज्ञान का अर्जन कर सकता है। चूंकि ग्रन्थालय सभी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, विकलांग आदि लोग बिना शिक्षक के एक शैक्षणिक संस्था के समान ज्ञान देता है। अतः ग्रन्थालय को एक शिक्षक भी कहा जा सकता है। ग्रन्थालय विद्या प्रदान करने वाले अथाह सागर होते हैं। आधुनिक युग में पुस्तकालय शैक्षणिक जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रन्थालय एक सामाजिक संस्था होते हैं जिनके सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रबंध का विशेष महत्व देता है। प्रबंध करने वाले व्यक्ति को प्रबंधक कहा जाता है। पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष ही प्रबंधक होते हैं।

व्यवसायिक क्षेत्र में भी पुस्तकालय का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अतिरिक्त समाज में सामाजिक एवं आर्थिक सूचनाओं को एकत्रित करना पुस्तकालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यही नहीं बल्कि पुस्तकालय मनोरंजन प्रलेख और अन्य प्रकार के प्रलेखों का भी संग्रह करते हैं। पुस्तकालय प्रत्येक व्यक्ति को अपने सार्वग्रिण विकास के लिए अवसर देता है। पुस्तकालय के आधार पर ही देश की संस्कृति और सभ्यता का मूल्यांकन किया जाता है।

भारत वर्ष में पुस्तकालय का प्रचलन प्रारम्भिक काल से ही रहा उन दिनों आचार्यगण श्रुति के माध्यम से विधार्थियों को शिक्षा देते थे तथा ताड़पत्र, ताम्र पत्र, शिला लेख, भोज पत्रों आदि पर लिखकर संग्रहित करके पुस्तकालयों का स्वरूप तैयार किया जाता था प्राचीन नगरों के विध्वंस जो खुदाई में मिले सबूतों से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में भी पुस्तकालय स्थापित थे। सातवीं शताब्दी साहित्य एवं शिक्षा की दृष्टि से भारत को स्वर्ण युग में गिना जाता है। जिसके अंतर्गत नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों में वृहद पुस्तकालय स्थापित किये गये थे, मध्यकाल एवं मुगलकाल में भी पुस्तकालयों के स्वरूप का वर्णन मिलता है। ग्रन्थालय वह स्थान है जहां पुस्तकें अध्ययनार्थ संग्रहित की जाती थी लेकिन आज ग्रन्थालय पुस्तकों के संग्रह करने तक ही सीमित नहीं रह गये हैं बल्कि आज ये विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न स्वरूपों में ज्ञान—सामग्री का संग्रह करते हैं। वास्तव में अब ग्रन्थालय अपने संकलन सेवाओं तथा कार्यों के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों से स्थापित किए जाते हैं।

चूंकि देश के अंदर यदि हम पुस्तकालयों को विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों के आधार पर विभाजित करें तो वह तीन प्रकार का होता है।

1. सार्वजनिक ग्रंथालय
2. शैक्षणिक ग्रंथालय
3. विशिष्ट ग्रंथालय

ग्रंथालयों की पृष्ठ भूमि मुख्य रूप से पुस्तक एवं अन्य सूचनाओं का संग्रह एवं उनका विकास हो रहा है। इसी आधार पर अनेक पुस्तकालयों के कार्यों एवं सेवाओं का विभाजन किया गया है। पुस्तकालय लघुशोध के अंतर्गत, प्रार्थी द्वारा पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की सेवाओं का समीक्षात्मक अध्ययन है जो विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में आता है।

यदि हम विशिष्ट पुस्तकालयों के संदर्भ में चर्चा करें तो इस पुस्तकालय के अंतर्गत वह सभी पुस्तकालय आते हैं जो विशिष्ट प्रकार की पाठ्य सामग्री का संकलन कर तथा उन्हीं की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये ग्रंथालय एवं किसी पैत्रिक संस्था से जुड़े होते हैं और उन संस्थाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सेवाओं का तथा सूचनाओं का संग्रहण तथा पुर्नप्राप्ति का कार्य करते हैं।

किसी विशिष्ट विषय अथवा क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं की मांग की पूर्ति करने वाले ग्रंथालय किसी पैतृक संस्था के ग्रंथालय होते हैं तथा वे पैतृक संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये ही स्थापित एवम् संचालित किये जाते हैं। इस प्रकार पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के ग्रंथालय किसी विशिष्ट विषय के अनुसंधान एवम् विकास को सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित एवम् संचालित किये जाते हैं।

विशिष्ट ग्रंथालयों का प्रादुर्भाव 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। ये नवीन प्रकार के ग्रंथालय थे जो अन्य प्रकार के ग्रंथालयों से उद्देश्यों, कार्यों, सेवाओं तथा अध्ययन सामग्री को संग्रहित एवम् व्यवस्थित करने की नवीन विधियों में बिल्कुल भिन्न थे। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ होने के बाद के कई वर्षों में व्यापार एवम् उद्योगों के क्षेत्र में विश्व में बड़ी तीव्रगति से वृद्धि हुई एक बहुत बड़ी संस्था में सरकारी प्रतिष्ठान स्थापित किए गये जिनमें साथ-साथ उनके ग्रंथालय भी स्थापित किये गये जिससे इन ग्रंथालयों की संख्या में वृद्धि होने लगी। प्रथम एवम् द्वितीय विश्व युद्ध ने इस बढ़ती हुई विकास की प्रक्रिया को रोक दिया। लेकिन फिर शोध एवम् विकास कार्यक्रमों में जागृति आई जिससे शोध एवम् विकास कार्यक्रम संस्थाओं के रूप में विकसित एवम् परिवर्तित होते गये। जिससे विशिष्ट ग्रंथालयों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी तथा इनके द्वारा प्रदत्त नवीन सेवाओं में भी विकास दिखाई देने लगा। अमेरिका की तरह ही यूरोप तथा विश्व के अन्य बहुत से विकसित देशों में विशिष्ट ग्रंथालयों का विकास होने लगा। बहुत से राष्ट्रों ने अपने अनुसंधान संगठनों तथा प्रतिष्ठानों में विशिष्ट ग्रंथालय स्थापित किये। हमारे देश भारत में भी विशिष्ट ग्रंथालयों की वृद्धि एवम् विकास पश्चिमी देशों के समानान्तर ही हुआ है।

किसी विशिष्ट ग्रंथालय के सभी क्रियाकलाप सूचना सेवाओं के दो मौलिक प्रकारों से प्राप्त होते हैं जो उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। वास्तव में सूचना प्रदान करने के लिये ही विशिष्ट ग्रंथालयों का अस्तित्व होता है। प्रथम सेवा उपयोगकर्ताओं की सूचना की मांग के उत्तर में प्रदान की जाती है तथा दूसरी सूचना मांग के पूर्व ही प्रदान की जाती है जिसमें अनुक्रमणिका, सारकरण सेवाएं सम्मिलित होती हैं जो उपयोगकर्ताओं को नवीन एवम् सामयिक सूचना के परिपूर्ण करने के लिए तैयार की जाती है।

विशिष्ट ग्रंथालयों के संग्रह जो, अपनी सूचना सेवाएं प्रदान करने में क्रियाशील होते हैं तथा सामयिक सूचना एवम् पूर्वव्यापी अध्ययन सामग्री पर बल देते हैं संगठनों के द्वारा प्रायोजिक प्रोजेक्ट तथा प्रोग्राम के आधार

पर निर्धारित किये जाते हैं। इन ग्रंथालयों में पराम्परागत रूप में उपलब्ध अध्ययन सामग्री में जैसे – पुस्तकें, जर्नल्स, शोध एवम् तकनीकी रिपोर्ट्स आदि के अतिरिक्त पेटेन्ट्स, स्पेसीफिकेशंस व्यापारिक रिकार्ड्स, समाचार पत्रों की कतरन आदि भी संग्रहित की जाती हैं।।

किसी विशिष्ट ग्रंथालय में साधारण प्रकार के संदर्भ प्रश्नों उत्तर से लेकर अनुसंधान के लिए प्रदत्त सूचना सेवाओं तक इसका सेवा क्षेत्र होता है। उपयोगकर्त्ताओं की सामान्यतया अनुसंधान के लिए साहित्य की खोज करने में उनके द्वारा किए गये प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है। सूचना की माँग की पूर्ति करने में तथा उन्हें सर्वाधिक उपयोग फार्म में परिवर्तित करने के लिए सूचना विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाती है। कुछ विशिष्ट ग्रंथालय अनुवाद सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार अधिकांश विशिष्ट ग्रंथालयों में ग्रंथालय कर्मचारियों तथा उपयोगकर्त्ताओं के मध्य ग्रंथालय की सेवाओं से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक घनिष्ठ सम्बद्धता स्थापित होती है।

ग्रंथालयों में पाठ्य सामग्री का सूचीकरण

रश्मि मिश्रा, शोधछात्रा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

प्राचीन समय में ज्ञान प्राप्त करने तथा ग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार सीमित लोगों को ही था उसका कारण ग्रंथ हाथ से लिखा जाना था। ग्रंथालयों में उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। समय और परिस्थितियों के साथ ग्रंथ उत्पादन में क्रांति आ गई है। इस कारण से पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार द्वितीय से हुआ है तथा दूसरी तरफ अपुस्तकीय पाठ्य सामग्री द्वारा पुस्तकालय सेवाएं भी प्रचुर मात्रा में दी जाने लगी हैं।

ग्रंथालय सेवा की अवधारणा में भी परिवर्तन हो गया है। अब ग्रंथ सुरक्षार्थ न होकर अध्ययनार्थ हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार “किसी ग्रंथालय का महत्व उसमें एकत्रित ग्रंथों की अपेक्षा पाठ्य सामग्री को उपादेय बना देने की क्षमता से निर्णीत होता है।” आज किसी ग्रंथालय की सफलता का मापदण्ड इसमें संग्रहित पाठ्य सामग्री का आकार न होकर ग्रंथालय द्वारा प्रदत्त सेवाएं हैं। यहीं कारण है कि आधुनिक ग्रंथालय में पाठकों को सर्वोपरि मानते हुए उसके सभी प्रकार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पाठ्य सामग्री तत्काल प्रदान की जा सके इसके लिए पुस्तकालय पाठ्य सामग्रियों का वर्गीकरण तथा सूचीकरण करता है। पाठ्य सामग्री को खोजने तथा सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सेवा के रूप में संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है। अध्ययन तथा अनुशीलन के लिये उचित वातावरण तथा सुविधा सेवाएं प्रमुख हैं।

मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में अधिकांश पुस्तकालय 10:30 से 5:30 बजे तक ही खुले रखे जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में पुस्तकालयों के समय में वृद्धि का प्रावधान रखा गया है जैसे कि परीक्षा या विशेष पुस्तकालयीन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रखने का प्रावधान किया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के तीन विश्वविद्यालय में डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर तथा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे रखा गया है। यह व्यवस्था तर्दी है शेष विश्वविद्यालय निर्धारित कार्यालय समय में ही खुलते एवं बंद होते हैं।

तकनीकी कार्य —पुस्तकालय में पुस्तकों के अर्जन के पश्चात् पुस्तकों को व्यवस्थित क्रम प्रदान करने के लिये प्रत्येक को विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तकों का वर्गीकरण तथा सूचीकरण का कार्य किया जाता है।

वर्गीकरण —विभिन्न विषयों के ग्रंथों को व्यवस्थित करने हेतु कुछ वर्गीकरण पद्धतियां उपयोग में लाई जाती हैं जिनमें प्रमुख रूप से दशमलव वर्गीकरण पद्धति आदि है। कोई भी पुस्तकालय अपनी आवश्यकतानुसार संगठनात्मक योग्यता के आधार पर इन वर्गीकरण पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति को अपनाता है। मध्यप्रदेश के सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय में ड्यूबी दशमलव वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है।

इसके द्वारा पाठ्य सामग्री के विषय का निर्धारित वर्गांक तथा ग्रंथाक का निर्धारण कर दिया जाता है जिससे पुस्तकालय सेवाएं कम समय में तथा प्रमाणिक दी जा सकती हैं।

सूचीकरण —जहां एक और वर्गीकरण पुस्तकालय को अलमारियों में ग्रंथों की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाता है। वही सूचीकरण किसी ग्रंथ के लिये पाठकों के विभिन्न प्रकार की मांगों को संतुष्ट करता है। सूचीकरण की अनेक पद्धतियां हैं, जिसमें एएल कोड, क्लासीफाइड केटलॉग कोड, ए.ए. सी. आर. आदि हैं। इनमें से किसी एक पद्धति को ग्रंथालयों में पाठ्य सामग्री के सूचीकरण के लिये अपनाया जाता है। वर्तमान में सभी पुस्तकालय पाठक की आवश्यकतानुसार सूचना अंकित कर सूची तैयार की जाती हैं वास्तव में इस प्रक्रिया पुस्तकालय सेवा के अंतर्गत पाठकों के द्वारा लेखक आख्या विषय इत्यादि में से किसी एक की जानकारी होने पर तत्काल सेवा दी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में वर्गाकार एवं सूचीकार के पद रिक्त होने या पद स्वीकृत न होने के कारण यह कार्य या तो अप्रशिक्षित कर्मचारियों से कराया जाता है जिससे ये कर्मचारी विषयानुसार पुस्तकें अलमारियों में व्यवस्थित तो कर देते हैं परंतु उसकी सूची का निर्माण नहीं कर पाते।

आदान—प्रदान सेवाएं – पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री को पाठक तक पहुंचाने का कार्य पुस्तकालय की आदान—प्रदान सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है। इस कार्य की पुस्तकालय के आदान—प्रदान विभाग द्वारा करने की परम्परा रही है आज जब पुस्तकालय सूचना केन्द्र के रूप में विकसित किये जा रहे हैं। तब भी पुस्तकालय को आदान—प्रदान सेवा अत्याधिक विस्तारशील तथा उपयोगी सेवा के रूप में विस्तारित किया जा रहा है।

ग्रंथालय वर्धनशील संस्था हैं इसमें आदान—प्रदान पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो ग्रंथालय में पाठकों की बढ़ती हुई संख्या के साथ भी ठीक प्रकार से कार्य कर सके। पुस्तकालयों में आदान—प्रदान पद्धति अपनाने के लिये निम्नलिखित विधियां प्रतिपादित हैं पहला पंजी प्रणाली दूसरा अस्थायी पर्ची प्रणाली तीसरा उमी प्रणाली चौथा पत्रक प्रणाली पांचवा टोकन निर्गम प्रणाली एवं छठवा स्व निर्गम प्रणाली।

एक आदर्श आगम—निर्गम प्रणाली में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है पहला शीघ्रता, दूसरा सस्तापन, तीसरा सरलता, चौथा स्थानीय आवश्यकता के साथ तालमेल उपयुक्त बातों के आदर्श पद्धति में निम्नांकित सूचनाएं भी आसानी से प्राप्त की सके। पहला प्रत्येक दिन कितनी पुस्तकें निर्गमित हुई प्रत्येक पुस्तकें निर्गमित हुई। प्रत्येक पुस्तक के वापस होने की तिथि तक जो पुस्तकें वापस नहीं आ सके तब उसके लिये आवश्यक कार्यवाही भी की जा सके।

संदर्भ सेवा –संदर्भ सेवा एक मानवीय प्रक्रिया है। पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत संदर्भ सेवा एक शाखा के रूप में जानी जाती है। पुस्तकालय में तकनीकी विधियों का प्रयोग कर पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित किया जाता है।

पाठक इन तकनीकी विधियों से अनभिज्ञ होते हैं अतः इन विधियों को पाठकों को समझाने अध्ययन तथा अनुसंधान में सहायता पहुंचाने आदि के लिये पुस्तकालय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिस कर्मचारी द्वारा यह कार्य सम्पादित करया जाता है। इस संदर्भ में प्रो.एस.आर. रंगनाथन का मत है कि संदर्भ सेवा पुस्तक और पाठक के मध्य संपर्क स्थापित कराने की एक प्रक्रिया है संदर्भ ग्रंथावलयी के पास महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथों का संग्रह दूरभाष तथा उनको रखने के लिये आवश्यक ग्रंथागारों आदि का प्रबंध होना चाहिए। उसके पास उर्ध्वाधर फाईल कैबिनेट भी होना चाहिए। संदर्भ विभाग के गठन से संबंधित दो ही तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं पहला उचित संदर्भ ग्रंथों का संग्रह। दूसरा संदर्भ सेवा के लिए उचित कार्मिकों का चयन तथा प्रशिक्षण।

परिचालन –परिचालन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कार्य की प्रकृति के कारण जो कि परिचालन में प्रभावी है इसे स्वचालित किये जाने की आवश्यकता है। परिचालन में पुस्तकालय सामग्रियों के आदान—प्रदान, आरक्षण, सारिष्यकी, समय पर न वापस सामग्रियों के लिये स्मरण पत्रों को भेजना आदि शामिल है।

**पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं
तो 'सादा जीवन उच्च विचार' की ओर लौटना होगा**

सुनंदा बाजपेई, शोधछात्रा, जबलपुर

“कुछ वस्तुओं का गलत समय पर, गलत मात्राओं में तथा गलत स्थानों पर पाया जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है।” वर्तमान काल में बढ़ती हुयी आबादी, कृषि, औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, वन्य जीवों का संहार तथा पर्यावरण-परीक्षणों से पर्यावरण-संतुलन बिगड़ गया है, इससे न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व भयाक्रान्त है, नाना प्रकार की गैसें-कार्बनडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, डीजीटी, विकिरण, सीसा, तेल, पारा, फास्फेट आदि। ये प्रदूषण से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक विकास को क्षति पहुंच रही है, जिससे वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है।

पर्यावरण-समस्या वास्तव में हमारे दोषपूर्ण रहन-सहन का ही परिणाम है। कृत्रिमतापूर्ण रहन-सहन, आकाश में बढ़ता हुआ आधुनिक वाहन, मशीनों का शोर, चिमनी तथा वाहनों के द्वारा छोड़ा जाने वाला धुआँ, जहरीले अपशिष्ट पदार्थों ने जल और पृथ्वी को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। प्रकृति के वशीकरण के प्रयास, ब्रह्माण्डको विघटन की ओर ले जा रहे हैं। जीवनदायक वायु प्रदूषण के कारण जीवनघातक हो रही है, अमृततुल्य जल विषतुल्य बनता जा रहा है।

ओडमानुसार— “वातावरण के अथवा जीवमण्डल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है।”

माघ प्रदूषण की ओर संकेत करते हुए कहते हैं—

“प्रक्षालनाद्वि पड़कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्”

अर्थात् पैर को कीचड़ में सानकर फिर उसे धोने से अच्छा है कि पैर में कीचड़ लगने ही न दिया जाए।

आधुनिक विकास के चिन्तक मानते थे कि प्रकृति के पास उनके उपयोग को सतुष्ट करने हेतु अक्षुण्ण भण्डार हैं और मानव उनका जितना चाहे, जैसा चाहे उपयोग, विदोहन और यहां तक कि शोषण कर सकते हैं, साथ ही वे यह भी मानते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ भी उपलब्ध है 'मानव के उपभोग के लिए है।

न्यूटन का उद्धरण इसे और पुष्ट करता है—

‘सारी पृथ्वी उसे एक सन्तरे की तरह नजर आती है उसकी इच्छा होती है कि इसे निचोड़कर पी जाए।’

वास्तव में प्रकृति के प्रति ऐसी भावना ने ही प्रदूषण को जन्म दिया जिससे सारा विश्व इस समस्या की चपेट में है तथा प्राकृतिक आपदाओं का ग्रास बना जा रहा है।

पर्यावरण प्रदूषण को वर्गीकृत करना कठिन है अध्ययन की सुविधानुसार प्रदूषण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है—

प्रदूषण के प्रकार

भौतिक प्रदूषण

सामाजिक प्रदूषण

स्थल प्रदूषण
 आर्थिक प्रदूषण
 जल प्रदूषण
 धार्मिक प्रदूषण
 राजनीतिक वायु प्रदूषण, मानवीय प्रदूषण(दंगा, युद्ध)
 सामाजिक प्रदृष्ण (आतंकवाद, चोरी डकैती)

जब मानवीय स्वभाव सीमा का संक्रमण करता है, तो पर्यावरण का हँस हो जाता है। स्कीबर इस प्रक्रिया को समझाते हैं—

land use

Empairement of other Requirements

Environmental Damage

Impaired land use

पर्यावरण के प्रदूषण के मुख्य कारण वन विनाश, कृषि विकास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अत्याधिक पशुचारण, निर्धनता का प्रभाव, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, भौतिकवादी संस्कृति की प्रधानता, संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, तीव्र यातायात व्यवस्था, अनियोजित विकास, आधुनिक औद्योगिकीकरण आदि जिसके फलस्वरूप पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति बनती है जैसे— बाढ़—सूखा, भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, जलवायवीय व्यतिक्रम, भूकम्प और भूस्खलन, बीमारी और महामारी चक्रवात और तूफान, ज्वालामुखी आदि।

प्रकृति का नियम है देते रहना। ग्रीष्म में सूर्य पृथ्वी के समस्त रस को सोख लेता है वर्षा ऋतु में उसी को लौटा देते हैं विभिन्न प्रकार की गैस से वायु प्रदूषित हो गयी है। पृथ्वी के जीवों के लिए सर्वप्रथम स्वच्छ वायु आवश्यक है जिससे जीवन की शुरुआत है, इसके बाद जल। जल से ही अन्न उत्पन्न होता है, बिजली का उत्पादन, जीवों को संतुष्टि, आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि कार्य जल से ही संभव है। जल को ही प्रदूषित करने में मानव भर संभव प्रयासरत है।

जल का मुख्य स्रोत नदी है, नदी में जलीय जीवों का जीवन है। नदी से धीरे—धीरे मछली, सांप, मगरमच्छ आदि का जीवन तो प्रदूषण के कारण नष्ट होने की कगार पर है। नदी के जीव—जन्तु, पौधे गंदगी को बहुत कुछ रोकते हैं किंतु आज शहरों का गंदा पानी सीधे नदियों में गिर रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है और जलीय जीव इससे खत्म हो रहे हैं। पृथ्वी का 75 प्रतिशत भाग जल से धिरा है। समुद्र में कुल मात्रा का 92.2 प्रतिशत भाग जल है 2 प्रतिशत भाग बर्फ बना हुआ है। जीवों के उपयोग के लिए सिर्फ 0.8 प्रतिशत जल ही उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या जल समस्या का प्रमुख कारण है, इसके साथ उद्योगों का विकास नदी के किनारे ज्यादा हुआ है क्यों कि इन्हें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इससे निकला अपशिष्ट पदार्थ तथा अन्य गंदगी प्रदूषण बढ़ाता है। कृषि में कीटनाशक रासायनिक खाद्य से मिली मिट्टी बरसात में बहकर नदियों में मिलती है, इन प्रदूषण से नदी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, जिससे जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं।

नदी प्रदूषण—

मानव संस्कृति एवं सभ्यता का इतिहास बनाने वाली है धरती पर अविरल बहने वाली नदियां ही हैं। इन्हीं के तट पर सभ्यता का विकास हुआ है, किंतु आज कैसा दुर्भाग्य है, जिन सरिताओं ने मनुष्य का संस्कार किया, जीवदायिनी, जननीतुल्य संरक्षण और जीवनदान दिया, उन्हीं को मनुष्य ने गंदा किया, प्रदूषित कर रहा है। राज्य के प्रमुख नगरों जैसे— इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर आदि से जो गंदे नाले निकलते हैं, वे पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख समस्याएं हैं। उनसे न केवल स्थानीय अपितु, व्यापक स्तर पर समूचे देश का पर्यावरण प्रदूषित होता है इसे ऐसे

समझसकते हैं— इंदौर के घरों का गंदा पानी खान नदी में गिरता है। खान नदी उस गंदगी को गंभीर और क्षिप्रा नदी में डालती है। क्षिप्रा नदी चम्बल से मिलती है। चम्बल जाकर यमुना से संगम करती है, यमुना गंगा में मिलती है। इस तरह प्रदूषण का यह चक्र पूरे देश और विश्व को अपनी चपेट में ले लेता है।

नर्मदा प्रदूषण —

अमरकण्टक से नर्मदा का उद्भव कुण्ड से हुआ, वहां अत्यंत गंदगी है। अमरकण्टक में आश्रम तथा मंदिर के निर्माण से वहां का प्राकृतिक सौंदर्य छिन्न-भिन्न हो रहा है। नर्मदा के पथ—प्रवाह में गंदगी ने उसे धेर रखा है। नर्मदा अमरकण्टक की घाटी के भीतर केवल प्राकृतिक सम्पदा का अनवरत दोहन अथवा औद्योगीकरण की प्रवृत्ति ही नर्मदा प्रदूषण के कारण नहीं है बल्कि गंदगी या गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था का न होना भी एक मुख्य कारण है। यह नर्मदा तट पर बसे हर कर्बे या नगर का हाल है। नर्मदा अमरकण्टक की घाटी के भीतर अन्तः सलिल के रूप में विद्यमान है और अमरकण्टक के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, नर्मदा के विनाश को आमंत्रण है। अन्तः स्रोतों के एक बार सूख जाने के बाद सहस्र वर्षों तक वे फिर वहां नहीं फूटते। अतः नर्मदा की रक्षा के लिए अमरकण्टक का प्राकृतिक वैभव भी अक्षय रहना चाहिए।

डिण्डोरी बस स्टेण्ड के पीछे नर्मदा तट की गंदगी सीधे नर्मदा में बहाई जाती है। नर्मदा के किनारे मण्डला में भी 10–12 नालों का गंदा पानी सीधे नर्मदा में मिलता है। यहीं स्थिति जबलपुर जैसे महानगर की है। प्राचीन समय में यहां जाबालि ऋषि का आश्रम रहा, जहां नर्मदा प्रकृति के प्रागंग से उछलती—कूदती प्रवाहित होती थी किंतु आज नर्मदा तट पर अतिक्रमण कर सीढ़ियों तक को गायब कर दिए हैं। मंदिरों का निर्माण कर नर्मदा के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। रेत निकासी ने नर्मदा के जल शुद्धिकरण क्षमता का हरण कर लिया है। यहां गंदे नालों का दुर्गन्ध्युक्त पानी सीधे नर्मदा में गिरता है। सोकपिट बनाने के बजाय पाइप लाइन द्वारा नर्मदा में आसानी से गंदा पानी पहुंच रहा है।

होशंगाबाद में कोरीघाट एवं सेठानीघाट के बीच एक नाले द्वारा पूरे शहर का गंदा पानी नर्मदा में गिरता है जिस स्थान में गंदा पानी गिरता है। औद्योगिक नगर बड़वाह उसके समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र प्रदूषण के धेरे में आ गए हैं। नगर के पूर्वी तरफ शराब कारखाना, उत्तर में चूना उद्योग दक्षिण में एनकॉक्स संयंत्र ने यहां के वातावरण को प्रभावित किया है। शराब कारखाने से निकलने वाला गंदा पानी चोरल नदी में गिरता है। चोरल उसे नर्मदा में गिराती है। इस पानी के प्रयोग से चर्मरोग की शिकायत आई है। भरूच में बड़ी गंदगी है। शहर की सारी गंदगी नर्मदा में गिरती है। अकलेश्वर पेट्रोकेमिकल्स कारखाने की गंदगी नर्मदा में आती है।

नर्मदा की सहायक नदियां इसकी जान हैं, इनके बिना नर्मदा की कल्पना नहीं की जा सकती। सहायक नदियों की संख्या काफी बड़ी है जिनमें 41 प्रमुख हैं। इनमें से 19 नदी उत्तरी तट से तथा 22 नदी दक्षिणी तट से आकर नर्मदा में मिलती हैं। इनकी गंदगी भी भरपूर मात्रा में नर्मदा में मिलती है। नदियां छोटे—बड़े प्रपात बनाकर तेज गति से बहकर प्रदूषण को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखती हैं किंतु जब इनमें बांध बनाया जाता है तो इनकी गति में अवरोध उत्पन्न होता है और ये विशाल तालाब के रूप में दिखने लगती हैं। रुके हुए पानी में अधिक प्रदूषण रहता है। नर्मदा पर इतने बड़े—बड़े बांध बनने के बावजूद भी अभी नर्मदा में गंगा—यमुना जैसे प्रदूषण नहीं है किंतु यदि यदि ध्यान नहीं दिया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

जिस दिन मनुष्य संस्कृति से विकृति की ओर अग्रसर हुआ। उसी दिन पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गयी। वन से तपोवन या उपवन बनाने की बजाय उसने वनों का विनाश करना प्रारंभ कर दिया, उन लालची मनुष्यों को जंगलों में हरे—भरे वृक्ष अच्छे नहीं लगते, उनके लिए जंगलों के सीमित वृक्षों की तुलना में स्वयं के मालगोदाम में रखे हुए मृत पेड़ों के ठूठ ज्यादा प्यारे लगते हैं। मनुष्य संपूर्ण प्रकृति को उजाड़ कर फेंक देना चाहता है। ताकि स्वयं धनवान बने। आधुनिक परिवेश में संपूर्ण पर्यावरण मनुष्य से प्रभावित हो रहा है। वृक्षों के ह्लास से

प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। मनुष्य और प्रकृति के मध्य संतुलन होना विकास, और संतुलन बिगड़ना ही विनाश है। ऐसे में प्राणवायु का संकट बनना स्वभाविक है। यदि प्राकृतिक विनाश का ताण्डव ऐसे ही चलता रहा तो शुद्ध वायु मिलना दुर्लभ हो जाएगी, वर्षा कम, सूखा पड़ेगा, सभी परेशानी को देखने के बाद भी मनुष्य वन विनाश करने में अग्रणी बना हुआ है। जनसंख्या बढ़ेगी तो कारखाने बढ़ेंगे इनसे धरती पर आच्छादित वृक्षों को काटना प्रारंभ किया जाएगा, जिससे प्रकृति पर असंतुलन स्थापित हो जाएगा और यहीं से जन्म होता है प्रदूषण का। जैसे— बढ़ते नगरीकरण के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी होती है, नगरों की वृद्धि से समीपस्थ नदी में क्षेत्रों में बाढ़ समस्या, पक्की सड़कें, कंक्रीटों के जंगलों के कारण जल रिसाव भूमि में नहीं हो रहा है जिससे भूमिगत जल की क्षति पूर्ति नहीं पा रही है। विसर्जित मल, कूड़ा—करकट, प्रदूषित जल विसर्जन से कई महामारी एवं प्रदूषण संबंधी रोगों का जन्म होने से नगर मानव स्वास्थ्य के दुश्मन हो गए हैं। आज स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मानव जंगलों में 'farm house' बनाकर रहने को कोशिश में है।

बाहरी प्रदूषण के कारण मानव तनाव ग्रस्त बनता जा रहा है। विचारों में मतभेद, घृणा, ईर्ष्या इन सबको जन्म दे रहा है 'विकास की होड़'। कहते थे—'अखियां हरिदर्शन की प्यासी' रही होंगी अब वे हैं टी. वी. की प्यासी। टी. वी. हमारे दिमाग में कितना कूड़ा ठूंसती है ये किसी से अछूता नहीं है।¹⁶ यही मानसिक प्रदूषण है। सारा प्रदूषण वैचारिक प्रदूषणसे ही विभिन्न रूपों में आकार पाता है।

प्रदूषण बढ़ती जनसंख्या के कारण होता है किंतु कम जनसंख्या वाले देश में भी प्रदूषण फैल रहा है। वास्तव में इसका कारण है आधुनिक व्यक्ति की आवश्यकता का अधिक होना, तृष्णा एवं भोगवादी संस्कृति। संतुष्टि जैसे शब्द का नामोनिशान मिट गया है। अधिक आवश्यकता ही कारखानों को बढ़ावा देती है। इस आधुनिक समय में नित्य नयी—नयी वस्तुएँ बनाने की होड़ में नये—नये कारखाने लगाए जा रहे हैं जितने अधिक कारखाने उतना पर्यावरण का विनाश और प्रदूषण का विकास। यहीं कारखाने अपने धुएँ से वायुमण्डल को प्रदूषित करेंगे साथ ही नदियों में अपनी गंदगी बहाकर उनमें जहर घोलेंगे। जिन पवित्र नदियों के किनारे सभ्यता ने जन्म लिया, जिसके पावन पुनीत तटों में हमारे ऋषि—मुनि के आश्रम होते थे, जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों एवं पुराणों में मोक्ष प्रदायिनी लोकमाता कहा गया है। आज उन्हीं नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वस्तुतः उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण नित्य नये—नये कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। फलस्वरूप भविष्य में अधिकाधिक मात्रा में प्रकृति का विदोहन होगा। विकास की इसी अंधी भागदौड़ ने आज संपूर्ण जगत को विनाश के मुख्य द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

पर्यावरण के अन्तः पतन में समस्त कारक चाहे उद्योग, जनसंख्या, भूमि क्षरण, खाद्य, वन विनाश, नगरीकरण, उपभोक्तावादी मानसिकता, वाणी दोष, वैचारिक असंतुलन, विलासिता पूर्ण जीवन आदि ने वृद्धि हेतु अत्याधिक सहयोग प्रदान किया है जिससे मानव जीवन अस्त—व्यस्त हो गया है। प्रकृति से लेते अवश्य हैं किंतु देते कुछ नहीं। यदि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं तो 'सादा जीवन उच्च विचार' की ओर लौटना होगा।

बालाघाट जिले में गैर कृषि रोजगार की संभावनाएं एवं चुनौतियाँ

ढालेश्वरी राणा

शोध छात्रा अर्थशास्त्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

बालाघाट जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 9,229 वर्ग किमी है एवं 4,775.50 वर्ग किमी क्षेत्र अर्थात् 52 प्रतिशत भाग में वन है। बालाघाट सामान्य वनमंडल की स्थापना वर्ष 1921 में की गई तत्पश्चात वर्ष 1960 में उत्तर एवं दक्षिण सामान्य वनमंडल का गठन किया गया वनमंडल के अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन, साल एवं मिश्रित वन है।

वन मंडल के समस्त परिक्षेत्रों में बांस पाया जाता है। वन विभाग कार्य आयोजना आलेख भाग-1 के अनुसार उत्तर बालाघाट वन मंडल में मिश्रित वन 466.27 प्रति हैक्टेयर वृक्षों की संख्या है। बालाघाट जिले के अंतर्गत दो सामान्य वनमंडल कार्यरत हैं जिनमें उत्तर वनमंडल बालाघाट सामान्य में आरक्षित वन 1369.6 वर्ग किमी तथा संरक्षित वन 351.29 वर्ग किमी है।

बालाघाट जिले में महुआ बहुतायत से पाया जाता है यद्यपि महुआ का उपयोग कच्ची शराब बनाने के लिए तो होता ही है, लेकिन महुआ के पेड़ की पत्तियों से दोना पत्तल बनाने की इकाई यहां सुगमता से स्थापित हो सकती है। चूंकि जिले में दोना-पत्तल उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत संचालि है क्योंकि लोग बांस की खनियों के तिनके व महुए के पत्तों से पत्तल दोना बनाकर बेच रहे हैं। यदि पत्तल दोना बनाने की यांत्रिक इकाई स्थापित की जाय जो प्रेरणा पत्तल बनाने में निपुण हो तो यह एक सफल लघु उद्योग का रूप ले सकता है। चूंकि इस क्षेत्र में शादी विवाह धार्मिक कार्य एवं अन्य अवसरों पर भोज हेतु सभी वर्ग द्वारा दोना-पत्तल का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। अतः कच्चे माल की उपलब्धता एवं विक्रय की संभावना को देखते हुए यह इकाई अधिक उपयुक्त होगी।

जिले में आंवला और बेल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जिले के निवासी आंवले का उपयोग मूलतः अचार निर्माण हेतु करते हैं तथा इस फल का सामान्यतः उपयोग शर्बत एवं मुरब्बा बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। यदि इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाईयों के निर्माण में किया जाये तो उसके उत्पादन हेतु लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक इकाईयां सहजता से स्थापित हो सकती हैं। चूंकि जिले में आज भी निजी क्षेत्र में कुछ वैधराज एवं आयुर्वेदिक दवा का व्यवसाय करने वाले कुछ व्यापारी एवं निर्माता चव्यन्प्राश बनाकर उत्पाद तैयार कर रहे हैं जिसकी आपूर्ति सीमित क्षेत्र में ही हो पाती है। अतः इस क्षेत्र में भी लघु उद्योग इकाईयां स्थापित हो सकती हैं।

जिले में बायबरंग, भिलवां, बेंचादी, बहैरा और मेनेर फल जैसे आयुर्वेदिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसके आधार पर आयुर्वेदिक दवाईयों की एक इकाई जिले में सहजता से स्थापित की जा सकती है। जिससे कि निजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा जिले में उपर्युक्त वनोपज को देखते हुए आयुर्वेदिक दवाईयों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र की इकाईयों को सरकार द्वारा विशेष रियायते व सुविधाएं देना आवश्यक है।

इन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की उपज पाई जाती है यदि इनका विधिवत और व्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जाय तो ये भी अनेक प्रकार लघु उद्योग इकाईयों को स्थापित करने में पर्याप्त है। इन क्षेत्रों में इमारती लकड़ी जिनमें सागौन, साल, सरई, तेंदु, धवा, बीजा आदि की लकड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जलाऊ लकड़ी एवं बास भी उपलब्ध है। वनोपज के रूप में तेंदूपत्ता हर्रा, कथा गोंद, चिरौंजी महुआ आदि हैं।

जिले में बहुतायत मात्रा में औषधि वृक्ष पाये गये हैं जिनसे कि विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जा सकता है और वर्तमान समय में आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुक्षान बढ़ता नजर आ रहा है। इस जिले में औषधि वृक्षों के फलों में बहेड़ा, तीखूर, भिलवा फल, आंवला, चिरायता, बायबरंग, बेंचादी, मेनेर फल, बेलगूदा, कमरकस, गोंद, करैया, साल

गोंद, किनों गोंद, इमली का गोंद, कुसुम बीज आदि जिले में उपलब्ध हैं और ये सब वनोपज भी अलग अलग प्रकार के उद्योग को स्थानीय स्तर पर चलाने में सहायक हो सकते हैं। उक्त औषधि वृक्षों के फलों से जिस प्रकार के लघु उद्योग पनप सकते हैं उनकी जानकारी अग्रांकित है।

जिले में इमारती लकड़ी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका व्यापारक बालाघाट जिला माना जाता रहा है। अतः लकड़ी के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे के चौखट पल्ले, प्लाईवुड, लकड़ी के कलात्मक मॉडल एवं खिलोने तथा खेलकूद के लकड़ी के सामानों का उद्योग यहां सहजता पूर्वक स्थापित किये जा सकते हैं। यद्यपि ये समस्त उद्योग धंधे के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन इन्हें लघु उद्योग का रूप दिया जाना आवश्यक है।

प्रदेश का औसत वार्षिक तेंदुपत्ता लगभग 25 लाख मानक बोरा उत्पादन है। मध्यप्रदेश सर्वाधिक तेंदुपत्ता डायोसपायरस मेलेकाजायलोन की पत्तियां उत्पादन वाला राज्य है। जो देश के कुल तेंदुपत्ता वार्षिक उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में तेंदुपत्ता के एक मानक बारे में 50–50 पत्ते की 1600 गडिडयां होती हैं। ये पत्ते तेंदु के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। जो इबेनेसी परिवार का पौधा है एवं यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रजाति है। यह मध्यम श्रेणी का वृक्ष है जिसका तना टेढ़ा मेढ़ा होता है। उत्तर भारत के जंगलों में यह वृक्ष स्वतः बहुत उगता है इसकी पत्ती को तोड़कर बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। किंतु कुछ ही क्षेत्रों में इसका कार्य किया जाता है, यह जबकि सभी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसको विस्तृत लघु उद्योग का स्वरूप दिया जाना महत्वपूर्ण है।

बांस, ग्रमिनीई कुल का का एक अत्यंत उपयोगी धास है। जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। बांस एक सामूहिक शब्द है। मुख्य जातियां बैब्यूसा, डेंडोकेलैमस नर मांस आदि हैं। बैब्यूसा शब्द मराठी बैंबू का लेटिन नाम है इसके लगभग 24 वंश भारत में पाए जाते हैं।

बांस एक सपु–पक आवृतजीवी, एक बीजपत्री पोएसी कुल का पादप है। इसके परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य दूब, गेहूं, मक्का, जौ और धान हैं। यह पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वालना अकाष्ठीय पौधा है। यह पोधा अपने जीवन में एक बार ही फल धारण करता है। बांस से विभिन्न प्रकार के रोजगारों को बढ़ावा मिलता है। जो कि वर्तमान में शोध क्षेत्र में संचालित नहीं है। जबकि इसका उत्पादन बालाघाट जिले में सर्वाधिक है।

लाख एक प्राकृतिक रॉल है बाकी सब रॉल कृत्रिम है। इसी कारण इसे प्रकृति का वरदान कहते हैं। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर संस्कृत के लक्ष शब्द से हुई है। संभवतः इसका कारण मादा कोश से अनगिनत शिशु कीड़ों का निकलना है। लगभग 34 हजार लाख के कीड़े एक कि.ग्रा. रंगीन लाख तथा 14 हजार 4 सौ लाख कीड़े एक कि.ग्रा. कुसमी लाख पैदा करते हैं।

बालाघाट जिले की अर्थव्यवस्था मूलरूप से कृषि पर आधारित है। जिले में भारतीय मध्यम औद्योगिक इकाईयों का लगभग अभाव है। जबकि जिले में वर्तमान में अधिकांश कृषि सिंचित है तथा आधुनिक तकनीकी विधियों से की जा रही है। कुद व्यवसायिक फसलों का उत्पादन भी बहुतायत में होता है जिनके आधार पर जिले में कृषि पर आधारित लघु मध्यम और बड़े उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इसका उदाहरणार्थ— बालाघाट जिले में खाद्यान्न के अतिरिक्त व्यवसायिक फसलों सोयाबीन, गन्ना, मटर, तिलहन, दलहन कपास और हरी सब्जियों का उत्पादन काफी मात्रा में होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एस.पी. दुर्गा, 'भारत में बांस का विपणन' पी.एच.डी. रिसर्च स्कॉलर वाणिज्य विभाग पुस्तुहार कॉलेज ऑटोमोमोटो मेलैयूर 609107 कीवर्ड
2. मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बालाघाट
3. श्रीमति प्रभा गुप्ता "मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय वनोपज का अर्थशास्त्रीय अध्ययन" कान्हा राष्ट्रीय" के विशेष संदर्भ में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र।
4. नीति जैन 2008 'महुआ, फूल एवं बीज का विपणन' वन धन पत्रिका, अंक-3 पेज नं. 25-28,
5. सुधीर पवार 2010 "लघुवनोपज संघ, द्वारा प्रदेश में लाख संग्रहण का कार्य" लघुवनोपज संदेश मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज व्यापार एवं विकास।

POLITICAL EMPOWERMENT OF MUSLIM WOMEN OF JABALPUR CITY**Ms. Tamanna Praveen**


Asst. Prof., Department of Political Science Hawabagh College, Jabalpur

Women empowerment means increasing the spiritual, social, educational, gender, economic and political strength of individuals and communities to deliver an authority or permission. India provides vote to right for all. Muslim women of this area feels that due to social reason women are not participating in political activities. Male dominating behavior, narrow thinking regarding the efficiency of Muslim women, family responsibilities, and religious principles also affects the participation of Muslim women in Politics. They are not encouraged by the family. Whereas maximum percentage of Muslim women goes with lack of education, they feel that Muslim women are lacking in education and education plays vital role in the political participation.

Table No. 1. Participation in election as a candidate

Sr. No.	Participation as a candidate	Respondents	Percentage
1.	Yes	38	10.2
2.	No	336	89.8
	Total	374	100

The above table reveals that only 10.2% women show a change in their thinking, they want to join and take active participation in the politics and 89.8% women are not interested in political field. They consider it inappropriate place or field for women.


**Graph No. 1. – Representation of participation in election as a candidate****Table No. 2. Less political participation Muslim women due to**

Sr. No.	Less political participation of Muslim women	Respondents	Percentage
1.	Social Reason	112	30
2.	Lack of Education	173	46.3

4.	Weakness of Political parties	24	6.4
5.	Money problem	65	17.3
	Total	374	100

17.3% women tell us the same reason for not taking active participation in politics. 6.4% shows that even political parties are not that much strong to take a step in favour of Muslim women. They don't even approach Muslim women to join politics.

Graph No. 2 – Representation of less political participation of Muslim women due to



CONCLUSION :- It is concluded that the situation of the Muslim women is not satisfactory regarding socio-economic status, educational status, decision making and political status. The condition of Muslim women of high class or low class, educated or illiterate, employed or unemployed, everyone are facing the same problem. The condition of each and every Muslim women in Jabalpur City are same, they are not equally treated and encouraged by family and community.

RECOMMENDATIONS :-

1. Muslim community leaders and organizations should recognize their duty and should promote economic and educational progress of the community especially backward Muslim women and also create favourable attitude or environment regarding Muslim women empowerment.
2. Promote Muslim women political participation at local and state level to improve their participation in mainstream.

REFERENCES :

- Ashrafi, Talat, Muslim Women in Changing Perspective, Common Wealth Publishers, New Delhi, 1992
- Siddiqui, H.Y., Muslim Women in Transition, Harnam Publications, New Delhi, 1987.
- Siddiqui, M.M., Women in Islam, Islamic Book Trust, Delhi, 1980.

सुदामचरित् महाकाव्य का एक अध्ययन

डॉ० नीता आर्या

सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, कु०वि०वि० नैनीताल, उत्तराखण्ड

कथावस्तु काव्य का अभिन्न अङ्ग होती है। वह अपने मूल रूप में अत्यन्त संक्षिप्त, एकांगी तथा अविकसित होती है। कवि उसे काव्यभूमि में प्रतिष्ठित करने के लिए अपेक्षित पवित्रता, परिवर्धन एवं संशोधन करता है। जिससे वह काव्यवस्तु के रूप में व्यापक, मौलिक और उदात्त मानवीय गुणों से सम्पन्न हो जाती है। इसकी सफलता कवि की प्रतिभा पर निर्भर करती है। वह कथावस्तु को शास्त्रीय मानदण्डों की कासोटी पर उतारने के लिए अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करता है जो काव्य परम्परा में रचित उस कृति का भविष्य निश्चित करती हैं।

सुदामचरित महाकाव्य भगवान् श्रीकृष्ण की सुदामा के साथ मैत्री कथा के आधार पर निर्मित प्रबन्ध काव्य है। श्रीमद्भागवत पुराण में संक्षिप्त रूप में वर्णित यह कथा यहाँ काव्य स्वरूप प्रतिष्ठित हुई है। यहाँ दोनों यौवनावस्था में बाल्य मैत्री के आधार पर पुनर्मिलन वर्णित है।¹ प्रस्तुत काव्य के द्वादश प्रबन्धों के क्रमशः निम्नांकित विषय वर्णित है— दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित मधुपुरी नामक ग्राम के विप्र सुदामा बड़े दरिद्रता भरे दिन विताते हुए अपनी पत्नी सती के साथ निवास करते हैं। उज्द्वृत्ति या शिक्षा से बड़े कष्टपूर्ण जीवन विताती हुई सती एक दिन अपने पति के सामने जीवन धारण के लिए धन की आवश्यकता निवेदित करती है प्रभु के श्रीचरणों में आसक्त चित्त सुदामा धन की निन्दा करत है। वार वारधन की अपरिहार्यता को बोध कराती हुई सती बाल्यमित्र कृष्ण के पास से धन लाने के लिए पति को प्रेरित करती है। सुदामा धनार्थी के रूप में कृष्ण के सामने जाने के इच्छुक न होकर भी अपने मित्र द्वारकाधीश के मन से दर्शनार्थ द्वारवती जाने के लिए उत्साहित होते हैं। मित्र के लिए भेंट रूपरूप वस्त्र में बंधे कुछ चावल सती सुदामा को देती है। द्वारवती में पहुँचकर वहाँ की भव्यता को देखकर सुदामा स्वयं को छोटा मानते हैं तथापि श्रीकृष्ण के दर्शन की इच्छा से राजद्वार पर विद्यमान अधिकारियों से भीतर प्रवेश करने का अनुरोध करते हैं। ‘मित्र आये हैं बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं’ इस प्रकार प्रतिहार के मुख से सुनकर श्रीकृष्ण स्वयं ही द्वार की ओर दोड़ते हुए जाते हैं और मित्र का आलिंग करते हैं। आनन्दाश्रु की जलधारा से सिक्त दोनों आपने मिलन के दृश्य से देवों को भी प्रभावित करते हैं। श्रीकृष्ण सुदामा को भीतर ले आते हैं। श्रीकृष्ण की पत्नी जल लाकर स्वयं ही सुदामा के पैर धोती है। इस बहुमान से रूक्षिताणी के मन में उत्पन्न जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्रीकृष्ण बाल्यकाल में गुरु सान्दीपनि के आश्रम में अपने अध्ययन काल का स्मरण कराते हैं तथा सुदामा के साथ अपने प्रगढ़ मैत्री का वर्णन करते हैं।

श्रीकृष्ण सुदामा का प्रगाढ़ तथा अनुपम आतिथ्य करते हैं। पश्चात् वे सुदामा से भेंट में क्या लाये हैं, इस प्रकार पूछते हैं। अपनी दरिद्रता के कारण लज्जित तथा अभूतपूर्व इस आतिथ्य से अत्यधिक संकुचित सुदामा तुच्छ चावल देने का उत्साह नहीं कर पाते हैं। श्रीकृष्ण स्वयं ही उनसे चावल लेकर उसमें से दो मुट्ठी चावल खाते हैं। तीसरी बार चावल को खाने के उत्सुक श्रीकृष्ण को वहाँ विद्यमान रूक्षिताणी उन्हें रोकती है तथा कहती है कि दो बार में ही आपने दो लोक इस द्विज को समर्पित कर दिये हैं। तीसरी बार में तीसरा लोक भी वहीं चला जाएगा। श्रीकृष्ण के महल में बड़े सुख और ऐ” वर्य से सुदामा रहते हैं। रात्रि में सुदामा के सो जाने पर श्रीकृष्ण उनके गाँव जाते हैं तथा विश्वर्कर्मा को बुलाकर सुदामा का घर स्वर्णमय और धनधान्य से भर देते हैं। बन्धु पत्नी के साथ सम्भाषण करते हैं। बन्धु पत्नी सती उनकी स्तुति करती है।

सुदामा द्वारवती से लौटते हैं। मार्ग में वे श्रीकृष्ण में गुणों की प्रशंसा करते हुए भी उनसे कुछ धन प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार विचार कर उनकी कृपणता की मन सा निन्दा करते हैं। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ इस कारण मन में उन्हें अपनी पत्नी के प्रति क्रोध आता है क्योंकि उसके कारण से ही ऐसा श्रम और लज्जा स्वीकार कर वे श्रीकृष्ण के मन्दिर में गये थे। वे श्रीकृष्ण को भी कठोर हृदय तथा निर्दय मानते हैं क्योंकि पर्याप्त धन सम्पन्न होकर भी उन्होंने सुदामा के आते समय वचन धन के अतिरिक्त कोई धन प्रदान नहीं किया।

इस प्रकार अपने मन में विचार करते हुए जब वह अपने घर पहुँचे और वहाँ विविध रत्नों एवं विविध जनों से परिपूर्ण सुवर्णमय प्रासाद को देखकर पहले हतप्रभ होते हैं, भ्रमवश दूसरे के घर पहुँच गये—ऐसा विचार करते हैं। अपने घर और पत्नी के विनाश की आशंका कर दुःखकातर सुदामा लौटना चाहते हैं। तभी विविध आभूषणों से विभूषित तथा सखियों व परिचारिकाओं से परिवेष्टित सुदामा पत्नी सती आती है। वह सुदामा को बुलाती है। सुदामा उसे एक रानी ही मानते हैं। सखी उनकी दशा को जानकर परिहास के साथ उन्हें काम क्रीड़ा के लिए आहवान करती है। इसे अनुचित मानकर सुदामा उसका तिरस्कार करते हैं। बाद में वे अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं। दोनों का मिलन होता है। श्रीकृष्ण की सेवा में आत्मापर्ण करके अन्त में दोनों को विष्णु पद प्राप्त होता है। इस कथा के साथ काव्य के बारह प्रबन्ध परिसमाप्त होते हैं।

प्रस्तुत कथावस्तु को महाकाव्यानुरूप व्यापक तथा उदात्त स्वरूप प्रदान करने के लिए कवि ने समीक्षा ग्रन्थों में निर्धारित मापदण्डों का पालन करने का सफल प्रयास किया है।³ सुदामचरितं महाकाव्य बारह प्रबन्धों में विभक्त है। इसका आरम्भ कवि ने भगवान् शिव को नमन करके किया है—

नत्वा शम्भुपदारविन्दयुगलं स्मृत्वा गुरोः पावनं
स्वान्ते भूपति बल्लभस्य चरणं विद्याप्रदस्याधहम्।
वक्ष्ये कृष्ण सुदामा पुण्य चरितं सर्वत्र सत्कीर्तिं
चारिद्वादि विनाशनं शुभकरं कश्चिद् बहोरो द्विजः ॥

भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से पूर्ण सद्वंश द्विज सुदामा इस महाकाव्य के धीरोदात्त नायक हैं। इसमें सर्वत्र भक्ति रस की प्रधानता है। इसकी कथावस्तु श्रीमद्भागवत पुराण की कथा पर आधारित है। इसमें सुदामा तथा श्रीकृष्ण के उदात्त चरित्र को सुन्दर काव्यमय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्य चर्तुवर्ग की प्राप्ति में सहायक है। सुदामा के मित्र—मिलन से धर्म प्राप्ति, श्री कृष्ण के दान से अर्थ प्राप्ति, अर्थ से काम प्राप्ति तथा धर्मार्थ काम रूप फलों के विषय में अनासक्ति होने से मोक्ष प्राप्ति सिद्ध होती है। श्रीकृष्ण की भक्ति से विश्वु पद की प्राप्ति ही इस महाकाव्य का फल है जो लक्षण ग्रन्थों के अनुसार महाकाव्यानुरूप है। सुदामाचरित आद्योपान्त भक्ति रस भक्ति काव्य है।

अतः इसमें यद्यपि खलनिन्दा का कहीं अवसर नहीं था तथापि कवि ने श्रीकृष्ण को आलम्बन बनाकर खल निन्दा की है। कृष्ण से धनादि लाभ प्राप्ति नहीं हुई— यह सोचकर सुदामा श्रीकृष्ण की निन्दा करते हैं। यही नहीं वे अन्य देवों के गुणों पर विचार करते हैं क्रमशः सभी देवों में कोई न कोई दोष उन्हें दिखायी देता है।

अतः वे ब्रह्मा, विष्णु, शिवसूर्य गणेश लक्ष्मी आदि की भी निन्दा करते हैं। तथापि कवि ने सुदामा के चरित्र को अच्छी तरह उभारा है। वहाँ पर स्त्री के कर स्पर्श को अनुचित मानते हैं पर धन एवं पत्नी के प्रति उन्हें कोई आसक्ति नहीं है। अतः वह अन्य स्त्री की आशंका से करबद्ध होने पर कहते हैं।

कव मैं बलि प्रदानाय पुश्पमालां दधे हृदि ।
किंफलं भौभनं तेस्यात्करं धृत्वा हते द्विजे ॥

सुदामचरितं महाकाव्य में वारह प्रबन्ध तथा आठ सौ अट्ठासी भलोक हैं। इसमें गद्य तथा छन्दोबद्ध भलोकों का सहवास है। साथ ही इसमें पद्यभाग का आधिक्य एवं प्राधान्य है। शास्त्रीय दृष्टि से प्रबन्धों को सर्ग कहा जा सकता है। इसमें गद्यांश केवल नवमें ग्यारहवें तथा वारहवें प्रबन्ध में उपलब्ध होते हैं। उनमें भी गद्यांश की अपेक्षा पद्यांश ही अधिकतर है।

काव्य में गद्य का प्रयोग केवल तीन स्थलों पर किया गया है। यह गद्य गद्य प्रौढ़ तथा ओजोगुण विशिष्ट हैं। श्लोकों के प्रयोग में कवि ने स्वतन्त्रता का आचरण किया है। कहीं छह चरणों से विशिष्ट श्लोक भी रचे गये हैं। इन्हें कवि ने स्वयं शट्पदी शब्द से अभिहित किया है। काव्य में प्रति प्रबन्ध में एक ही छन्द के शास्त्रीय नियम का पालन सर्वथा नहीं किया गया है। प्रबन्ध के मध्य में मूल छन्द के अतिरिक्त अन्य छन्दों का प्रयोग परिलक्षित होता है। काव्य में वंशस्थ छन्द का प्रयोग

सर्वाधिक किया गया है। अनुष्टुप् छन्द का प्रयोग वंशस्थ के बाद दूसरे स्थान पर है। वस्तुतः प्रबन्धों के प्रसंगों को आगे बढ़ाने के लिए यह छन्द उपयोगी होता है।

प्रस्तुत महाकाव्य में यथास्थान सूर्य चन्द्र रजनी नदी समुद्र तथा ऋतु आदि अनेक रमणीय वर्णन हैं। नवे प्रबन्ध में कवि ने गद्य में प्रभात काल का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है। “चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर भगवान भासकर उदयांचल पर आलड़ हुए। दोनों दिशाओं में फैले तेज से संसार धवल हो उठा। चकोर चंचल दृश्य से देखने लगे। भ्रमर कमल कोश से निकलकर उड़ने लगे, मधुपान से मत्त होकर मधुर गुंजार करने लगे..... मौर हर्ष से निनाद करने लगे। मृग आकाश मार्ग से दौड़ने लगे।”

नगर वर्णन में विवेच्य अट्टालिकाओं तोरणों तथा प्रसाद, मार्गों के अनेक रमणीय वर्णन हैं। पुरी द्वारवती के दुर्ग के समुख अनेक मदमत्त गज स्थित हैं। मार्ग के चौराहे सोने के लोशठों से निर्मित हैं। अन्नि सदृशवर्ण से वे सदैव देदीयमान होते हैं। इसी प्रकार नर्मदा तट पर स्थित अवन्तिका तथा मधुपुरी के वर्णन भी यहाँ काव्य परंपरा निर्वाह के रूप में प्रस्तुत हैं।

सुदामचरित में यज्ञ अध्ययन एवं दान आदि विविध विधि विधानों का उल्लेख हुआ है। सविधि यज्ञ एवं दानादि उत्तम कर्म से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। अतः द्विज को भास्त्रविहित उक्त कर्म अवश्य करने चाहिए।

सुदामा अनेक शास्त्रों के अच्छे विद्वान है। काव्य में उनका चरित्र प्रधान नायक के महासत्त्व, अतिगंभीरता आदि से पूर्ण है, वे अपने समाज में प्रतिष्ठित हैं पुरोहित हैं तथा निर्धन होने पर भी प्रभु भक्ति में लीन रहने से सुखी है। वे मात्र धन याचना के लिए श्रीकृष्ण से मिलने नहीं जाते हैं प्रत्युत पत्नी के आग्रहवश मित्र कृष्ण से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे मित्र के अतिथ्य से गदगद होकर अनेकशः उनकी प्रशंसा करते हैं।

श्री कृष्ण का उदात्त चरित्र भी काव्य में वर्णित है। द्वारवती के आदर्श राजा हैं। कूटनीतिज्ञ तथा कुशल प्रशासक हैं। विप्रों नागरिकों परिजनों तथा राजभूतों के रक्षक तथा स्वामी हैं। अपने बाल्य मित्र सुदामा को द्वार पर आया जानकर स्वयं वहाँ पहुँचते हैं वे राजा होकर भी राजमद से शून्य हैं। निर्धन विप्र सुदामा के गुणों की प्रशंसा करते हैं। उनके आतिथ्य में वे कोई कमी नहीं करते हैं तथा निर्धनता दूर करने के लिए उन्हें बिना बाताये ही रात्रि में जाकर उनके घर को स्वर्णमय संपन्न बनवाकर वापस आ जाते हैं। अतः श्रीकृष्ण का दान निःसन्देह स्तुत्य है। वे त्याग की साक्षात् मूर्ति हैं।

काव्य में नायिका सती को आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया गया है। वह कृशगात्र तथा कुवस्त्रा तथा कुचैला होकर भी पतिव्रता है। निर्धन जीवन का सर्वाधिक कष्ट उसे ही भोगना पड़ा है अपनी आर्थिक दशा का कारण वह परिस्थिति जन्य लाभ पाने की प्रवंचना को ही मानती है। उसका विश्वास है कि अपने राजमित्र से मिलने पर उसकी दरिद्रता दूर होगी।

अतः आग्रह पूर्वक वह पति को कृष्ण के समीप भेजती है तथा उनसे यथेष्ट लाभ पाकर अपने प्रयोजन में सफल होती है।

सती का विश्वास है कि सुखी एवं शान्तिपूर्ण जीवन के धन परमावश्यक है। धन के बिना यज्ञ दान भोग आदि कार्य नहीं हो सकते हैं। धन के बिना धर्म और काम भी संभव नहीं है इसलिए दानादि उचित उपायों से मनुष्य को धन संग्रह अवश्य करना चाहिए।

अतः काव्य में कथावस्तु को अनेकविधि व्यापक तथा उदात्त बनाकर कवि ने इसे महाकाव्य वस्तु का उचित स्वरूप प्रदान किया है। इसके विमर्श को कवि ने श्रीकृष्ण सुदामा की अनन्य मैत्री को लोक में अधिक विश्रुत होने का संदेश दिया है। समाज में विद्यमान स्वार्थ के स्थान त्याग एवं भेदभाव के स्थान पर ऊँच—नीच भाव दूर होने का अनुपम संदेश प्रस्तुत किया है। काव्य में निबद्ध सभी वस्तु वर्णन कथावस्तु के अनिवार्य अंग सदृश समाहित है। जिससे यह महाकाव्य कथावस्तु की दृष्टि से पूर्ण समृद्ध और उच्चकोटि का ग्रन्थ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सुदामचरित् महाकाव्य पृ०-घ (भूमिका)
2. सु०च०पृ०-च (भूमिका)
3. काव्यदर्श, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण
4. सु०च०पृ०-1 / 1
5. सु०च०पृ०-12 / 67
6. सु०च०पृ०-9 / 39
7. सु०च०पृ०-4 / 50
8. सु०च०पृ०-9 / 46-72
9. सु०च०पृ०-9 / 1-48
10. सु०च०पृ०-12 / 96